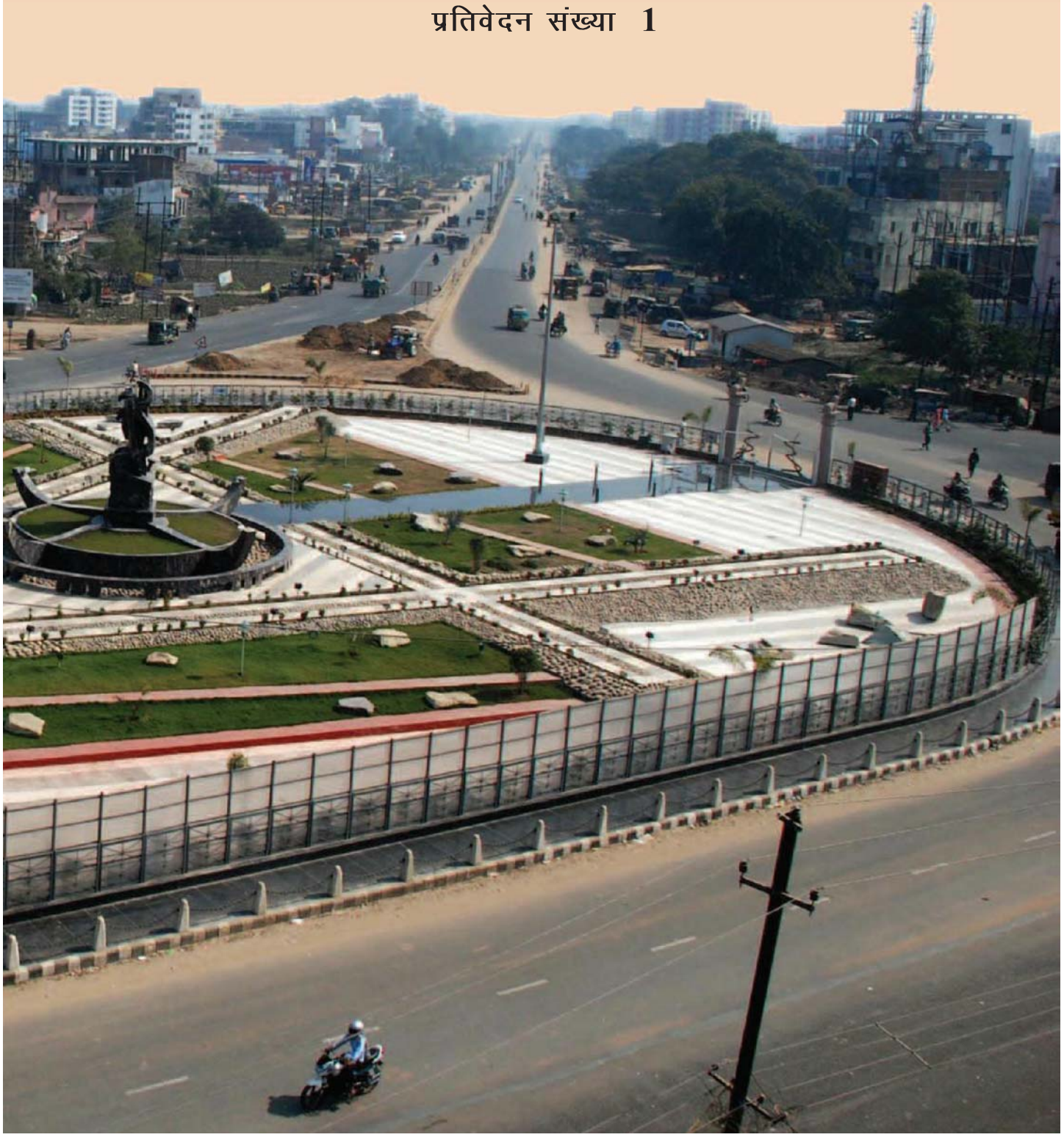
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

प्रतिवेदन संख्या 1





बौद्ध भिक्षुक (बोधगया)

विषय–सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यपालक सारांश		vii
अध्याय –1 राज्य सरकार का वित्त		
राज्य का परिचय	1	1
प्रस्तावना	1.1	1
राज्य का संसाधन	1.2	3
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	5
संसाधनों का उपयोग	1.4	10
व्यय की गुणवत्ता	1.5	16
सरकारी व्ययों एवं निवेशों का विश्लेषण	1.6	19
परिसंपत्ति एवं देनदारी	1.7	22
ऋण निर्वाहिता	1.8	25
राजकोषीय असंतुलन	1.9	27
निष्कर्ष	1.10	31
अनुशंसाएँ	1.11	32
अध्याय –2 वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	33
विनियोजन लेखाओं का सारांश	2.2	34
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	34
बिना मिलान किया हुआ व्यय	2.4	41
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.5	41
चयनित अनुदान की समीक्षा	2.6	42
निष्कर्ष	2.7	44
अनुशंसाएँ	2.8	44
अध्याय – 3 वित्तीय रिपोर्टिंग		
बकाया विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र	3.1	45
उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलंब	3.2	46
स्वायत निकायों के लेखे/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के समर्पण में विलंब	3.3	47
दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि	3.4	47
बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष 800 की कार्य प्रकिया	3.5	48
प्राप्तियों एवं व्ययों का मिलान नहीं किया जाना	3.6	49

विषय–सूची

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
व्यक्तिगत निक्षेप लेखा		3.7	49
निष्कर्ष		3.8	50
अनुशंसाएँ		3.9	51
परिशिष्ट			
1.1	राज्य का परिचय	1, 1.3.1, 1.4.1 एवं 1.4.2	53
1.2	भाग क : सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	1.1	55
1.2	भाग ख : वित्त लेखे की रूपरेखा	1.1	55
1.3 भाग क	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गई कार्य प्रणाली	1.1	58
1.3 भाग ख	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम) (संशोधन)	1.1	59
1.4	वर्ष 2010–11 की प्राप्तियाँ एवं संवितरण का सार	1.1.1 एवं 1.3	60
1.5	राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधि का सीधा हस्तांतरण	1.2.2	64
1.6	राज्य सरकार के कालश्रृंखला वित्त आंकड़ें	1.3.1, 1.7.2 एवं 1.9.1	65
1.7	राजस्व बकायों का विभागवार विवरण	1.3.4	68
1.8	31 मार्च 2011 को अपूर्ण परियोजनाओं (लागत वृद्धि) की विवरणी	1.6.1	69
1.9	31 मार्च 2011 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार	1.7.1	71
2.1	वैसे अनुदान/विनियोजन की विवरणी जहाँ प्रावधान के ₹ 10 करोड़ से ज्यादा की बचत हुई	2.3.1	72
2.2	वैसे अनुदानों की सूची जहाँ वर्ष 2006–11 में सतत् बचत हुए	2.3.2	74
2.3	विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिन्हें विनियमित किया जाना आवश्यक है।	2.3.3	75
2.4	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	2.3.5	76
2.5	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन	2.3.6	77
2.6	निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी	2.3.6	79
2.7	वर्ष के दौरान पर्याप्त अभ्यर्पण (₹ पाँच करोड़ या उससे अधिक)	2.3.7	81
2.8	शत् प्रतिशत निधियों का अभ्यर्पण	2.3.7	85
2.9	वास्तविक बचत (₹ 50 लाख या अधिक) का आधिक्य में अभ्यर्पण	2.3.8	89

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.10	प्रत्येक मामले में (₹ एक करोड़ और उससे अधिक एवं प्रावधान का 10 प्रतिशत) अभ्यर्पित बचत के राशि की विवरणी	2.3.9	90
2.11	30 एवं 31 मार्च 2011 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधि का अभ्यर्पण के मामले	2.3.9	91
2.12	वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम तिमाही एवं माह मार्च 2011 में सघन व्यय	2.3.10	92
2.13	वर्ष 2010-11 के दौरान (प्रत्येक मामले में) ₹ 10 करोड़ से ज्यादा की असमाशोधित राशि की विवरणी	2.4	93
2.14	नित्य प्रयोजन के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी का विस्तृत विवरणी	2.5	95
2.15	अनुदान संख्या-49 के अंतर्गत बजट प्रावधान, बचतों का विस्तृत विवरण	2.6.1	97
2.16	वैसे योजनाओं की विवरणी जहाँ व्यय नगण्य था	2.6.1	98
2.17	वर्ष 2010-11 के लिए विवरणी में दिखाये गए उप-शीर्ष में कुल प्रावधान से आधिक्य व्यय	2.6.1	99
2.18	अंतिम तिमाही एवं मार्च माह में विभिन्न योजनाओं में सघन व्यय (अनुदान संख्या 49) की विवरणी	2.6.1	100
3.1	स्वायत निकायों का निष्पादन	3.3	101
3.2	गबन, दुर्विनियोजन, हानि, एवं चोरी के मामलों का समयवार विवरणी	3.4	102
3.3	गबन, दुर्विनियोजन, हानि, एवं चोरी के मामलों के संदर्भ में श्रेणीवार विवरणी	3.4	103
3.4	लघु शीर्ष – 800- अन्य व्यय का परिचालन (50 प्रतिशत एवं ज्यादा)	3.5	104
3.5	लघु शीर्ष – 800- अन्य प्राप्तियाँ का परिचालन (50 प्रतिशत एवं ज्यादा)	3.5	105

प्रा क्क थ न

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है ।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय **1** एवं **2** में 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष में राज्य सरकार के कमशः वित्त लेखा तथा विनियोजन लेखा की जाँच से उठे मामलों पर लेखा परीक्षा टिप्पणी शामिल है । जहाँ आवश्यक हुआ, बिहार सरकार से सूचना प्राप्त किया गया है ।

3. वित्तीय रिपोर्टिंग पर अध्याय **3** विभिन्न वित्तीय नियम, प्रक्रिया एवं निदेशों के प्रति राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत करता है ।



बुद्धा स्तुप (पटना)

कार्यपालक सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 के दौरान बिहार सरकार के वित्त पर वित्तीय निष्पादन का आकलन करने तथा राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल को उचित प्रकार से वित्तीय आंकड़ों पर लेखापरीक्षा विश्लेषण के रूप में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत है। इस विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) संशोधन अधिनियम, 2010, तेरहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन एवं बजट अनुमान 2010-11 में दिये गए लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों की तुलना का प्रयास किया गया है ।

यह प्रतिवेदन

मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित इस प्रतिवेदन में सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गई हैं । यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है ।

अध्याय-1 वित्त लेखे की लेखा परीक्षा पर आधारित हैं और 31 मार्च 2011 तक के बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है । यह राजकोषीय प्रतिबद्ध व्यय एवं उधार प्रतिमान की प्रवृत्तियों की जानकारी देने एवं बजट से इतर मार्ग से राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे स्थानांतरित केन्द्रीय निधियों की संक्षिप्त लेखा उपलब्ध कराता है ।

अध्याय-2 विनियोग लेखे की लेखा परीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता हैं तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंध के ढंग का वर्णन करता है ।

अध्याय-3 विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्कताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ बिहार सरकार के अनुपालन की एक सूची है । लेखा परीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से एकत्रित किये गए आँकड़ें भी इस अध्याय में होते हैं ।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अध्याय 1

राजस्व प्राप्तियाँ: पूर्व वर्ष की तुलना में इसव र्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व/संघीय करों का अंशदान/ शुल्क एवं भारत सरकार से अनुदान के कारण हुई। सरकार वर्ष 2006-11 के दौरान राजस्व अधिशेष बनाएं रखने में सफलता प्राप्त की है। राजस्व घाटा को दूर करने के लिए तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को पहले ही प्राप्त कर लिया गया। चालू व र्ष के दौरान राजस्व अधिशेष में वृद्धि भी बनी रही । चालू वर्ष के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 1.86 प्रतिशत था जो तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा (3.5 प्रतिशत) के अन्दर ही था ।

ब्याज अदायगियाँ : वर्ष 2009-10 की तुलना में इस वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियों (₹ 4319 करोड़) में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बजट अनुमान

(₹ 4513 करोड़) एवं तेरहवें वित आयोग के मानक मूल्यांकन (₹ 4439 करोड़) के प्रक्षेपण के अंतर्गत थे ।

राजस्व व्यय : पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2010 –11 के दौरान राजस्व व्यय में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं यह कुल व्यय का 79 प्रतिशत था जिसमें राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत गैर योजना राजस्व व्यय था । पूर्व वर्ष की तुलना में गैर योजना राजस्व व्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं चालू वर्ष के बजट अनुमान (₹ 29683 करोड़) के भीतर रहा । गैर योजना राजस्व व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण वेतन,पेंशन ब्याज अदायगियों एवं आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के अन्तर्गत प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि होना था।

सरकारी लोक क्षेत्र उपक्रमों आदि के परिचालन कुशलता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता (सब्सिडी) भुगतान में कटौती पर विचार कर सकती है । तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार सभी राज्यों को मार्च 2 011 तक अकार्य लोक क्षेत्र उपक्रमों को बंद करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए ।

पूँजीगत व्यय : पूर्व वर्ष की तुलना में राज्य के पूंजीगत व्यय में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

अपूर्ण परियोजनाएँ : वर्ष 2010–11 के अंत तक 350 अपूर्ण परियोजनाओं में कुल ₹ 1005 करोड़ की निधियों को अवरूद्ध किया गया था। इन अपूर्ण परियोजनाओं पर समय एवं लागत वृद्धि को कम करने की आवश्यकता है जिससे बिहार की जनता की राशि का महत्व सुनिश्चित किया जाए ।

सरकारी निवेशों की समीक्षा : सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कंपनियों एवं सहकारी संस्थानों में सरकारी निवेशों का औसत रिटर्न विगत पाँच वर्षों में शून्य एवं 0.28 प्रतिशत के बीच रहा, जहाँ इसका औसत ब्याज 7.15 से 6.87 प्रतिशत के बीच रहा । यह एक जटिल समस्या है ।

अतः सरकार को निवेशों में धन का उचित मूल्य प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए अन्यथा परियोजनाओं में निम्न वित्तीय वापसी पर निवेशित उच्च मूल्य उधार निधि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती रहेगी । निम्न वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक आर्थिक रिटर्न के कारण युक्तिसंगत लगने वाले परियोजनाओं को अभिज्ञान में लिया जा सकता है तथा उन्हें उच्च मूल्य उधार हेतु न्यायसंगत प्राथमिकता दी जा सकती है । समय आ गया है कि व्यापक हानि होने वाले राज्य समर्थित लोक क्षेत्र उपक्रमों के कार्य की समीक्षा की जाय जो रणनीतिक प्रकृति की है तथा जिन उपक्रमों को जीवंत किया जा सकता है उनके लिए उत्थान की रणनीति तैयार की जाय तथा शिथिल इकाईयों का इक्विटी विनिवेशित कर बंद किया जाय ।

रोकड़ शेष की स्थिति : पूर्व वर्ष की तुलना में इस वर्ष के अंत तक रोकड़ शेष में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चूँकि अवरूद्ध रोकड़ शेष का अनुरक्षण एक विवेकपूर्ण रोकड़ प्रबंधन नीति नहीं है अतः कई परियोजनाओं को अपने पूर्ण एवं अनुमोदित तकनीकी–आर्थिक साध्यता मूल्यांकन के साथ तैयार रखना चाहिए ताकि उधार के समय तथा उत्पादक निवेश की ओर इन निधियों के परिचालन के बीच की असमानता को कम किया जा सके ।

राज्य कियान्वयन एजेन्सियों को भारत सरकार द्वारा निधि का सीधे हस्तांतरित निधि में चूक : भारत सरकार ने वर्ष के दौरान कुल ₹ 10309 करोड़ राशि राज्य कियान्वयन समितियों को सीधा हस्तांतरण किया जिसमें पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 5127 करोड़ (99 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । चूंकि ये निधियाँ सरकारी लेखे से नहीं गुजरती, इसलिए भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित किये गए राशि का

इन संगठनों द्वारा लेखे के अनुरक्षण एवं निधियों के उपयोग में चूक का खतरा बना रहता है । इन सभी एजेंसियों द्वारा किये गए एकरूप लेखाकरण के अभाव में उचित प्रलेखन नहीं हुआ । सरकार द्वारा व्यय की स्थिति के बारे में समयबद्ध प्रतिवेदन में सुनिश्चित की जानी चाहिए कि राज्य कियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधि का समुचित लेखाकरण किया जाय तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किये गए व्यय के समुचित अनुश्रवण के लिए राज्य सरकार तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा अद्यतन सूचना को वैद्यता दी जाय ।

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण : ₹ 273.71 करोड़ के बजट आवंटन पर अधिकाई की क्षतिपूर्ति करने के बाद भी राज्य में विभिन्न सामाजिक एवं विकास कार्यक्रमों के कियान्वयन में धीमी प्रगति से ₹ 14474 करोड़ की सम्पूर्ण बचत हुई । इस अधिकाई व्यय को संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत नियमित करने की आवश्यकता थी। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान और अनावश्यक/आधिक्य पुनर्विनियोजन के उदाहरण थे । वित्तीय वर्ष के अंत में सघन व्यय राज्य में अन्य पुराना अवगुण था । अनेक मामलों में अनुमानित बचतें या तो अभ्यर्पित नहीं थे या वित्तीय वर्ष के अंतिम दो कार्यदिवसों में अभ्यर्पित किये गए थे, जिससे अन्य विकास प्रयोजनों में इन निधियों का उपयोग नहीं हो सका ।

वित्तीय प्रबंधन में ऐसे कमियों को दूर करने के लिए बजटीय नियंत्रण पर पैनी नजर रखनी चाहिए । अंतिम मिनट में निधि को मुक्त करने एवं पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण जारी करने से बचना चाहिए । अनुदानों पर आधिक्य व्यय से बचने के लिए नियंत्रण पदाधिकारियों को आवंटनों के विरूद्ध किए गए व्यय पर पैनी नजर रखनी चाहिए ।

अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन : विभिन्न नियमों प्रकियाओं एवं निदेशों के अनुपालन में सरकार का कार्य विभिन्न विभागों में असंतोषजनक था, जो कि विभिन्न प्रतिभूति संस्थानों द्वारा ऋण तथा अनुदानों के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाणपत्र को पूर्ण करने में हुए विलंब से स्पष्ट था । हानि एवं दुर्विनियोजन के मामलों के भी उदाहरण थे जिसकी विभागीय कार्रवाई लम्बी अवधि से लंवित थे । ऐसे मामलों में विभागीय जाँच को सुदृढ़ की जानी चाहिए जिससे की दोषियों को प्रकाश में लाया जा सके । भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए ।

वर्ष 2010-11 के दौरान बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियाँ/ व्यय के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं व्ययों के अधिकतम राशि को वर्गीकृत किया गया था जिसे वित्तीय प्रतिवेदन में अधिक पारदर्शिता के लिए दूर करना चाहिए था । 31 मार्च 2011 तक नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा आकस्मिक सार बिल पर अग्रिम निकासी के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल समर्पित नहीं किया गया । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में नियमित रूप से इंगित किये जाने के बावजूद इस अवधि के दौरान व्यय के आंकड़ों का समाधान नहीं होने का मुद्दा बना रहा । ऐसी स्थिति में सुधार लाने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा एक सुदृढ़ अनुश्रवण प्रणाली तैयार करना चाहिए ताकि निर्धारित अवधि के अन्दर सार आकस्मिक बिल का समायोजन सुनिश्चत हो सके ।

अध्याय 1

राज्य सरकार का वित्त

1. राज्य का परिचय

बिहार भू-भाग से घिरा एक ऐसा राज्य है, जिसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तरप्रदेश, दक्षिण में झारखण्ड एवं उत्तर में नेपाल से सटे लम्बी अंतराष्ट्रीय सीमा है । भौगोलिक आकार (94163 वर्ग कि.मी.) के दृष्टिकोण से यह भारत का बारहवाँ तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य हैं । बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 के संख्या 30) के अंतर्गत 15 नवम्बर 2000 को संयुक्त राज्य बिहार को 38 जिलों के साथ पुनर्गठित कर बिहार राज्य बनाया गया एवं संयुक्त बिहार के 18 जिलों[1] से बने एक नवीन राज्य झारखण्ड को गठित किया।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है तथा राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज सम्पदा नहीं है । जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1*** में दर्शाया गया है कि विगत दस वर्षो में बिहार का जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर से बढ़कर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया । बिहार की गरीबी रेखा संपूर्ण भारत के औसत गरीबी से अधिक है । विगत दशक में इस राज्य ने उच्च आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है जैसे कि इसका वर्ष 2001-02 से 2010-11 तक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मिश्रित वार्षिक विकास दर 15.61 रहा है जबकि इसकी तुलना में अन्य सामान्य दर्जे के राज्यों का विकास दर 14.68 रहा । इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या सामान्य दर्जे के राज्यों की जनसंख्या 17.56 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 25.07 प्रतिशत सामान्य दर्जे के राज्यों में सर्वोच्च हो गयी ।

बिहार की इस दशक में प्रति व्यक्ति मिश्रित वार्षिक विकास दर (11.44 प्रतिशत) आय सामान्य दर्जे के राज्यों (11.32 प्रतिशत) की औसत मिश्रित वार्षिक विकास दर की तुलना में ज्यादा रही जबकि वर्ष 2010-11 में इस राज्य की प्रति व्यक्ति मिश्रित वार्षिक विकास दर आय/योगदान सामान्य दर्जे के राज्यों के औसत प्रति व्यक्ति मिश्रित वार्षिक विकास दर आय से कम रहा ।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वित्त लेखा के लेखा परीक्षा पर आधारित है एवं यह बिहार सरकार के 31 मार्च 2011 के राजकोषीय स्थिति का परिदृश्य प्रस्तुत करता है । यह चालू वर्ष के दौरान बिहार सरकार के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है । यह पिछले पाँच वर्षो के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है । सरकार के लेखा की संरचना एवं रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2* के भाग क** में वर्णित है तथा वित्तीय लेखा की रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2* के भाग ख** में प्रदर्शित किया गया है । वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.) 2010 द्वारा विनिर्दिष्ट नियम राज्य तथा राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति ***परिशिष्ट 1.3*** में दिये गये हैं ।

[1] बोकारों, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढवा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामु, राँची, साहेबगंज, सिंहभूम (पूर्वी) एवं सिंहभूम (पश्चिम)

1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष (2010-11) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन को दर्शाता है । चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्ति एवं संवितरण का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में प्रस्तुत किया गया है ।

तालिका **1.1:** चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश

(₹ करोड़ में)

2009-10	प्राप्तियाँ	2010-11	2009-10	संवितरण	2010-11		
खण्ड-क: राजस्व					गैर-योजना	योजना	कुल
35526.83	राजस्व प्राप्तियाँ	**44532.32**	**32584.17**	राजस्व व्यय	**27316.41**	**10899.51**	**38215.92**
8089.67	कर राजस्व	9869.85	12202.35	सामान्य सेवाएं	15109.01	177.96	15286.97
1670.42	करेत्तर राजस्व	985.53	13186.41	समाजिक सेवाएँ	7310.33	7779.09	15089.42
18202.58	संघीय कर/शुल्कों का अंश	23978.38	7087.95	आर्थिक सेवाएँ	4893.82	2942.46	7836.28
7564.16	भारत सरकार से अनुदान	9698.56	107.46	सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.25	0.00	3.25
खण्ड ख : पूँजीगत							
0.00	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**0.00**	**7332.09**	पूँजीगत परिव्यय	**45.69**	**9150.25**	**9195.94**
13.20	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	**11.86**	**896.78**	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	**268.05**	**834.58**	**1102.63**
6134.39	लोक ऋण प्राप्तियाँ*	**6032.42**	**1982.99**	लोक ऋण की अदायगियाँ*	**-**	**-**	**2190.03**
0.00	आकस्मिकता निधि	**1150.00**	**0.00**	आकस्मिकता निधि	**-**	**-**	**1150.00**
15303.39	लोक लेखा प्राप्तियाँ	**17321.25**	**15447.74**	लोक लेखा संवितरण	**-**	**-**	**16749.02**
3557.09	आरंभिक नकद शेष	**2291.13**	**2291.13**	अंतिम नकद शेष	**-**	**-**	**2735.44**
60534.90	कुल	**71338.98**	**60534.90**	कुल			**71338.98**

(स्त्रोत: बिहार सरकार के वित्तीय लेखा 2009-10 एवं 2010-11)
***अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट शुद्ध लेन-देन को छोड़कर**

वर्ष 2010-11 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है:

- कर राजस्व में ₹ 1780 करोड़ (22 प्रतिशत) वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियाँ में ₹ 9005 करोड़ (25 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । भारत सरकार संघीय कर एवं शुल्क के अंश में ₹ 5775 करोड़ (32 प्रतिशत) की वृद्धि एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 2135 करोड़ (28 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । राज्य का अपना कर राजस्व (₹ 9870 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा तय किये गए लक्ष्य (₹ 8242 करोड़) से 20 प्रतिशत अधिक रहा जबकि बजट प्राक्कलन (₹ 10644 करोड़) से सात प्रतिशत कम रहा । इस साल राज्य के करेत्तर राजस्व में ₹ 685 करोड़ (41 प्रतिशत) कमी हुई एवं (₹1654 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग के आकलन से 40 प्रतिशत एवं बजट प्राक्कलन (₹1207 करोड़) से 18 प्रतिशत कम रहीं ।

- राजस्व व्यय में ₹ 5632 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः सामाजिक सेवाएँ (₹ 1903 करोड़), आर्थिक सेवाएँ (₹ 748 करोड़) एवं सामान्य सेवाएँ (₹ 3085 करोड़) के कारण हुई । गैर योजना राजस्व व्यय (₹ 27316 करोड़) तेरहवीं वित्त आयोग के आकलन (₹ 24787 करोड़) से ₹ 2529 करोड़ (10 प्रतिशत) अधिक था परंतु बजट प्राक्कलन (₹ 29683 करोड़) ₹ 2367 करोड़ (आठ प्रतिशत) से कम था ।
- पूँजीगत व्यय में वृद्धि ₹ 1864 करोड़ (25 प्रतिशत) मुख्यतः ऊर्जा परियोजना (₹ 631.23 करोड़), ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 351.18 करोड़), जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹ 165.03 करोड़) के व्यय में वृद्धि के कारण हुई ।
- चालू वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों की वसूली में ₹ 13.20 करोड़ से ₹ 11.86 करोड़ की कमी हुई जबकि ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में ₹ 897 करोड़ से ₹ 1103 करोड़ की वृद्धि हुई । परिणामस्वरूप संवितरण में ₹ 205 करोड़ की शुद्ध वृद्धि हुई ।
- लोक ऋण प्राप्तियाँ में ₹ 102 करोड़ (दो प्रतिशत) की कमी हुई । लोक ऋण की अदायगी में ₹ 207 करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । फलस्वरूप लोक ऋण में शुद्ध ₹ 105 करोड़ की वृद्धि हुई ।
- लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2009-10 में ₹ 15503 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 17321 करोड़ हुई जबकि लोक लेखा संवितरण वर्ष 2009-10 में ₹ 15448 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 16749 करोड़ हुआ ।
- इन लेन-देनों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में नगद शेष के रूप में पूर्व वर्ष से ₹ 444 करोड़ की वृद्धि हुई ।

1.2 राज्य के संसाधन

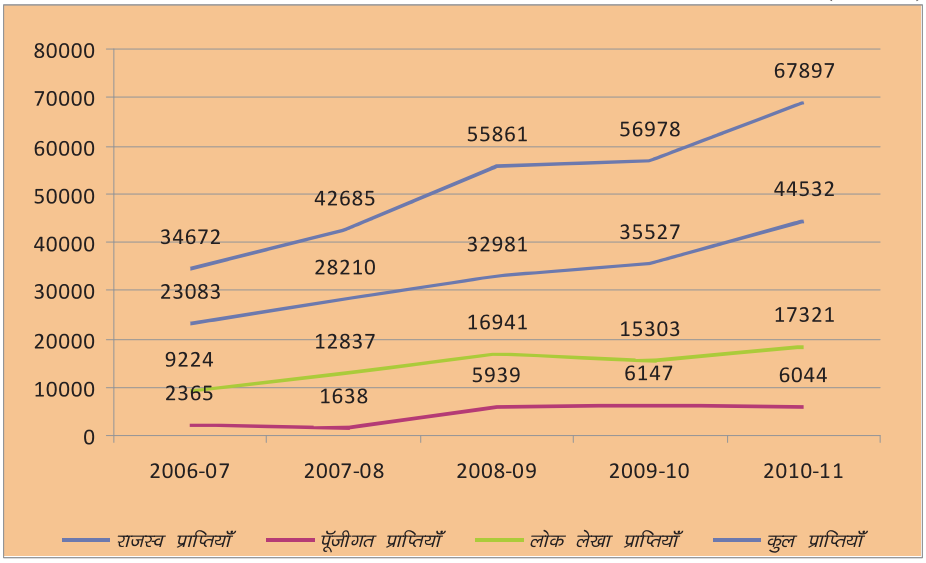
1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राज्य सरकार के संसाधन प्राप्तियों के दो प्रवाह–राजस्व और पूँजी से बने है । राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है । पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्त्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) भारत सरकार से अग्रिम एवं ऋण और लोक लेखा से संभूति सम्मिलित है ।

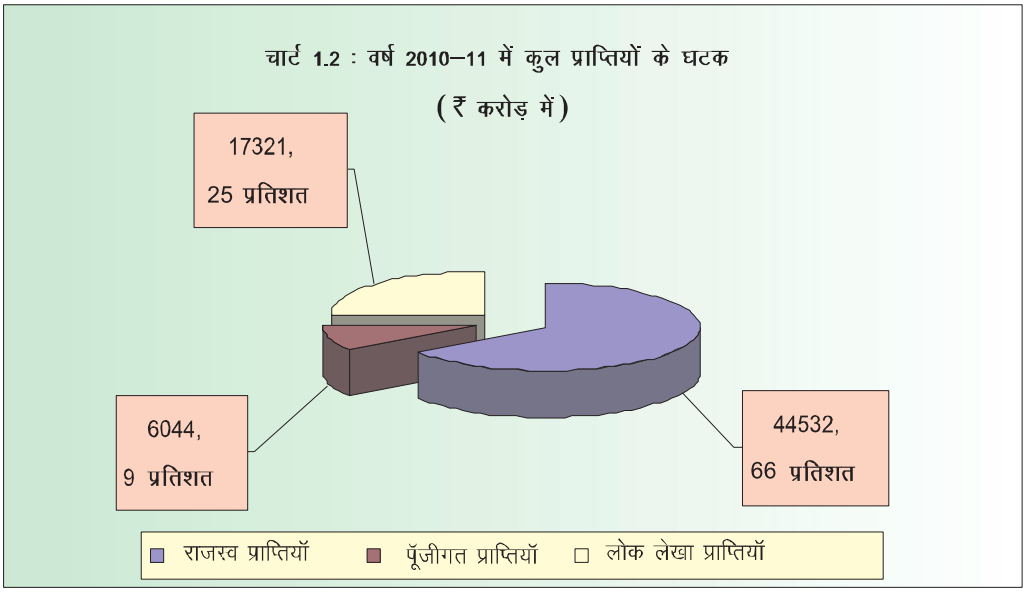
तालिका 1.1 वार्षिक वित्त लेखे 2010-11 में दर्ज चालू वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ एवं संवितरणों को प्रस्तुत करता है जबकि **चार्ट 1.1** वर्ष 2006-11 के दौरान राज्य के प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृत्ति को चित्रित करता है । **चार्ट 1.2** चालू वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को चित्रित करता है ।

चार्ट 1.1: कुल प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)



(स्त्रोतः वर्ष 2010-11 के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2006-07 में ₹ 34672 करोड़ के स्तर से ₹ 33225 करोड़ बढ़कर (96 प्रतिशत) वर्ष 2010-11 में ₹ 67897 करोड़ हो गयी । राजस्व प्राप्तियों में ₹ 21449 करोड़ (93 प्रतिशत) पूँजीगत प्राप्तियाँ में (जिसमें ऋण एवं अग्रिम की वसूली समाहित है) ₹ 3679 करोड़ (156 प्रतिशत) एवं लोक लेखा राजस्व में ₹ 8097 करोड़ (88 प्रतिशत) की वृद्धि इसी अवधि में हुई ।

कुल प्राप्तियों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का अंश वर्ष 2006-07 के 67 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010-11 में 66 प्रतिशत हो गया । वर्ष 2006-11 के दौरान कुल प्राप्तियाँ में लोक लेखा प्राप्तियों का अंश करीब 26 प्रतिशत बना रहा जबकि इसी अवधि में पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं ऋण में सात से नौ प्रतिशत की वृद्धि रही ।

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का हस्तांतरण

भारत सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा अंश विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों[2] को हस्तांतरण कर दिया जाता है । चूँकि ये निधियाँ राज्य बजट एवं कोषागार से होकर व्यय नहीं की जाती हैं अतः वार्षिक वित्त लेखा इन निधियों के प्रवाह एवं सीमा को नहीं दर्शाता है इस प्रकार राज्य की प्राप्तियाँ एवं व्यय, अन्य वित्तीय परिवर्तनशीलता/माप तथा साथ-साथ उससे निकलकर आने वाले परिचालिका को कम कर आंका जाता हैं । वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान कुल निधियों की उपलब्धता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे निधियों का हस्तांतरण ***परिशिष्ट 1.5*** में दिखलाया गया है ।

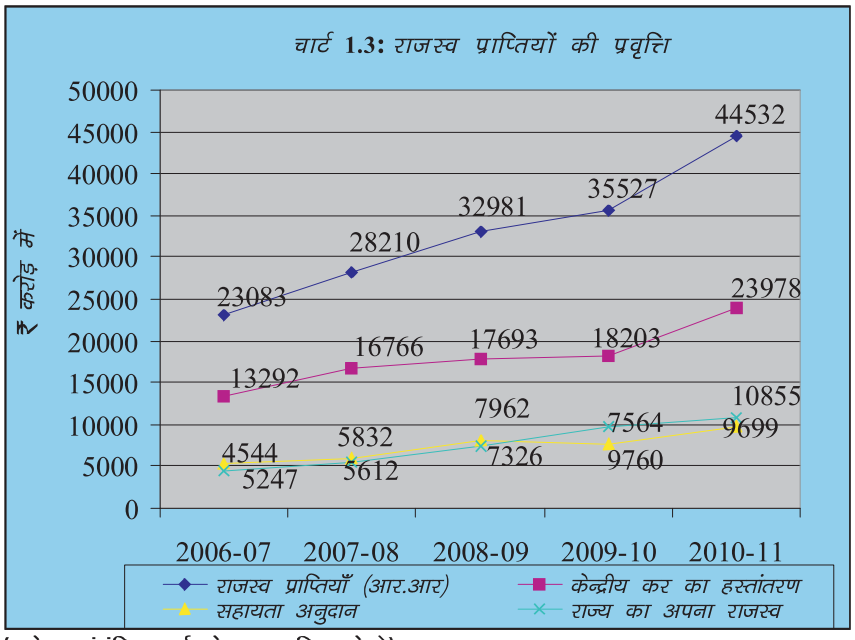
परिशिष्ट 1.5 बताता है, वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को 99 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 10309 करोड़ की निधि सीधे हस्तांतरित की गयी । यह वृद्धि मुख्यतः बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को निधियों का हस्तांतरण में ₹ 831 करोड़ (68 प्रतिशत), जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में ₹ 1339 करोड़ (42 प्रतिशत) एवं असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा) में ₹ 24 करोड़ (75 प्रतिशत) हुई, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को वर्ष 2010-11 में ₹ 3459 करोड़ का नया आवंटन किया गया । राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ₹ 401 करोड़ (95 प्रतिशत), राष्ट्रीय बाल श्रमिक योजना सह स्वैच्छिक एजेन्सी अनुदान में ₹ 10 करोड़ (56 प्रतिशत) एवं नये आई.आई.टी. की स्थापना में ₹ 33 करोड़ (62 प्रतिशत) के निधियों के हस्तांतरण में कमी हुई ।

चूँकि ये निधियाँ सरकारी लेखे से नहीं गुजरती इसलिए राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को भारत सरकार से सीधे हस्तांतरित किये गये राशि का इन संगठन द्वारा लेखे की अनदेखी एवं निधियों का अनुपयोगी पड़े रहने का खतरा बना रहता है । कार्यान्वित करने वाली संगठन के लेखा प्रचलन के एकरूपता के अभाव में इन कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा उपयुक्त प्रलेखीकरण नहीं किया जा रहा था । वित्त लेखे के व्यय के परिचालिका को कम आँका गया ।

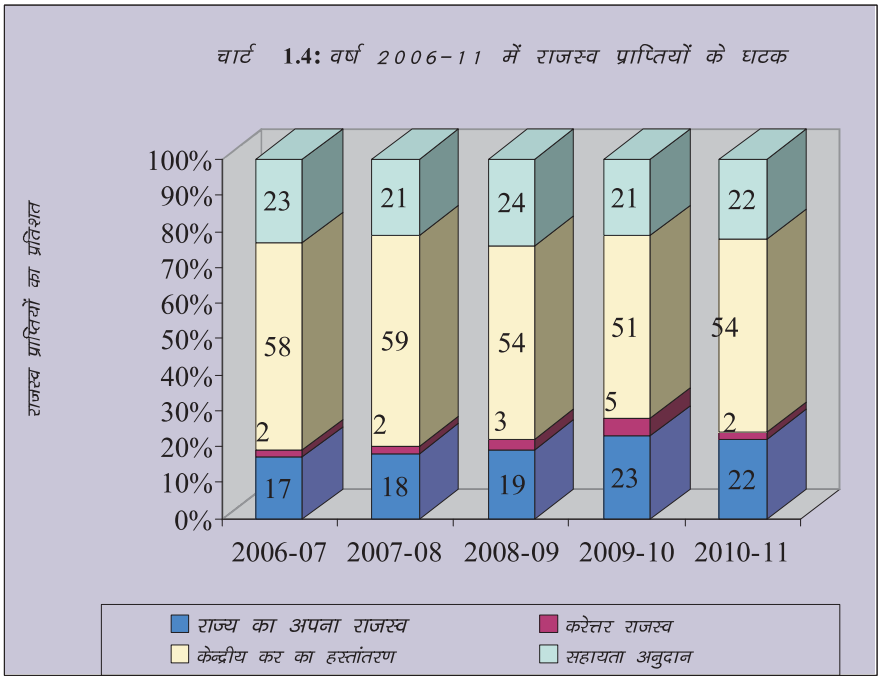
1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण संख्या-11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है । राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है । वर्ष 2006-11 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्ति को ***परिशिष्ट 1.4*** एवं **चार्ट 1.3** एवं **1.4** में भी क्रमशः दर्शाया गया है ।

[2] राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों में कोई भी संगठन/संस्थाएँ, वैसे गैर सरकारी संस्थाएँ शामिल है जो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से, राज्य में विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए राज्य क्रियान्वयन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति आदि निधि प्राप्त करने के लिए मान्य है ।



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों में 93 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसी अवधि में राज्य के अपने राजस्व में 139 प्रतिशत, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 85 प्रतिशत एवं केन्द्रीय कर के हस्तांतरण में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई । कुल राजस्व में राज्य के अपने राजस्व अंश (कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व) में वर्ष 2006-07 के 19 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010-11 में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह वृद्धि मुख्यतः करेत्तर राजस्व में वर्ष 2006-07 के ₹ 511 करोड़ की तुलना में वर्ष 2010-11 में ₹ 985 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई । भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं केन्द्रीय कर के हस्तांतरण के अंश में वर्ष 2006-07 की तुलना में 2010-11 में क्रमशः 23 प्रतिशत एवं 58 प्रतिशत से घटकर 22 प्रतिशत एवं 54 प्रतिशत हो गयी ।

वर्ष 2001-02 से 2009-10 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की मिश्रित विकास दर (17.41 प्रतिशत) सामान्य कोटि के राज्यों के विकास दर (15.20 प्रतिशत) से अधिक थी । वर्ष 2001-02 से 2010-11 अवधि के दौरान विकास दर 18.25 प्रतिशत रही ।

चालू मूल्य के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति को **तालिका 1.2** में दिखलाया गया है ।

तालिका **1.2:** सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व प्राप्तियाँ (आर आर) (₹ करोड़ में)	**23083**	**28210**	**32981**	**35527**	**44532**
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	29.41	22.21	16.91	7.72	25.35
आर. आर./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	23.18	24.61	23.14	22.91	20.90
उत्पलवता अनुपात[3]					
राजस्व उत्पलवता संदर्भ में जी.एस. डी.पी.	1.16	1.47	0.70	0.88	1.17
राज्य के निजी कर उत्पलवता जी. एस.डी.पी. के संदर्भ में	0.52	1.73	0.88	3.53	1.02
जी.एस.डी.पी. (करोड़ में)	**103317**	**118687**	**150709**	**175245**	**213073**
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	23.66	14.88	26.98	16.28	21.59

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 के बीच गिरावट की प्रवृत्ति रही जो 2006-07 में 29.41 प्रतिशत से 2009-10 में घटकर 7.72 प्रतिशत हो गया जबकि 2010-11 में कुछ वृद्धि के साथ 25.35 प्रतिशत रही जबकि राजस्व प्राप्तियों की तुलना में जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत अनुपात वर्ष 2009-10 में 22.91 से घटकर वर्ष 2010-11 में 20.90 हो गया । जी. एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य की निजी कर उत्पलवता वर्ष 2006-07 में 0.52 से बढ़कर 2010-11 में 1 .02 हो गयी जबकि जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राजस्व उत्पलवता बढ़कर 2006-07 के 1.16 से 2010-11 में 1.17 हो गयी ।

[3] उत्पलावकता अनुपात आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को इंगित करता है । जैसे-राजस्व उत्पलावकता 0.6 का मतलब है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत तक बढ़ेगा ।

1.3.1 राज्य के निजी संसाधन

चूँकि केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होता है, अतः केन्द्रीय कर प्राप्तियों का संग्रहण तथा योजना कार्यक्रम आदि हेतु केन्द्रीय सहायता और अतिरिक्त संसाधनों के संघटन में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन स्वयं के कर एवं करेत्तर संसाधनों के अनुसार होनी चाहिए ।

वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सरकार के वास्तविक कर एवं करेत्तर राजस्व साथ ही तेरहवें वित्त आयोग के आकलन एवं बजट प्राक्कलन को नीचे **तालिका 1.3** में दिखलाया गया है ।

तालिका **1.3** आकलन/प्रास्तावना एवं वास्तविक आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

	तेरहवीं वित्त आयोग का आकलन	राज्य के बजट प्राक्कलन	वास्तविक
कर राजस्व	8242	10644	9870
करेत्तर राजस्व	1654	1207	985

(स्त्रोत: राज्य के वित्त लेखे, तेरहवीं वित्त आयोग, बजट प्राक्कलन, 2010-11)

यद्यपि वर्ष 2010-11 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के आकलन के विरुद्ध राज्य सरकार कर राजस्व में ₹ 1628 करोड़ की वृद्धि हुई तथापि बजट प्राक्कलन से ₹ 774 करोड़ की कमी हुई जबकि वास्तविक करेत्तर राजस्व में तेरहवीं वित्त आयोग के आकलन एवं राज्य बजट प्राक्कलन के विरुद्ध क्रमशः ₹ 669 करोड़ एवं ₹ 222 करोड़ की कमी रही । राजस्व के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने का मुख्य कारण विविध सामान्य सेवाएँ में ₹ 770 करोड़ एवं ब्याज प्राप्तियाँ में ₹ 115 करोड़ के संग्रह में कमी होना था ।

कर राजस्व

कर राजस्व में वर्ष 2006-11 की अवधि में 145 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि वर्ष 2006-07 में ₹ 4033 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 9870 करोड़ हो गई । कर राजस्व में घटकवार वृद्धि **तालिका 1.4** में दिखाये गये हैं ।

तालिका **1.4:** कर राजस्व में **2006-11** में वृद्धि के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
बिक्री, व्यापार आदि पर कर .	2081	2535	3016	3839	4557
वृद्धि दर	20	22	19	27	19
राज्य उत्पाद शुल्क	382	525	679	1082	1523
वृद्धि दर	20	37	29	59	41
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	455	654	716	998	1099
वृद्धि	-10	44	10	39	10
वाहन पर कर	181	273	298	345	455
वृद्धि दर	-40	51	10	16	32

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

कर राजस्व में मुख्य अंश बिक्री, व्यापार इत्यादि पर लगाये गये कर राजस्व है और यह वर्ष 2006-07 में 52 प्रतिशत एवं वर्ष 2010-11 में 46 प्रतिशत रहा । मुद्रांक और निबंधन शुल्क का अंश करीब 11 प्रतिशत रहा । इस अवधि में राज्य उत्पाद के राजस्व कर का अंश नौ प्रतिशत से 16 प्रतिशत रहा जबकि वाहन कर का अंश चार से पाँच प्रतिशत रहा (***परिशिष्ट 1.6***) ।

वर्ष 2001-02 से 2009-10 की अवधि में कर राजस्व की मिश्रित विकास दर (16.90 प्रतिशत) सामान्य कोटि के राज्यों के विकास दर (14.53 प्रतिशत) से ज्यादा रहा । वर्ष 2001-02 से 2010-11 की अवधि में यह विकास दर बढ़कर 17.44 प्रतिशत हो गयी (*परिशिष्ट 1.1*) ।

1.3.2 कर संग्रहण पर व्यय

तालिका **1.5** वर्ष 2009-10 से 2010-11 के दौरान वृहद कर राजस्व के स्त्रोत, वृहद कर के सकल संग्रहण एवं संग्रहण में व्यय के साथ ही वर्ष 2009-10 के संपूर्ण भारत औसत को प्रदर्शित करता है ।

तालिका **1.5:** संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर प्रतिशत व्यय	सकल संग्रहण में व्यय	वर्ष 2009-10 के लिए संपूर्ण भारत की औसत प्रतिशतता
1.	वाणिज्यिक कर*	2009-10	5,541.00	48.84	0.88	0.96
		2010-11	6653.37	57.23	0.86	
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2009-10	1,081.68	44.02	4.07	3.64
		2010-11	1523.35	37.65	2.47	
3.	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2009-10	997.90	45.90	4.60	2.47
		2010-11	1098.68	46.58	4.24	
4.	वाहन कर	2009-10	345.13	10.41	3.02	3.07
		2010-11	455.43	16.92	3.72	

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

कर राजस्व के संग्रहण पर व्यय का परास वाणिज्य कर के मामले में 0.86 से 0.88 प्रतिशत रहा जो कि राष्ट्रीय औसत के 0.96 प्रतिशत से कम था । राज्य उत्पाद शुल्क के मामले में यह 2.47 प्रतिशत से 4.07 प्रतिशत रहा जबकि राष्ट्रीय औसत 3.64 प्रतिशत था । मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के मामले में यह 4.24 प्रतिशत से 4.60 प्रतिशत के बीच रहा जो कि राष्ट्रीय औसत 2.47 प्रतिशत से ज्यादा था । तदनुसार कर संग्रहण की लागत का परास वाहन कर के मामले 3.02 से 3.72 प्रतिशत के बीच रहा जबकि राष्ट्रीय औसत 3.07 प्रतिशत था जो **तालिका 1.5** में वर्णित है ।

1.3.3 राजस्व वापसी

वित्तीय वर्ष 2010-11 के प्रारंभ एवं अंत में राजस्व बकाये के लंबित मामले **तालिका 1.6** में दर्शाये गये हैं ।

* वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सकल संग्रहण में बिक्री कर/वैल्यू एडेड टैक्स (वैट), माल तथा यात्री पर कर, स्थानीय क्षेत्रों में माल पर प्रवेश कर, विद्युत कर तथा शुल्क एवं अन्य वस्तु एवं सेवा कर एवं शुल्क सम्मिलित है ।

तालिका 1.6: राजस्व बकाये की लंबित मामलों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

कम सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		स्थानीय क्षेत्रों में माल पर प्रवेश कर		मनोरंजन कर	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष 2010-11 के शुरू में लंबित दावा	2340	9506.77	103	96.74	06	2.00
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावा	144	2272.93	01	563.20	शून्य	शून्य
3.	वर्ष के दौरान बकाया वापसी	174	1079.83	01	563.20	शून्य	शून्य
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	2310	10699.87	103	96.74	06	2.00

(स्त्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार)

1.3.4 राजस्व बकाया

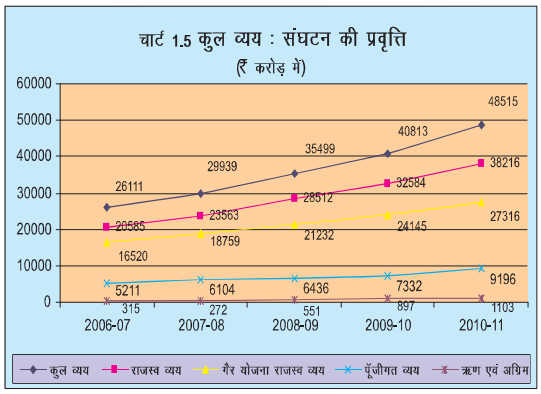
राजस्व के मुख्य शीर्ष में (सात विभागों द्वारा सूचित) 31 मार्च 2011 को राजस्व बकाया ₹ 1198.24 करोड़ थे जिसमें ₹ 598.99 करोड़ पाँच वर्ष से ज्यादा समय से लंबित थे जो ***परिशिष्ट 1.7*** में वर्णित है ।

1.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य स्तर पर व्यय के विनिधान/प्रावधानों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें ही सुपुर्द हैं । राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अंतर्गत घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय बाध्यता थी । यह, तथापि, सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जारी राजकोषीय शुद्धि और राज्य स्तर पर सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया व्यय, विशेषकर विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त व्यय की लागत पर न हो ।

1.4.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.5 पाँच वर्षों (2006-11) के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है । इसके संघटक दोनों शब्दों "आर्थिक वर्गीकरण" और क्रियाकलापों द्वारा व्यय के क्रम को क्रमशः **चार्ट 1.6** एवं **1.7** में चित्रित किया गया है ।



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

तालिका 1.7 पिछले पांच वर्षों (2006-11) के पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर्शाता हैं:

तालिका **1.7:** पूँजीगत व्यय की बढ़त

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
पूँजीगत व्यय	5211	6104	6436	7332	9196
वृद्धि दर (प्रतिशत)	150	17	05	14	25
कुल व्यय की प्रतिशतता	20	20	18	18	19

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

पांच वर्षों (2006-11) की अवधि में कुल व्यय में 86 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि में, राजस्व व्यय में 86 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पूँजीगत व्यय में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यद्यपि, कुल व्यय में एन. पी. आर. ई. की हिस्सेदारी वर्ष 2006-07 में 63 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010-11 में 56 प्रतिशत हो गई जैसा कि चार्ट **1.5** में दर्शाया गया हैं। वर्ष 2001-02 से 2009-10 में पूँजीगत व्यय की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (33.14 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी राज्यों के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (22.61 प्रतिशत) से ज्यादा थी । वर्ष 2001-02 से 2010-11 की अवधि में यह वृद्धि दर घटकर 32.22 प्रतिशत हो गई (*परिशिष्ट 1.1*)।

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के अवधि में ऋणों एवं अग्रिमों की वितरण में भी 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कुल व्यय में ऋणों एवं आग्रिमों की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से बढ़कर दो प्रतिशत हो गई ।

वर्ष 2001–02 से 2009–10 में, कुल व्यय का चक्रवृद्धि वृद्धि दर (16.02 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी राज्यों के चक्रवृद्धि वृद्धि दर (13.53 प्रतिशत) से ज्यादा थी । वर्ष 2001–02 से 2010–11 की अवधि में यह वृद्धि बढ़कर 16.31 प्रतिशत हो गई । वर्ष में कुल व्यय में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल व्यय में योजना एवं गैर योजना के बीच क्रमशः 44 प्रतिशत एवं 56 प्रतिशत में बाँटा गया ।

चार्ट 1.6: कुल व्यय घटकों में हिस्से की प्रवृत्तियाँ



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2006–07 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 78 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 79 प्रतिशत हो गया जबकि वर्ष 2006–07 में कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश 20 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010–11 में 19 प्रतिशत हो गया । इस अवधि के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों का अंश स्थिर रहा । गैर योजना राजस्व व्यय एवं कुल व्यय का अनुपात वर्ष 2006–07 में 63 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010–11 में 56 प्रतिशत हो गया । गैर–योजना राजस्व व्यय एवं जी.एस.डी. पी. का अनुपात वर्ष 2006–11 में 16 प्रतिशत से घटकर 13 प्रतिशत हो गया ।

चार्ट 1.7: कुल व्यय घटकों की प्रवृत्तियाँ



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

व्यय के इन घटकों के पारस्परिक अंश का संचलन यह प्रदर्शित करता है कि ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं का अंश 34 प्रतिशत (2006-07) से घटकर वर्ष 2010-11 में 32 प्रतिशत हो गया जबकि उक्त अवधि के दौरान आर्थिक सेवाओं का अंश स्थिर रहा । सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं का संयुक्त अंश जो विकास व्यय को प्रदर्शित करता है, इस अवधि के दौरान स्थिर रहा ।

राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 2009-10 में 17 प्रतिशत बढ़कर ₹ 32584 करोड़ से वर्ष 2010-11 में ₹ 38216 करोड़ हो गया जो मुख्यतः पेंशन (₹ 1825 करोड़) एवं ब्याज भुगतान (₹ 634 करोड़) पर अधिक व्यय होने के कारण सामान्य सेवाओं (₹ 3085 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण हुआ।

शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति (₹ 684 करोड़), सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार (₹ 643 करोड़), जलापूर्ति एवं स्वच्छता(₹ 260 करोड़) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 114 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 1904 करोड़ की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय का गैर योजना राजस्व व्यय एवं योजना राजस्व व्यय में विभाजन यह दर्शाता हैं कि गैर योजना राजस्व व्यय का समानुपातिक अंश योजना राजस्व व्यय से अपेक्षाकृत अधिक था। ₹ 5632 करोड़ के कुल वृद्धि में ₹ 3171 करोड़ एवं ₹ 2461 करोड़ क्रमशः गैर योजना एवं योजना व्यय सम्मिलित है।

वर्ष 2010-11 में गैर योजना राजस्व व्यय ₹ 27316 करोड़, तेरहवें वित्त आयोग (₹ 24787 करोड़) के सामान्य आकलन से अधिक था परंतु बजट अनुमान (₹ 29683 करोड़) से कम था ।

1.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व खाते से संबंधित प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज अदायगी, वेतन, पेंशन तथा रियायतें शामिल है । वर्ष 2006-11 के दौरान इन मदों से संबंधित व्यय की प्रवृति **तालिका 1.8** में दर्शायी गयी है।

तालिका **1.8:** प्रतिबद्ध व्यय के अवयव

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन जिसमें से	**6016.21** (26.06)	**6469.53** (22.93)	**7545.61** (22.88)	**9658.74** (27.18)	**10091.59**	**10549.85** (23.69)
गैर योजना शीर्ष	***5538.57***	***5914.81***	***6995.31***	***9001.42***	अनुपलब्ध	**9953.36**
योजना शीर्ष	*477.64*	*554.72*	*550.30*	*657.32*	अनुपलब्ध	596.49
ब्याज अदायगी	3416 (14.80)	3707 (13.14)	3753 (11.38)	3685.48 (10.37)	4513.10	4319.16 (9.70)
पेंशन अदायगी	2497 (10.82)	2789 (9.89)	3479.03 (10.55)	4318.70 (12.16)	5873.47	6143.86 (13.80)
रियायतें	-	-	861.58 (2.61)	944.39 (2.66)	-	1349.96 (3.03)
कुल प्रतिबद्ध व्यय	11929.21 (52)	12965.53 (46)	15639.22 (47)	18607.31 (52)	-	22362.83 (50)
अन्य (मद) अवयव	8655.79 (38)	10597.47 (38)	12872.78 (39)	13976.69 (39)	-	15853.17 (35)
कुल राजस्व व्यय	20585	23563	28512	32584	40678	38216
राजस्व प्राप्तियाँ	23083	28210	32981	35527	47235	44532

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

कोष्टक में दिये गये आंकड़ें राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाता है ।

*** योजना शीर्ष में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के अंतर्गत वेतन पर किया गया व्यय शामिल है ।**

वेतन

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान वेतन पर होने वाले व्यय (₹ 10550 करोड़) में 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2001-02 से 2009-10 की अवधि में वेतन व्यय से संबंधित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (7.85 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (11.45 प्रतिशत) की तुलना में कम थी, वर्ष 2001-02 से 2010-11 की अवधि में यह वृद्धि दर आठ प्रतिशत बढ़ गई (***परिशिष्ट 1.1***) । वेतन पर किया गया व्यय तेरहवें वित्त आयोग (₹ 9165 करोड़) तथा बजट अनुमान (₹ 10092 करोड़) द्वारा किए गए आकलन से क्रमशः 15 प्रतिशत तथा पांच प्रतिशत अधिक था ।

ब्याज अदायगी

ब्याज अदायगी (₹ 4319 करोड़) में पिछले पांच वर्षो में (2006-11) 26 प्रतिशत तथा पूर्व वर्ष में 17 प्रतिशत (₹ 634 करोड़) की वृद्धि हुई । ब्याज अदायगी की यह प्रतिशतता राजस्व प्राप्ति के मामले में वर्ष 2006-07 में 15 से घटकर वर्ष 2010-11 में 10 हो गयी। वर्ष 2010-11 में ब्याज अदायगी तेरहवें वित्त आयोग के आकलन (₹ 4439 करोड़) तथा बजट अनुमान (₹ 4513 करोड़) के अधीन थी ।

पेंशन भुगतान

वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान (₹ 6144 करोड़) में 146 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परन्तु इसके राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता वर्ष 2006-07 के 11 से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 14 हो गयी। वर्ष 2001-02 से 2009-10 की अवधि के दौरान पेंशन (8.35 प्रतिशत) व्यय का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, सामान्य श्रेणी राज्यों के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (14.09 प्रतिशत) से कम था। तथापि इस वृद्धि दर में वर्ष 2001-02 से 2010-11 के दौरान 11.67 प्रतिशत तक वृद्धि हुई (***परिशिष्ट 1.1***)। पेंशन भुगतान पर व्यय वर्ष 2010-11 में तेरहवें वित्त आयोग (₹ 3859 करोड़) के निर्धारण एवं बजट प्राक्कलन (₹ 5873 करोड़) से कमशः 59 प्रतिशत एवं पाँच प्रतिशत अधिक था।

रियायतें

किसी भी कल्याणकारी राज्य में सामाज के वंचित श्रेणी के लोगो को अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना सामान्य बात हैं। जनता को अनुदान प्रत्यक्ष का परोक्ष रूप से अनुदानित लोक सेवा के द्वारा दिया जा सकता है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता निवेशों पर अपर्याप्त वापसी और सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से सेवा शुल्क जो की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, की कम वसूली अप्रत्यक्ष अनुदान की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

अनुदान पर भुगतान पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 406 करोड़ (43 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो की वर्ष 2010-11 में ₹ 1350 करोड़ हो गया जो कि राजस्व प्राप्ति का तीन प्रतिशत था । कुल अनुदान ₹ 1350 करोड़ में से ₹ 1080 करोड़ (80 प्रतिशत संसाधन पूर्ति हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ₹ 840 करोड़ और ग्रामीण स्वच्छता के लिए ₹ 70.84 करोड़, उद्योग विभाग को विद्युत अनुदान के लिए ₹ 65.61 करोड़ पिछले वर्ष के विरूद्ध प्रदान किया गया ।

1.4.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

तालिका 1.9 स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानो को वित्तीय सहायता	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
शैक्षणिक संस्थानों (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय)	845.17	808.58	966.80	613.07	1940.11
नगर निगम एवं नगर निकाय	141.13	209.40	950.04	997.68	690.21
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थान	6.50	13.16	900.05	1395.22	1515.34
विकास एजेन्सियाँ	3.20	1.88	26.84	984.13	394.24
अस्पतालों एवं अन्य सहायतार्थ संस्थान	-	5.00	20.51	33.44	53.67
अन्य संस्थान	21.23	95.35	1558.25	356.33	28.25
कुल	**1017.23**	**1133.37**	**4422.49**	**4379.87**	**4621.82**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के अनुसार सहायता	**4.94**	**4.81**	**15.51**	**13.44**	**12.09**

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2010-11 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता, वर्ष 2006-07 के ₹ 1017.23 करोड़ की तुलना में ₹ 4621.82 करोड़ की वृद्धि हुई जो राजस्व व्यय का 12 प्रतिशत था । उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट होता है कि वित्तीय सहायता में वर्ष 2009-10 के ₹ 4379.87 करोड़ के

तुलना में वर्ष 2010-11 में ₹ 4621.82 करोड़ की वृद्धि हुई । विगत वर्ष से ₹241.95 करोड़ (5.52 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्थानों (₹ 1327.04 करोड़) जिला परिषद् और पंचायती राज संस्थानों (₹ 120.12 करोड़) अस्पताल और अन्य सहायतार्थ संस्थानों (₹ 20.23 करोड़) की सहायता में वृद्धि के कारण था।

यद्यपि विकास एजेन्सियों, नगर निगमों और नगरपालिकाओं एवं अन्य संस्थानों को सहायता राशि क्रमशः ₹ 589.89 करोड़, ₹ 307.47 करोड़ एवं ₹ 328.08 करोड़ कम हुई ।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है । व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन अवयवों पर निर्भर करता है जैसे व्यय की पर्याप्तता, लोक सेवाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान, व्यय करने की क्षमता और व्यय की प्रभावकारिता (चुनिंदा सेवाओं के लिए खर्च परिणाम संबंधी निर्धारण) सम्मिलित हैं ।

1.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

समाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय दायित्वों को बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को सौपा जाता है। मानवीय विकास स्तरो में वृद्धि हेतु राज्यो को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सदृश सामाजिक सेवाओ पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (एकत्रित व्यय के श्रेणी के अंतर्गत व्यय का औसत), अगर अपने राष्ट्रीय औसत से निम्न है, इसे संबधित क्षेत्र से संयुक्त किया जाता है । **तालिका 1.10** वर्ष 2010-11 के अवधि में विकास व्यय, सामाजिक व्यय और पूँजीगत व्यय से संबधित राज्य सरकार के राजकोषीय प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है ।

तालिका 1.10: वर्ष 2007-08 और 2010-11 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता एवं क्षमता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	ए. ई./ जी एस डी पी	डी. ई./ ए. ई.	एस.एस.ई./ ए. ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य/ ए.ई
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात)2007-08	17.09	64.28	32.54	16.14	14.64	3.98
बिहार राज्य का औसत (अनुपात) 2007-08	25.23	67.43	35.63	20.39	18.55	4.63
सामान्य श्रेणी का औसत (अनुपात) 2010-11	16.68	64.29	36.68	13.25	17.39	4.34
बिहार राज्य औसत (अनुपात) 2010-11	22.77	65.39	33.31	18.95	16.99	3.44

सी.ई.:पूँजीगत व्यय, डी ईः विकास व्यय, एसएसई : सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, सी ईः पूँजीगत व्यय
स्त्रोतः जी. एस. डी. पी. के अनुसार, राज्य के सांख्यिकी एवं आर्थिक निदेशालय द्वारा भेजी गई सूचना ।

तालिका 1.10 निम्न को दर्शाती है :

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राज्य सरकार का समस्त व्यय औसत सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में वर्ष 2007-08 एवं 2010-11 दोनों में अधिक था ।
- समस्त व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय भी सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत की तुलना में अधिक रहा ।
- वर्ष 2007-08 में सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा शिक्षा क्षेत्र में दी गई पर्याप्त प्राथमिकता को बनाए नहीं रखा जा सका तथा वर्ष 2010-11 में इन क्षेत्रों पर व्यय सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत की तुलना में कम हुआ।

- सामान्य श्रेणी के राज्यों की औसत की तुलना में वर्ष 2007-08 एवं 2010-11 में अनुपातिक रूप से पूँजीगत व्यय उच्चत्तर रहा है । भौतिक पूँजी की रचना की बढ़ी प्राथमिकता से टिकाऊ परिसंपत्ति के सृजन के साथ राज्य के विकास में वृद्धि की आशा भी बढ़ेगी ।

1.5.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

विकास शीर्षों[4] पर लोक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को तीव्रतर करने हेतु राज्य सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह उचित व्यय का युक्तिसंगत उपाय करे तथा कोर पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स[5] के प्रावधान पर बल दे। विकासात्मक व्यय[6] के आवंटन में सुधार करने के अलावा, हाल के वर्षों में, विशेषकर ऋण वितरण में कमी के कारण राजकोषीय अंतर के परिपेक्ष्य में, व्यय के उपयोगिता की दक्षता, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय (एवं/या सकल राज्य घरेलु उत्पाद) के समानुपात तथा वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण पर हुए राजस्व व्यय के अनुपात द्वारा प्रतिबिंबित होता है। कुल व्यय (तथा/या सकल राज्य घरेलु उत्पाद) पर इन घटकों का उच्चतर अनुपात व्यय का बेहतर गुण होगा ।

सामाजिक-आर्थिक सेवाओं में ऋण तथा अग्रिम सहित विकासात्मक व्यय में राजस्व एवं पूँजीगत व्यय समाविष्ट होते हैं। **तालिका 1.11** तथा **चार्ट 1.8** वर्ष 2006-11 के दौरान राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष 'विकासात्मक व्यय' के प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है । **तालिका 1.12** वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर हुए पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के अवयवों का विवरण प्रस्तुत करता है ।

[4] विकास शीर्षों के अंतर्गत विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है ।

[5] कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सार्वजनिक रूप में इस तरह उपयोग में लाते है कि व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके उपयोग से कोई अंतर नहीं पड़ता है जैसे विधि-व्यवस्था का लागू होना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं अन्य पर्यावरण संबंधी सामान तथा सड़क संरचना आदि ।

मेरिट गुड्स वे सौदा है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुक्त अथवा अनुदानित दरों पर मुहैया करता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा सोसाइटी को उन्हें अपनी आवश्यकता क्षमता और इच्छा के आधार पर लेना होगा जबकि सरकार को इसके लिए भुगतान करना होगा और इसलिए भुगतान करना होगा जब वह इनके उपयोग को बढ़ाना चाहती है । ऐसे सामानों में गरीबों के लिए मुफ्त या अनुदानित दरों पर पौष्टिक आहार, जीवन की गणवत्ता में सुधार लाने और बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुर्पुदगी, सभी को बुनियादी शिक्षा, पेय जल एवं स्वच्छता आदि शामिल है ।

[6] व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर – विकास व्यय के रूप में अलग-अलग किया गया है । राजस्व लेखा से संबंधित सभी व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिमों को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाएँ की श्रेणियों में रखा गया है । विस्तृत रूप में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास संबंधी व्यय, जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय माना गया है ।

तालिका-1.11: कुल व्यय से संबधित विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासात्मक व्यय के अवयव	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
विकास व्यय (क से ग तक) कुल व्यय से विकास व्यय का प्रतिशत	17302 (66.26)	20452 (68.31)	24752 (69.73)	28222 (69.15)	32814 (67.64)
क. विकास राजस्व व्यय	11938 (45.72)	14306 (47.78)	17978 (50.64)	20274 (49.68)	22926 (47.26)
ख. विकास पूँजीगत व्यय	5056 (19.36)	5881 (19.64)	6230 (17.55)	7058 (17.29)	8800 (18.14)
ग. विकास ऋण एवं अग्रिम	308 (1.18)	265 (0.89)	544 (1.53)	890 (2.18)	1088 (2.24)

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

(**नोटः कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।**)

चार्ट 1.8: विकास व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान विकास व्यय में 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह व्यय कुल व्यय का 68 प्रतिशत है तथा यह वर्ष 2009-10 में ₹ 28222 करोड़ से ₹ 4592 करोड़ (16 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 32814 करोड़ हो गया। विकास व्यय का 70 प्रतिशत राजस्व व्यय था जबकि ऋण एवं अग्रिम सहित पूँजीगत व्यय का अंश 30 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान विकास पूँजी व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत बढ़ा, जो यह इंगित करता है कि परिसंपत्ति के सृजन में अधिक व्यय हुआ।

तालिका 1.12: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशतता)

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2009-10		2010-11	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश	राजस्व व्यय में अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश	राजस्व व्यय में अंश
		वेतन		वेतन
सामाजिक सेवाएँ (एस. एस.)				
सामान्य शिक्षा	3.88	73.33	0.15	44.60
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7.99	66.21	9.90	73.32
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	24.42	11.28	27.06	10.28
कुल (एस एस)	7.85	38.67	6.71	43.25
आर्थिक सेवाएं (ई एस)				
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	0.07	26.19	0.83	19.57
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	60.05	68.80	51.04	47.73
विद्युत एवं ऊर्जा	30.23	-	45.31	-
परिवहन	81.59	22.55	86.52	25.73
योग (आर्थिक सेवाएँ)	**49.08**	**22.87**	**55.51**	**22.86**
योग (सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ)	**28.18**	**33.14**	**30.72**	**36.80**

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

(टी ई- कुल व्यय, सी ई- पूँजीगत व्यय, आर ई- राजस्व व्यय)

कुल व्यय के संदर्भ में सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2009-10 के 7.85 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010-11 में 6.71 हो गया जबकि आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2009-10 के 49.08 से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 55.51 प्रतिशत हो गया।

वेतन पर व्यय का अंश वर्ष 2009-10 के 38.67 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 43.25 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतन अंश वर्ष 2009-10 के 22.87 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 22.86 प्रतिशत हो गया। संयुक्त रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अर्न्तगत, वेतन का अंश वर्ष 2009-10 के 33.14 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 36.80 प्रतिशत हो गया।

1.6 सरकारी व्ययों एवं निवेशों का विश्लेषण

वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लागू होने के बाद राज्य सरकार से यह आशा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटा (और उधार) को न केवल न्यून स्तर पर रखे बल्कि पूँजीगत व्यय एवं निवेश (ऋण एवं अग्रिमों के साथ) को भी पूरा करें । इसके अतिरिक्त बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त लाभ अर्जित करने के लिए एवं उधार निधि के

अपने व्यय की वापसी के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है न कि उसे अपने बजट में निहित आर्थिक सहायता के रूप में ढोने और वित्तीय कार्यवाही में पारदर्शिता दर्शाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है । यह भाग चालू वर्ष यथा पूर्व वर्षों के दौरान राज्य सरकार के निवेशों एवं अन्य पूँजी व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत करता हैं ।

1.6.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

मुकदमेबाजी के कारण रूके कार्य सहित अपूर्ण कार्यों पर निधि के अवरूद्ध होने से व्यय की गुणवत्ता पर नकरात्मक प्रभाव पड़ा । **तालिका 1.13** में 31 मार्च 2011 तक के अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार सूचनाएँ दी गई हैं । सम्मिलित रूप से 350 योजनाओं/परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 2819.35 करोड़) को मार्च 2011 तक पूर्ण होना था परंतु वे अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 1004.74 करोड़ अवरूद्ध हो गया । इसके अलावा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (07), पथ निर्माण विभाग (02) और जल संसाधन विभाग (08) के अंतर्गत 17 योजना/अपुर्ण परियोजनाओं में लागत की अधिकता वास्तविक अनुमान से ₹ 15.14 करोड़ की सीमा पार कर गई जैसा कि ***परिशिष्ट 1.8*** में दर्शाया गया है ।

तलिका **1.13:** अपूर्ण परियोजनाओं का विभाग वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	लागत वृद्धि		मार्च 2011 को संचित व्यय
			संख्याा	राशि	
भवन निर्माण विभाग	39	798.59	-	-	247.67
ग्रामीण कार्य विभाग	09	29.57	-	-	8.64
पथ निर्माण विभाग	51	702.21	02	3.23	127.07
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	119	559.04	07	4.46	258.74
जल संसाधन विभाग	132	729.94	08	7.45	362.62
कुल	**350**	**2819.35**	**17**	**15.14**	**1004.74**

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

निर्दिष्ट समय–सीमा के अंदर इन परियोजनाओं/कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण न केवल मूल्य आदि में वृद्धि हुई वरन् राज्य भी लम्बे समय से इन लाभों से वंचित रहा।

1.6.2 निवेश एवं वापसी

31 मार्च 2011 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों में ₹ 905.24 करोड़ निवेश किया था, जो कि **तालिका 1.14** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-**1.14:**निवेश पर वापसी

निवेश/वापसी/ऋणो पर लागत	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	821.10	828.68	832.18	856.18	905.24
वापसी (₹ करोड़ में)	0.04	3.19	2.14	2.06	2.53
वापसी (प्रतिशत)	0.00	0.38	0.26	0.24	0.28
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.15	7.15	7.93	6.48	6.87
ब्याज दर एवं वापसी के बीच का अंतर (प्रतिशत)	7.15	6.77	7.67	6.24	6.59

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

अंतिम पाँच वर्षों के निवेश पर औसत वापसी 0.23 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2006-11 के दौरान इन ऋणों पर सरकार द्वारा 7.11 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया गया।

यद्यपि वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 तक पाँच वर्षों की अवधि के दौरान सरकारी निवेश में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि निवेशो से वापसी वर्ष 2006-07 के 0.04 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 2.53 करोड़ हो गया। निवेश पर प्रतिशत वापसी भी वर्ष 2006-07 के शून्य से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 0.28 हो गया। वर्ष 2006-11 में सरकारी ऋणों पर सरकार द्वारा 7.15 से 6.87 प्रतिशत की दर से औसत भुगतान किया गया।

तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार सभी राज्यों को मार्च 2011 तक अकार्यरत लोक क्षेत्र उपक्रमो को समेटने हेतु रोड मैप तैयार किया जाना था, लेकिन संबंधित विभागों द्वारा इस संबध में कोई विस्तृत योजना तैयार नहीं किया गया।

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त सरकार कई संस्थानों एवं संगठनों को भी ऋण एवं अग्रिम धन राशि दे रही है । **तालिका 1.15** बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा ब्याज प्राप्तियों की स्थिति को तथा विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज के भुगतानों को दर्शाती है ।

तालिका-**1.15:** राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियाँ/ऋण लागत की मात्रा	2008-09	2009-10	2010-11
पूर्व शेष	14128.10	14667.83	15551.42
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	551.05	896.79	1102.63
वर्ष के दौरान वापसी राशि	11.32	13.20	11.86
अंतिम शेष	**14667.83**	**15551.42**	**16642.19**
जिसमें से बकाया शेष जिनकी शर्तें नियत की गई है			
निवल योग	539.73	883.59	1090.77
ब्याज प्राप्तियाँ	304.57	353.27	237.96
बकाया ऋण एवं अग्रिम के ब्याज प्राप्ति की प्रतिशतता	2.08	2.27	1.43
राज्य सरकार के बकाया वित्तीय दायित्व ब्याज के भुगतान की प्रतिशतता .	6.83	6.28	6.87
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्ति का अंतर (प्रतिशत)	4.75	4.01	5.44

(स्त्रोतः संबधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

31 मार्च 2010 को ₹ 15551 करोड़ बकाया रकम के विरूद्ध 31 मार्च 2011 को कुल ₹ 16642 करोड़ का ऋण एवं अग्रिम बकाया था। वर्ष 2010-11 में ऋण एवं अग्रिमों पर 1.43 प्रतिशत ब्याज प्राप्त किया गया था। वर्ष के दौरान कुल अग्रिम ₹ 1103 करोड़ में से ₹ 1087.77 करोड़ आर्थिक सेवाओं(₹ 834.42 करोड़ ऊर्जा परियोजना के लिये, और शेष ₹ 238.49 करोड़ और ₹ 14.86 करोड़ सरकारी सेवकों) के लिए था ।

1.6.4 नगद शेष एवं नगद शेष का निवेश

तालिका 1.16 वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए नगद शेष एवं नगद शेष के निवेश को दर्शाता है ।

तालिका-**1.16:** नगद शेष एवं नगद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल **2010** को	**31** मार्च **2011** को	वृद्धि/कमी
नगद शेष	2291.13	2735.44	444.31
नगद शेष से निवेश (क से घ)	4347.04	2294.80	(-)2052.24
(क) भारत सरकार की कोषागार बिल	0.00	0.00	0.00
(ख) भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	4342.39	2290.15	(-)2052.24
(ग) अन्य राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	4.65	4.65	0.00
(घ) अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00
तारांकित शेष (क से ग) से निवेश का निधिवार विखण्डन	280.10	440.10	(+)160
(क) अकाल राहत कोष	0.10*	0.10	0.00
(ख) निक्षेप निधि	280.00	440.00	(+)160
ब्याज प्राप्ति	327.48	222.08	(-)105.40

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

***वृद्धि नहीं, 0.0961 पूर्णांक आंकड़ा स्वीकार्य**

वर्ष के दौरान नगद शेष ₹ 2291.13 करोड़ से बढ़कर ₹ 2735.44 करोड़ हो गया । फिर भी, नगद शेष से निवेश ₹ 4347.04 करोड़ से घटकर ₹ 2294.80 करोड़ हो गया। तारांकित शेष से निवेश में 1 अप्रैल 2010 को ₹ 280.10 करोड़ से ₹ 160 करोड़ बढ़कर ₹ 440.10 करोड़ हो गया। वर्ष 2010-11 के दौरान निवेश पर ₹ 222.08 करोड़ के ब्याज की प्राप्ति वर्ष 2009-10 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 327.48 करोड़) से ₹ 105.40 करोड़ (32 प्रतिशत) कम था ।

1.7 परिसंपत्ति एवं देनदारी

1.7.1 परिसंपति एवं देनदारी की वृद्धि एवं संरचना

सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली में सरकार की भूमि और भवन जैसी निर्धारित परिसंपत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया गया तथापि सरकारी लेखा में सरकार की देनदारी तथा हुए व्यय से सृजित परिसंपत्तियाँ समाहित है । ***परिशिष्ट 1.9*** में 31 मार्च 2011 एवं 31 मार्च 2010 तक की ऐसी परिसंपत्ति एवं देनदरी की स्थिति का तुलनात्मक सार दिया गया है । जबकि इस परिशिष्ट में दर्शायी गयी देनदारी में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम की राशि, लोक लेखा से प्राप्तियाँ तथा आरक्षित निधि शामिल है, परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूंजी परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा प्रदत ऋण एवं अग्रिम धन तथा रोकड़ शेष शामिल है।

"समग्र देनदारी" जैसा कि बिहार राजकोषीय दायित्व अधिनियम में परिभाषित किया गया है यह राज्य की संचित निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत आने वाली देनदारी है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के ऋण और विशेष उद्देश्य हेतु विशिष्ट उद्देशीय परिवहन गारंटी जिनके मूलधन और/या ब्याज की देनदारी राज्य के बजट से ही दी जाती है, सम्मिलित है ।

1.7.2 राजकोषीय दायित्व

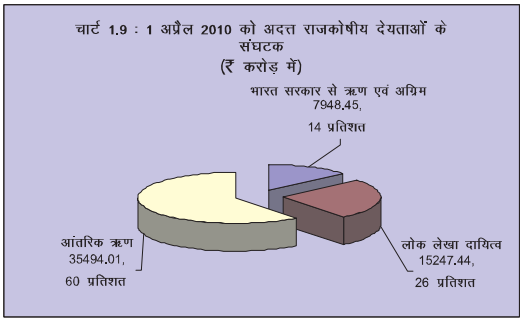
तालिका 1.17 में राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्वों के प्रवृत्ति को दर्शाया गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष यथा पूर्व के वर्षो के राजकोषीय दायित्वों की संरचना को **चार्ट 1.9** तथा **1.10** में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.17: बकाया राजकोषीय दायित्व[7]

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राशि (₹ करोड़ में)	49089	50989	54977	58690	62858
वृद्धि दर	5.58	3.87	7.82	6.75	7.10
राजकोषीय देयताओं का निम्न से अनुपात					
सकल राज्य घरेलु उत्पाद	0.475	0.429	0.365	0.335	0.295
राजस्व प्राप्ति	212.66	180.75	166.69	165.20	141.15
स्वयं के संसाधन	1080.3	908.57	750.44	601.33	579.07
राजकोषीय देयताओ की निम्न से उप्लावकता					
सकल राज्य घरेलु उत्पाद	0.24	0.26	0.29	0.41	0.33
राजस्व प्राप्ति	0.19	0.17	0.46	0.87	0.28
स्वयं के संसाधन	0.49	0.16	0.26	0.20	0.63

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

चार्ट 1.9 : 1 अप्रैल 2010 को अदत्त राजकोषीय देयताओं के संघटक
(₹ करोड़ में)

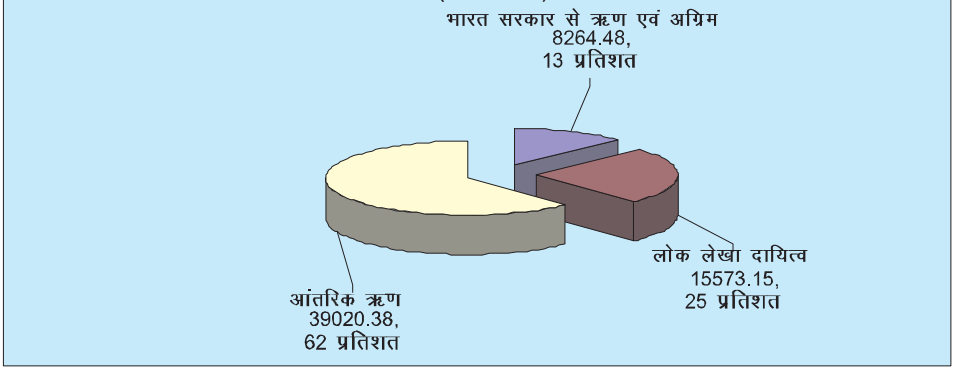


(स्त्रोतः वर्ष 2009–10 के राज्य वित्त लेखे)

[7] बाजार ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि से प्राप्त ऋण तथा अन्य बाध्यता।

चार्ट 1.10 : 31 मार्च 2011 को अदत्त राजकोषीय देयताओं के संघटक

(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः वर्ष 2010–11 के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की कुल राजकोषीय देयताएं वर्ष 2009–10 के स्तर ₹ 58690 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 62858 करोड़ हो गयी। पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2010–11 में वृद्धि दर 7.10 प्रतिशत था। राजकोषीय देयता के विकास दर में 6.75 प्रतिशत (2009–10) से 7.10 प्रतिशत (2010–11) की वृद्धि रही तथा जी. एस. डी. पी. के प्रति राजकोषीय दायित्व को अनुपात में वर्ष 2010–11 के दौरान 0.475 (2006–07) प्रतिशत से घटकर 0.295 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2010–11 के अंत तक राज्य की देयता राजस्व प्राप्ति के 1.41 गुणा तथा राज्य की निजी संसाधन के 5.79 गुणा तक स्थिर रही । वर्ष के दौरान जी. एस. डी. पी. के संबंध में इन देयता की उत्प्लावकता 0.33 था जो यह दर्शाता है कि जी. एस. डी. पी. में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि पर राजकोषीय दायित्व 0.33 प्रतिशत बढ़ा (*परिशिष्ट 1.6*) ।

आगे राजकोषीय देयता वर्ष 2006–07 में ₹ 49089 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 62858 करोड़ हो गई। 31 मार्च 2011 तक निक्षेप निधि का बकाया शेष ₹ 440 करोड़ था, इसमें वर्ष 2010–11 के दौरान हुई वृद्धि ₹ 160 करोड़ सम्मिलित है।

1.7.3 प्रत्याभूति की स्थिति – आकस्मिक देयतायें

यदि उधार लेने वाला जिसके लिये प्रत्याभूति का विस्तार किया गया और उसके द्वारा ऋण की अदायगी नहीं किया जाता है तो गारंटी राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयता होते हैं । संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्य विधान मंडल द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं पारित किया गया है जिसके निर्धारित सीमा के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि के प्रतिभूति पर गारंटी दिया जा सके । वित्त लेखा के विवरणी संख्या 9 के अनुसार अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार द्वारा गारंटी दिया गया और विगत तीन वर्षो का लंबित गारंटी **तालिका 1.18** में दिया गया।

तालिका -1.18: बिहार सरकार द्वारा दी गई गारंटी

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2008-09	2009-10	2010-11
गारंटी की अधिकतम राशि	1547.73	1547.73	1549.03
गारंटी की लंबित राशि (पूँजी)	704.24	898.83	587.96
कुल राजस्व प्राप्ति से अधिकतम गारंटी राशि की प्रतिशतता	4.69 (32981)	4.36 (35527)	3.48 (44532)
कोष्ठक में आंकड़े राजस्व प्राप्तियाँ इंगित करते हैं			

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में गारंटी के विरुद्ध कोई राशि नहीं दिया। 31 मार्च 2011 तक गारंटी की लंबित राशि ₹ 588 करोड़ था इसमें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 195 करोड़) बिहार राज्य वित्त निगम (₹ 127 करोड़) और अन्य के (₹ 266 करोड़) थे। पुनः भविष्य में बढ़ने वाले दायित्व से मुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा गारंटी शुल्क के जरिये गारंटी मोचन निधि की स्थापना किया जाना बांकी है।

1.8 ऋण निर्वाहता

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का विशलेषण किया जाए जो कि राज्य सरकार की ऋण निर्वाहता[8] का निर्धारण करते हैं । प्रतिवेदन का यह प्रमाण ऋण स्थिरता[9], गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता[10], उधार ली गई राशियों की निवल उपलब्धता[11], ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार के प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋणों की संवहनीयता का आकलन करता है । वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होने वाले आगामी पांच वर्षो की अवधि में इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण संधारणीयता **तालिका 1.19** में विश्लेषित की गई है ।

[8] किसी समयावधि तक ऋण और जी.एस.डी.पी. अनुपात को स्थिर रखने की सरकार के सामर्थ्य को निर्वाहता के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसके ऋण चुकाने के सामर्थ्य भी शामिल है। ऋण की निर्वाहता इसलिए चालू था कि प्रतिबद्ध दायित्वों कि पूर्ति के लिए परिशोधित परिसंपति की पर्याप्तता का भी जिक्र करता है एवं अतिरिक्त ऋण की लागत एवं ऐसे ऋणों से निवेश के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता रखता है । इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण को चुकाने की क्षमता में वृद्धि के बराबर होना चाहिए।

[9] स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो, ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होने की संभावना है बशर्ते कि आरंभिक शेष या तो शून्य था धनात्मक या नाम मात्र ऋणात्मक हो। दिये गए दर विस्तार जी एस डी पी वृद्धि दर-ब्याज दर एवं परिणाम विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण की स्थिति दर्शाता है यदि आरंभिक घाटा के साथ परिमाण विस्तार शून्य है तो ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर रहेगा। दूसरी ओर यदि प्रारंभिक घाटा के साथ विस्तार ऋणात्मक हो तो ऋण-जी एस डी पी अनुपात बढेगा एवं धनात्मक मामले में ऋण जी एस डी पी अनुपात अंततः घटेगा।

[10] राज्य के बढ़ते हुए गैर ऋण प्राप्तियों को तभी पर्याप्त माना जाएगा यदि बढते हुए ब्याज दायित्वों एवं बढ़ते हुए व्यय को पुरा कर सके। यदि प्रारंभिक व्यय एवं ब्याज दायित्व में वृद्धि के पूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हो सके तो ऋण निर्वाहता में आसानी हो सकती है।

[11] उधार निधियों की निवल उपलब्धता-इस कुल ऋण प्राप्तियों के ऋण मोचन अनुपात (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह ऋण मोचन एवं ऋण प्राप्तियों का अनुपात प्रदर्शित करता है कि निवल उपलब्ध उधार निधियों को दर्शाते हुए किस मात्रा में ऋण विमोचन में ऋण प्राप्तियों का उपभोग किया जाता है।

तालिका **1.19:** ऋण निर्वाहता–सूचकांक और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण के सूचकांक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
ऋण स्थिरता (परिमाण विस्तार + प्रारंभिक अधिशेष)	8396.51	5925.05	10729.53	-226.39	9449.84
गैर ऋण प्राप्ति कीप र्याप्तता (संसाधन अन्तर)	679.00	1318.00	-804.00	-1524	3372
उधार निधियों की शुद्ध उपलब्धता	-692.00	-1496.00	93	28	71
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.15	0.13	0.11	0.10	0.10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षो में)					
शून्य से एक वर्ष					723 (4)
एक से तीन वर्ष					3173 (18)
तीन से पाँच वर्ष					2700 (15)
पाँच से सात वर्ष					895 (5)
सात वर्ष से अधिक					10089 (58)
कुल बाजार ऋण					17580

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

ऋण निर्वाहता के चार सूचकों में से तीन सूचकों में राज्य की स्थिति अच्छी थी । प्रत्येक सूचकों की स्थिति निम्नवत थी :

यदि प्रारंभिक घाटा के साथ–साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है, ऋण–जी.एस.डी.पी. अनुपात नियत होगा या ऋण सम्भाव्यतः स्थिर होगा। वर्ष 2009–10 की तुलना में प्रमात्रा विस्तार के साथ प्रारंभिक घाटा (–) ₹ 226.39 करोड़ से बढ़कर 2010–11 में ₹ 9449.84 करोड़ हुआ जो यह दर्शाता कि ऋण निर्वाहता की वृद्धि हुई । फिर भी, ऋण स्थिरता को बनायें रखने हेतु राज्य सरकार को अपने संसाधन में वृद्धि के साथ अनुत्पादक व्यय को कम करना चाहिए ।

उधारों की निवल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन एवं ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधारी निधियों की निवल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया जाता है ।

वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे के विवरणी संख्या 6 के अनुसार वर्ष 2010–11 में सरकार आंतरिक ऋण में ₹ 5251 करोड़, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों ₹ 782 करोड़, अन्य दायित्वों में ₹ 7658 करोड़ एवं आन्तरिक ऋण पुनर्भुगतान में ₹ 1725 करोड़ भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में ₹ 466 करोड़ और अन्य भुगतान में ₹ 7332 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई । परिणामस्वरूप इस वर्ष उधारी निधियों की निवल उपलब्धि मात्र ₹ 71 करोड़ रही।

तालिका 1.19 में राज्य ऋण की परिपक्वता दर्शाता है कि कुल ऋण का 37 प्रतिशत आने वाले पाँच वर्ष के अंदर भुगतान किया जाना था और शेष 63 प्रतिशत का पाँच वर्षो के बाद भुगतान किया जाना । इसलिए वर्ष 2014–16 की अवधि में ₹ 2700 करोड़, 2016–17 की अवधि में ₹ 895 करोड़, 2017–18 की अवधि में ₹ 10089 करोड़ ऋण भुगतान के लिए राज्य उत्तरदायी था, इसके लिए ऋण संधारणीयता में सुधार कर निधि संवर्धन करना होगा, जिससे आने वाले समय में ऋण का पुनर्भुगतान किया जा सके । इन क्रमिक वर्षो में परिपक्व ऋण के अतिरिक्त और कर्ज नहीं लेना पड़े इसके लिए सरकार को ऋण पुनर्भुगतान हेतु सुदृढ़ योजना तैयार करना होगा।

उपरोक्त पैरा यह इंगित करता है कि जब तक उधारी को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक राज्य को ऋण सेवाओं के कठिन समस्या का सामना करना होगा ।

1.9 राजकोषीय असंतुलन

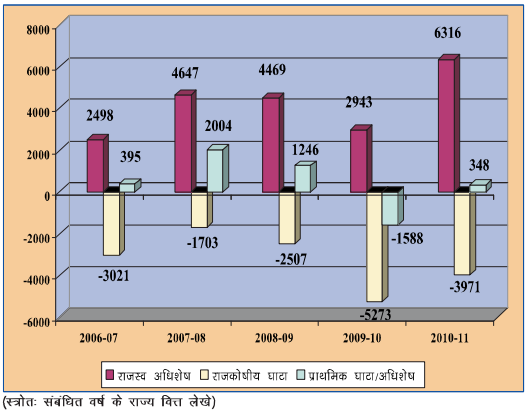
तीन मुख्य वित्तीय पैमाने – राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटे – किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करता है । सरकारी लेखे में घाटा अपने संसाधन एवं प्रतिबद्धता के बीच के अंतर को दर्शाता है । साथ ही घाटे की प्रकृति सरकार के वित्तीय प्रबंधन को इंगित करता है। साथ ही घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही तथा प्रयोग राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक है । यह खंड इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति परिणाम और इनके वित्तीय पोषक के तरीका को दर्शाता है, साथ ही यह एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित राजस्व तथा राजकोषीय घाटे की तुलना में वास्तविक प्राप्त राजस्व के स्तर की गणना करता है ।

1.9.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2006-07 से राज्य को राजस्व अधिशेष प्राप्त था । चार्ट **1.11** दर्शाता है कि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 की अवधि में वास्तविक अधिशेष ₹ 1526 करोड़ से घट गया जबकि वर्ष 2010-11 में ₹ 3373 करोड़ बढ़ गया ।

चार्ट 1.11: घाटे की सूचकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

तालिका 1.20 : वर्ष 2006-11 की अवधि के दौरान घाटे की प्रवृत्ति

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	0.024	0.039	0.029	0.017	0.030
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	0.029	0.014	0.016	0.030	0.018
प्रारंभिक अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	0.038	0.017	0.008	0.009	0.016

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति में ₹ 9005 करोड़ की वृद्धि के कारण राजस्व अधिशेष ₹ 3373 करोड़ बढ़ा । वर्ष 2010-11 में राज्य ने एफ.आर.बी.एम. तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय घाटा के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया । राजकोषीय घाटा वर्ष 2009-10 में ₹ 5273 करोड़ से वर्ष 2010-11 में घटकर ₹ 3971 करोड़ हो गया तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से इसका अनुपात घटकर क्रमशः 0.030 से 0.018 हो गया जैसा कि तालिका **1.20** मे दर्शाया गया है । पुनः इस वर्ष के दौरान ₹ 1588 करोड़ (2009-10) का प्रारंभिक घाटा, ₹ 348 करोड़ के प्रारंभिक अधिशेष के रूप में परिवर्तित हुआ (*परिशिष्ट 1.6*) ।

1.9.2 राजकोषीय घाटा तथा इसके वित्त पोषण प्रतिमान के घटक

राजकोषीय घाटे के वित्तीय पोषण प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन हुए । वर्ष 2010-11 की अवधि में वित्तीय घाटा के अवयवों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों को तालिका **1.21** में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.21: राजकोषीय घाटा के अवयव एवं इसकी वित्तीय प्रणाली

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजकोषीय घाटा का संरचना		**(-) 3020.91**	**(-) 1703.46**	**(-) 2506.97**	**(-) 5273.01**	**(-) 3971**
1	राजस्व घाटा/राजस्व अधिशेष	2498.14	4646.85	4469.11	2942.66	6316
2	निवल ऋण पूँजीगत व्यय	(-) 5211.13	(-) 6103.78	(-) 6436.35	(-) 7332.09	(-) 9196
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 307.92	(-) 246.53	(-) 539.73	(-) 883.58	(-) 1091
राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण प्रणाली						
1	बाजार ऋण	(-) 412.72	(-) 779.56	3757.12	2501.91	1707.78
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 314.15	39.75	(-) 278.81	(-) 49.35	316.03
3	एन.एस.एस.एफ की विशेष प्रतिभूति	2040.69	661.59	529.08	1472.52	1533.39
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	(-) 314.15	58.26	238.22	226.32	285.20
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	395.05	268.40	144.41	(-) 262.86	252.70
6	जमा और अग्रिम	869.48	1700.04	(-) 690.52	(-) 134.15	50.94
7	उचंत तथा विविध	583.65	(-) 2190.35	395.96	(-) 290.89	1830.68
8	प्रेषण	(-) 63.14	618.30	(-) 221.57	(-) 54.82	79.96
9	अन्य	शून्य	(-) 44.60	293.24	(-) 41.69	23.72
10	सम्पूर्ण अधिशेष/घाटा	**97.01**	**(-) 1371.62**	**1660.14**	**(-) 1906.02**	**6080.37**
11	नगद शेष वृद्धि(-)कमी(+)					-2109.39
12	सकल राजकोषीय घाटा					**3971**

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

*** ये सभी आंकडें वर्ष के दौरान निवल से विवरण, बहिर्गमन**

नगद शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण)

तलिका 1.22: 2010–11 की अवधि में वित्तीय अवयवों के अन्तर्गत प्राप्ति एवं संवितरण के राजकोषीय घाटे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार ऋण	2600.00	892.22	1707.78
2	भारत सरकार से ऋण	781.53	465.50	316.03
3	एन. एस एस एफ की विशेष प्रतिभूति	2015.69	482.30	1533.39
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	635.20	350.00	285.20
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	838.84	586.14	252.70
6	जमा एवं अग्रिम	6624.39	6573.45	50.94
7	आरक्षित निधि	243.73	220.01	23.72
8	उच्चंत और विविध	123825.29	121994.61	1830.68
9	प्रेषण	9279.87	9199.91	79.96
10	संपूर्ण अधिशेष (+) घाटा (–)			**6080.37**
11	नगद शेष में वृद्धि (+) कमी (–)			-2109.39
12	सकल राजकोषीय घाटा			**3971**

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार की उधारी एवं संसाधनों के अन्तर को दर्शाता है । वह वर्ष 2009–10 के ₹ 5273 करोड़ से घटकर 2010–11 में ₹ 3971 करोड़ हो गया ।

तालिका 1.21 राजकोषीय घाटा के वियोजन जिसमें सरकार द्वारा अपने आवश्यकता की पूर्ति हेतु राजस्व और ऋण रहित प्राप्ति के अलावा, निधि व्यवस्था हेतु कर्ज लेने के विभिन्न उपाय को दर्शाता हैं।

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि में सकल पूँजीगत व्यय में सतत वृद्धि ₹ 5211से ₹ 9196 करोड़ (76.50 प्रतिशत) था जो संपूर्ण राजकोषीय घाटे की स्थिति इंगित करता है। यह राजकोषीय घाटा के रूप में निवल पूँजीगत व्यय को वर्ष 2006–07 के 58 से वर्ष 2010–11 में 43 प्रतिशत तक कम कर दिया ।

राजकोषीय घाटा व्यय में निवल ऋण और अग्रिम महत्वपूर्ण अवयव थे । वर्ष 2006–07 और 2010–11में इनके अंश की मात्रा कमशः 10.19 और 27.47 प्रतिशत थी।

वर्ष 2009–10 की अवधि में राजकोषीय घाटा जो पूँजीगत व्यय का 72 प्रतिशत रहा वर्ष 2010–11 में घटकर पूंजीगत व्यय का 43 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2006–07 की अवधि में राजकोषीय घाटा मुख्यतः एन एस एस एफ को जारी किये गए विशेष प्रतिभूति, जमा एवं अग्रिम तथा उच्चंत एवं विविध द्वारा वित्तपोषित थे जबकि वर्ष 2010–11 कि अवधि में राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार ऋण और एन.एस.एस. एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूति द्वारा वित्त पोषित था।

1.9.3 घाटे/आधिक्य की गणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात, प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे में अपघटन एवं पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए) राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटा का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि किस सीमा तक उधार की राशियों का उपयोग चालू व्ययों को पूरा करने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के अनुपात का लगातार उच्च स्तर पर रहना यह इंगित करता है कि राज्य की परिसम्पत्तियों का आधार लगातार कम हो रहा है एवं कुछ सीमा

तक ऋण (राजकोषीय देयताओं) राज्य की परिसम्पतियों द्वारा समर्थित नहीं है प्राथमिक घाटे (**तालिका 1.23**) कर द्विभाजन उस सीमा की ओर इंगित करेगा जिस सीमा तक पूँजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्राथमिक घाटा हुआ। पूंजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है ।

तालिका **1.23:** प्राथमिक घाटा/अधिशेष कारकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्ति[12]	प्राथमिक राजस्व व्यय[13]	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(–) अधिशेष(+)	प्राथमिक घटा (–) अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2006-07	23090	17169	5211 (23)	315	22695	5921	+395
2007-08	28236	19856	6104 (23)	272	26232	8380	+2004
2008-09	32992	24759	6436 (20)	551	31746	8233	+1246
2009-10	35540	28899	7332 (21)	897	37128	6641	-1588
2010-11	44544	33897	9196(4)	1103	44196	10647	+348

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

सरकार का प्राथमिक राजस्व अधिशेष बढ़ती प्रवृत्ति के साथ था । यह वर्ष 2006–07 के ₹ 5921 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2008–09 में ₹ 8233 करोड़ हो गया, लेकिन वर्ष 2009–10 में घटकर ₹ 6641 करोड़ हो गया और अंततः वर्ष 2010–11 में बढ़कर ₹ 10647 करोड़ हो गया । इसका कारण प्रारंभिक व्यय में वृद्धि था जिसमें प्राथमिक राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं जो वर्ष 2006–07 के ₹ 22695 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 44196 करोड़ हो गया । विवरणी दर्शाता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय के लिए पर्याप्त था और इन प्राप्तियों का एक भाग पूँजीगत व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया था । राज्य में प्रारंभिक अधिशेष वर्ष 2008–09 से ही था जो वर्ष 2010–11 के अंत में ₹ 348 करोड़ हो गया ।

[12] राजस्व प्राप्तियों और ऋण एवं अग्रिम की वसूली गैर ऋण प्राप्ति के रूप में हैं ।
[13] प्राथमिक राजस्व व्यय, ब्याज भुगतान एवं राजस्व व्यय के बीच अंतर है ।

1.10 निष्कर्ष

राजस्व और व्यय का प्रतिमान : राजस्व कर में 22 प्रतिशत की वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्ति में वर्ष के दौरान 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष के दौरान राजस्व संग्रहण तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण से 20 प्रतिशत से अधिक और बजट प्राक्कलन से सात प्रतिशत कम था। करेत्तर राजस्व तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारण एवं बजट प्रावकलन से कमशः 40 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कम था जो वर्ष के दौरान 41 प्रतिशत नीचे आ गया।

राजस्व व्यय वर्ष के दौरान हुए कुल व्यय का 79 प्रतिशत था और यह गत वर्ष से 17 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2010–11 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत था। एन. पी. आर. ई. अवयव ₹ 27316 करोड़ तेरहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य के लिए किए गए आकलन(₹ 24787 करोड़) से अधिक थे लेकिन बजट प्राक्कलन (₹ 29863 करोड़) से कम थे। गैर योजना राजस्व व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में प्रतिबद्ध व्यय वेतन, सेवा निवृति देयताएँ, ब्याज भुगतान और अनुदान का भाग 82 प्रतिशत था।

पूँजीगत व्यय जो कुल व्यय का 19 प्रतिशत था वर्ष 2010–11 में वर्ष 2009–10 के व्यय से 25 प्रतिशत बढ़ा। स्थानीय निकाय और अन्य संस्थान का वित्तीय सहायता (₹ 4622 करोड़) वर्ष 2010–11 की अवधि में राजस्व व्यय का 12 प्रतिशत था जो वर्ष 2009–10 से छ : प्रतिशत घटा ।

सरकारी निवेश की समीक्षा : सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों और स्थानीय निकाओं में सरकारी निवेश पर विगत पाँच वर्षों के दौरान औसत प्रतिलाभ शून्य प्रतिशत से 0.28 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि वर्ष 2006–11 के दौरान निवेश पर भुगतान किए गए औसत ब्याज 7.15 प्रतिशत से 6.87 प्रतिशत के बीच था।

राजस्व बकाया : राजस्व के मुख्य शीर्ष के संबंध में (सात विभागों द्वारा सूचित) 31 मार्च 2011 को राजस्व बकाया ₹ 1198.24 करोड़ था, जिसमें ₹ 598.99 करोड़ पाँच वर्ष से ज्यादा समय से लंबित थे।

अपूर्ण परियोजनाएँ : ₹ 1005 करोड़ की 350 परियोजनायें जिन्हें 31 मार्च 2011 तक पूर्ण की जानी थी अब तक अपूर्ण रही। अपूर्ण परियोजनाओं के समय लागत को कम करना होगा जिससे की बिहार के लोगों की इस लागत से लाभ हो।

भारत सरकार से सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को हस्तांतरित किये जाने वाले निधि में चूक : वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा ₹ 10309 करोड़ सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को हस्तांतरित किया गया, जो पूर्व के वर्षों से ₹ 5127 करोड़ (99 प्रतिशत) अधिक था। चूँकि यह निधियाँ सरकारी लेखे से नहीं गुजरती, इसलिए भारत सरकार से सीधे हस्तांतरित किये गये राशि का इन ऐजेंसियों द्वारा लेखों का अनुरक्षण एवं निधियों के उपयोग में चूक का खतरा बना रहता है। इन सभी एजेंसियों द्वारा अनुसरण किये गए लेखा पद्धति में एकरूपता के अभाव में समुचित प्रलेखन नहीं हुआ तथा एजेंसियों द्वारा व्यय की स्थिति का समय पर प्रतिवेदन नहीं दिया जा रहा था।

नगद शेष : राज्यों का नगद शेष वर्ष 2009–10 में ₹ 2291 करोड़ और वर्ष 2010–11 में ₹ 2735 करोड़ था । इसलिए वित्तीय वर्ष के अन्त में नगद शेष के रूप में पूर्व वर्ष से ₹ 444 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखा सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दत्तमत और भारित व्ययों का लेखा है जो विनियोग अधिनियम की उल्लेखित अनुसूची में विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारित विनियोग की राशियों के अनुरूप है, ये, लेखे मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों और पुनर्विनियोगों की स्पष्ट सूची बनाते है तथा विभिन्न उल्लेखित सेवाओं पर राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के साथ-साथ विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट के दोनों भारित एवं दत्तमत मदों को बताते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी को आसान बनाते है, वे वित्त लेखे के पूरक हैं ।

2.1.2 भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विविध अनुदानों में किया गया वास्तविक व्यय विनियोग अधिनियम की प्राधिकृत राशि के अन्तर्गत है तथा सांविधान के अनुरूप भारित है। लेखा परीक्षा यह भी सुनिश्चित करती हैं कि किया गया व्यय विधिसम्मत नियम, कानून, विनियम और निर्देशों के अनुरूप हैं ।

2.1.3. बिहार बजट नियमावली के अनुसार विभिन्न विभगों से बजट अनुमान का आकलन प्राप्त कर वार्षिक बजट तैयार करने के लिए वित्त विभाग उत्तरदायी है। नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा आय एवं व्यय तैयार कर विभागीय अनुमान विभागाध्यक्ष से सलाह प्राप्त कर वांछित तिथियों को वित्त विभाग को समर्पित करेगा। वित्त विभाग विस्तृत अनुमान संचित कर 'अनुदानों की मांग' तैयार करेगा । बजट तैयार करने में जहाँ तक संभव हो वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के निकट पहुँचना चाहिए। इस प्रत्याशित व्यय एवं राजस्व दोनों के प्राक्कलन करने में दूरदर्शिता होनी चाहिए। किसी प्राक्कलन में परिहार्य अतिरिक्त प्रावधान उतना ही बजटीय अनियमितता है जितना कि स्वीकृत व्यय में अधिकता। प्रक्रिया से तात्पर्य है कि किसी विशिष्ट मद पर व्यय के आकलन में प्रदत्त राशि वह राशि होनी चाहिए जिसे वर्ष में खर्च कर दी जाय तथा वह राशि न तो बड़ी हो न ही छोटी । खर्च किये जानेवाले धन से बचत से उतनी ही वित्तीय अनियमितता होती है जितनी व्यय में अधिकता से । प्राप्तियों का बजट प्राक्कलन लागू कर शुल्क, फीस आदि के दर के आधार पर होना चाहिए।

लेखा परीक्षा में पाये गए बजट एवं व्यय के प्रबंधन की कमियाँ तथा बजट नियमावली का उल्लंघन की चर्चा उत्तरवर्ती अनुच्छेदो (पैरा) में की गयी है ।

2.2 विनियोजन लेखाओं का सारांश

वर्ष 2010–11 की अवधि में 51 अनुदानों/विनियोजनों के विरूद्ध किये गये वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: वास्तविक व्यय यथा मूल/पूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) / आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	36244.29	7979.89	44224.18	34842.39	(-) 9381.79
	II पूँजीगत	10433.96	3548.67	13982.63	9281.25	(-) 4701.38
	III ऋण एवं अग्रिम	730.67	471.20	1201.87	1102.64	(-) 99.23
कुल दत्तमत		**47408.92**	**11999.76**	**59408.68**	**45226.28**	**(-) 14182.40**
भारित	IV राजस्व	*4602.03*	*3.42*	*4605.45*	*4401.75*	*(-) 203.70*
	V पूँजीगत	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	VI लोक ऋण एवं पुर्नभुगतान	*1915.56*	*362.39*	*2277.95*	*2190.02*	*(-) 87.93*
कुल भारित		***6517.59***	***365.81***	***6883.40***	***6591.77***	***(-) 291.63***
आकस्मिकता निधि में विनियोजन (यदि कोई हो)						
कुल योग		**53926.51**	**12365.57**	**66292.08**	**51818.05**	**(-)14474.03**

(स्त्रोत: राज्य का विनियोजन लेखा)

नोट : कुल व्यय में ₹ 1028.22 करोड़ के राजस्व व्यय की वसूली तथा व्यय में कमी के रूप में समायोजित ₹ 85.32 करोड़ के पूँजीगत व्यय की प्राप्ति शामिल है ।

वर्ष के दौरान प्राप्त अनुपूरक प्रावधान ₹ 12365.57 करोड़ विगत वर्षो के मूल प्रावधान में 12 प्रतिशत के विरूद्ध 23 प्रतिशत रहा ।

44 अनुदान तथा पाँच विनियोजनों में ₹ 14747.74 करोड़ की बचत के कारण ₹ 14474.03 करोड़ की समग्र बचत हुई, जिसमें राजस्व भाग के अंतर्गत दो अनुदान/विनियोजनों में ₹ 273.71 करोड़ का आधिक्य हुआ जिसे संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत आधिक्य ₹ 273.71 करोड़ को नियमित करने की आवश्यकता है।

बचत/आधिक्य के मामले की सूचना नियंत्रण अधिकारियों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार के द्वारा दी गई (जून 2011) और उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे महत्वपूर्ण परिवर्त्तनों के कारणों का स्पष्टीकरण दे लेकिन उनके स्पष्टीकरण अप्राप्त (नवम्बर 2011) थे ।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 विनियोजन यथा आवंटन प्राथमिकता

बिहार बजट नियमावली के नियम 65 के अनुसार नियंत्रण पदाधिकारी को संवितरण पदाधिकारी से प्राप्त बजट प्राक्कलन की जाँच करनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि वे औपचारिक रूप से सही है । सभी ब्यौरे तथा स्पष्टीकरण दिये गए है तथा पर्याप्त है । यदि वे अपर्याप्त है तो प्रावधान बदलना चाहिए । साथ ही बिहार बजट नियमावली के नियम 78 के अंतर्गत वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राक्कलन की प्रतियों की जांच की जानी चाहिए तथा यदि किसी बिंदु पर जाँच की आवश्यकता हो तो उसे तुरंत कर लेनी चाहिए। प्रशासनिक विभाग को जिन बिन्दुओं की जाँच होनी चाहिए उन्हे खोजने के लिए वित्त विभाग की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें प्राप्त करते ही तुरंत प्राक्कलन की जाँच शुरू कर देनी चाहिए ।

प्रशासनिक विभाग द्वारा किये गए जाँच का उद्देश्य बजट प्राक्कलन तथा इनके पुनरीक्षण में अधिक अथवा अपर्याप्त प्रावधानों का पता लगाना है, जिसे वे वित्त विभाग से भी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उन्हें वास्तविक स्थिति का ज्ञान है। यह भी आवश्यक है कि वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये बजट पर्चियों के उत्तर देने में विलंब न हो। इसकी प्राप्ति हो सकती है यदि वित्त विभाग द्वारा संदर्भित बिन्दुओं पर प्रशासनिक विभाग पहले ही विचार कर लेता तथा पहले ही जाँच करवा लेता। यह अत्यंत आवश्यक है कि साधारणतः किसी बजट पर्ची का उत्तर इसके प्राप्त होने से एक सप्ताह में दे दिया जाय तथा किसी स्थिति में पर्ची को एक पखवारा से अधिक समय तक अनुत्तरित न रखा जाय ।

विनियोजन लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹ 14717.27 करोड़ की बचत 41 मामले में हुई तथा प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक बचत हुई है (*परिशिष्ट 2.1*)। राजस्व दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत जिन विभागों ने वृहत बचत किया वे हैं – शहरी विकास एवं आवास विभाग (₹1531.90 करोड़), आपदा प्रबंधन विभाग (₹1355.21 करोड़), मानव संसाधन विभाग (₹ 1229.32 करोड़), जल संसाधन विभाग (₹1722.90 करोड़) तथा पूँजीगत दत्तमत खण्ड में वित्त विभाग (₹1174.44 करोड़)। बचत के कारण नहीं सूचित किए गए (नवम्बर 2011)।

तालिका-2.2: ₹ 500 एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदान की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण
राजस्व –दत्तमत							
1	16-पंचायती राज विभाग	1288.69	600.15	1888.84	1297.80	591.04	550.99
2	21-मानव संसाधन विभाग	9348.22	546.91	9895.13	8665.81	1229.32	836.27
3	39-आपदा प्रबंधन विभाग	382.60	1607.60	1990.20	634.99	1355.21	370.75
4	48-शहरी विकास एवं आवास विभाग	1788.78	354.68	2143.46	611.56	1531.90	792.00
5	51-समाज कल्याण विभाग	2349.01	341.14	2690.15	2082.53	607.62	597.55
	कुल	**15157.30**	**3450.48**	**18607.78**	**13292.69**	**5315.09**	**3147.56**
पूँजीगत –दत्तमत							
6	12-वित्त विभाग	35.52	1158.00	1193.52	19.08	1174.44	8.30
7	49-जल संसाधन विभाग	2279.76	752.95	3032.71	1309.81	1722.90	1600.91
	कुल	**2315.28**	**1910.95**	**4226.23**	**1328.89**	**2897.34**	**1609.21**
	समायोग	**17472.58**	**5361.43**	**22834.01**	**14621.58**	**8212.43**	**4756.77**

(स्रोत: राज्य का विनियोजन लेखा)

₹ 500 करोड़ से अधिक बचत के कुछ मामलों की समीक्षा नीचे की गयी है :

i. अनुदान संख्या *"16-पंचायती राज विभाग" (राजस्व दत्तमत)*

₹ 1888.84 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध व्यय केवल ₹ 1297.80 करोड़ था परिणामस्वरूप ₹ 591.04 करोड़ की बचत हुई । साथ ही पूरक अनुदानों से निधियों (₹ 600.15 करोड़) का संवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 600.15 करोड़ में केवल ₹ 9.11 करोड़ का उपयोग किया गया तथा शेष (₹ 591.04 करोड़) की बचत हुई । 31 मार्च 2011 को ₹ 550.99 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था ।

जिला द्वारा राशि की निकासी नहीं होने के कारण उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समर्पण नहीं होने के कारण तथा माँग की प्राप्ति नहीं होने के कारण यह बचत हुआ । अंतिम बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।

ii. अनुदान संख्या *"21-*मानव संसाधन विभाग*"* (राजस्व दत्तमत)

₹ 546.91 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि कुल व्यय ₹ 8665.81 करोड़ मूल बजट (₹ 9348.22 करोड़ से कम था । बचत (₹ 1229.32 करोड़) मुख्यतः शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 112–विद्यालय में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम, 0101–मध्याह भोजन परियोजना (₹ 75 करोड़), 198–ग्रम पंचायत को सहायता अनुदान, 0002–पंचायत शिक्षकों को संचित भुगातान (₹ 120.72 करोड़) तथा 02–माध्यमिक शिक्षा, 109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 0001–अन्य विद्यालय (₹ 103.56 करोड़) के शीर्ष के अंतर्गत हुए । अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

iii. अनुदान संख्या *"39-*आपदा प्रबंधन विभाग*"* (राजस्व दत्तमत)

कुल बजट ₹ 1990.20 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1355.21 करोड़ की बचत के साथ अनुदान बंद हुआ । बचत मुख्यतः शीर्ष 2245–प्राकृतिक आपदा के कारण राहत, 05–आपदा राहत निधि, 101–सुरक्षित निधि और जमा लेखे–राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में स्थानांतरण 0001–राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (₹ 886.26 करोड़) के शीर्ष के अंतर्गत हुआ । अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

iv. अनुदान संख्या *"48-*शहरी विकास एवं आवास विभाग*"* (राजस्व दत्तमत)

₹ 2143.46 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध व्यय केवल ₹ 611.56 करोड़ था परिणामस्वरूप ₹ 1531.90 करोड़ की बचत हुई। साथ ही पूरक अनुदानों से निधियों ₹ 354.68 करोड़) का संवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि कुल व्यय ₹ 611.56 करोड़ वास्तविक प्राक्कलन के ₹ 1788.78 करोड़ से भी कम था। बचत मुख्यतः शीर्ष 2217–शहरी विकास 80–सामान्य 800–अन्य व्यय, 0116–एकीकृत शहरी विकास के लिए शहरी स्थानीय निकाय को दिया गया सहायता अनुदान (₹ 246.06 करोड़), 0122–जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन कार्यक्रम (₹ 194.86 करोड़) तथा 0123–स्वीकृत आवास एवं झुग्गी बस्ती विकास कार्यक्रम (₹ 95.93 करोड़) योजना परिव्यय के शीर्ष के अंतर्गत कटौती के कारण हुई । अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किया गए ।

v. अनुदान संख्या *"51-*समाज कल्याण विभाग*"* (राजस्व दत्तमत)

₹ 607.62 करोड़ की बचत के साथ अनुदान समाप्त हुआ जिसमे अनुपूरक अनुदान ₹ 341.14 करोड़ भी समाहित था। समग्र बचत के दृष्टिकोण से, मार्च 2011 के दौरान प्रदान किये गए पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय (₹ 2082.53 करोड़) वास्तविक बजट (₹ 2349.01 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा । अंतिम बचत के कारण नहीं सूचित किए गए ।

vi. अनुदान संख्या *"49-*जल संसाधन विभाग*"* (पूँजीगत दत्तमत)

₹1722.90 करोड़ की बचत के साथ अनुदान समाप्त हुए । जिसमें ₹752.95 करोड़ अनुपूरक अनुदान थे। समग्र बचत की दृष्टि से मार्च 2011 के दौरान प्रदत्त अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि व्यय (₹1309.81 करोड़) मूल बजट (₹2279.76 करोड़) के स्तर तक नहीं पहुँचा। यह बचत (₹1722.90 करोड़)

मुख्यतः शीर्ष 4700–वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 04–किउल–बदुआ–चन्दन बेसिन पर सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक) 800–अन्य व्यय, 0102–किउल–बदुआ–चन्दन बेसिन पर सिंचाई परियोजना (कार्य) (ए.आई.बी.पी.) (₹ 18.22 करोड़) एवं 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय, 01–बाढ़ नियंत्रण–001–निदेशन एवं प्रशासन, 0108–गंगा नदी पर केन्द्र प्रायोजित कटाव निरोधक कार्य योजना 25 प्रतिशत राज्यांश कार्य (₹ 75.99 करोड़) के अंतर्गत ए.आई.बी.पी. के योजनागत परिव्यय में संशोधन के कारण हुआ । अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए ।

2.3.2 सतत् बचत

लेखा परीक्षा जाँच में पता चला कि विगत पाँच वर्षों के दौरान 11 मामलो के प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ से अधिक की सतत् बचत हुई जो कुल अनुदानो का 11 से 76 प्रतिशत थी (***परिशिष्ट 2.2***) । सतत् बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2011) ।

2.3.3 पिछले वर्ष से संबंधित आधिक्य प्रावधान का नियमितिकरण अपेक्षित

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार किसी राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोजन के आधिक्य को विधानमण्डल द्वारा नियमित कराए । जो आधिक्य व्यय के विनियमन के लिए अनुच्छेद में कोई समय सीमा तय नहीं किया गया है फिर भी विनियोग लेखे पर लोक लेखा समिति के द्वारा समीक्षा होने के पश्चात् ही आधिक्य व्यय का विनियमन किया जाता है । तथापि, वर्ष (1977–2010) तक ₹ 7115.94 करोड़ की राशि का आधिक्य व्यय विनियमन हेतु लंबित थे जैसा की ***परिशिष्ट 2.3*** में दिखलाया गया है ।

2.3.4 वर्ष *2010-11* की अवधि में प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित

जैसा कि **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है कि दो अनुदान/विनियोजनों में आधिक्य प्रावधान से अधिक ₹ 273.71 करोड़ हो गयी, तथा यह वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य की संचित निधि से थी । संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत इसके नियमितीकरण करने की आवश्यकता थी।

तालिका **2.3: 2010-11** के आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	आधिक्य
राजस्व - दत्तमत/भारित				
1	05-राज्यपाल सचिवालय	5.50	5.85	0.35
2	15-पेंशन	5868.08	6141.44	273.36
	कुल	**5873.58**	**6147.29**	**273.71**

2.3.5 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

बिहार बजट नियमावली के नियम 117 में पूरक अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्णित है। नियम के अनुसार, जब प्रशासनिक विभाग मानता है कि पूरक अनुदान आवश्यक है, तो उसे पहले वित्त विभाग से परामर्श करना चाहिए, चाहे व्यय के किसी नये विशिष्ट मद का सामना करना पड़े अथवा अप्रत्याशित कारणों से दत्तमत अनुदान में संभावित आधिक्य को संरक्षण देना (कवर करना) पड़े।

वर्ष के दौरान 34 मामलों में (30 अनुदान/विनियोजन) प्राप्त कुल ₹ 3684.99 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान जिसके प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख आधिक्य शामिल था अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट 2.4*** में दिखाया गया है।

पुनः अनुदान संख्या 05 में ₹ 0.06[1] करोड़ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ, जिससे कुल ₹ 0.35 करोड़ का अरक्षित आधिक्य व्यय हुआ । रोचक यह रहा कि 31 मार्च 2011 को ₹ 0.17 करोड़ बिना विचार किए अभ्यर्पित कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियंत्रण अधिकारी बिहार वित्तीय नियमों के अधीन नियम–11 के प्रावधानों को लागू कराने में विफल रहे। वास्तविक आवश्यकताओं के मूल्यांकन किए बगैर अनुपूरक प्रावधानों की माँग एवं अरक्षित आधिक्य व्यय वाले अनुदानों के अंतर्गत निधियों का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण इन पर नियंत्रणी पदाधिकारियों के नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

2.3.6 अत्यधिक/अनावश्यक निधियों का पुनर्विनियोजन

बिहार बजट नियमावली का नियम 37 पुनर्विनियोजन को परिभाषित करता है कि यह किसी विशिष्ट धन राशि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि का हस्तांतरण है जो कि विनियोजन की एक इकाई से दूसरी इकाई के अंतर्गत विशिष्ट व्यय को पूरा करता है।

लेखा परीक्षा जाँच में पता चला कि 11 अनुदानों जिसमें 26 उप–शीर्षे शामिल थे के अंतर्गत ₹ 54.29 करोड़ के पुनर्विनियोजन द्वारा दी गई अतिरिक्त निधियाँ अनावश्यक साबित हुई क्योंकि अंतिम बचत ₹ 91.82 करोड़ हुई, जिन्हे ***परिशिष्ट 2.5*** में दर्शाया गया है । उसी प्रकार नौ मामलों में जिनमें सात अनुदान शामिल थे, वहाँ पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 108.09 करोड़ की अविवेकपूर्ण निकासी हुई जहां इन अनुदानों में कुल ₹ 40.81 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जो **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

[1] मूल ₹ 5.44 करोड़, पूरक ₹ 0.06 करोड़, वास्तविक व्यय ₹ 5.85 करोड़, अभ्यर्पित ₹ 0.17 करोड़ एवं अधिकाई व्यय ₹ 0.35 करोड़

तालिका 2.4: निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य
1	1	2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार एवं कृषकों का प्रशिक्षण, 0001-प्रमण्डल, जिला एवं अनुमंडल स्थापना	114.36	-1.50	0.40
2	3	2059-लोक निर्माण कार्य, 80-सामान्य, 053-अनुरक्षण एवं मरम्मत, 0001-अनुरक्षण एवं मरम्मत	112.00	-2.19	**1.74**
3	9	2425-सहकारिता, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 0002-अधीक्षण	38.35	-1.18	0.02
4	21	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 101-सरकारी प्राथमिक स्कूल, 0001-सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल	2481.00	-0.20	17.40
5	41	5054-सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय, 03-राजकीय उच्चपथ, 101-सेतु, 0105-बिहार व्यवसायिक निधि से बाजार एवं दूरस्थ क्षेत्र के बीच सड़क एवं पुल निर्माण	100.00	-25.00	**15.99**
6	41	5054-सड़क एवं सेतु पर पूँजीगत परिव्यय, 03-राजकीय उच्चपथ, 337-सड़क कार्य, 0106-केन्द्रीय सड़क निधि	80.00	-20.00	2.89
7	41	5054-सड़क एवं सेतु पर पूँजीगत परिव्यय, 03-राजकीय उच्चपथ, 337-सड़क कार्य, 0109-बाजार एवं पार्श्ववर्ती क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़क एवं पुल का निर्माण (बिहार व्यापार कोष)	220.00	-55.00	0.46
8	43	2203-तकनीकी शिक्षा, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 0001-तकनीकी शिक्षा निदेशालय	2.02	-0.02	0.43
9	49	2701-मध्यम सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 0001-सचिवालय का मुख्यालय, स्थापना (अभियंता प्रमुख)	12.26	-3.00	1.48
		कुल	**3159.99**	**-108.09**	**40.81**

(स्रोत: अनुदान पंजी एवं विस्तृत विभियोजन लेखे, बिहार सरकार)

अनुदान संख्या–3 के शीर्ष 2059 ''लोक निर्माण कार्य'', 80–सामान्य, 053–''अनुरक्षण एवं रखरखाव'', 0001–अनुरक्षण एवं रखरखाव के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.19 करोड़ की निकासी की गयी जबकि ₹ 1.74 करोड़ तक का आधिक्य व्यय किया गया ।

इसी तरह अनुदान संख्या–41 के शीर्ष ''5054 सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय'', 03–राजकीय उच्च पथ, 101–पुल, 0105–बिहार व्यवसायिक निधि से बाजार एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बीच सड़क एवं पुल का निर्माण के अंतर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25 करोड़ की निकासी की गई जबकि ₹ 15.99 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ। उपरोक्त तथ्य दर्शाता है कि अतिरिक्त आवश्यकतों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त निधि देने के बदले न्यून खातो से निधियों की निकासी की गयी । पुनः 50 मामलों में ₹ 116.19 करोड़ की पुनर्विनियोजन द्वारा की गई निकासी अपर्याप्त थी क्योंकि इन तिथियो के प्रास्ताविक विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 243.21 करोड़ की बचत हुई थी जिसे ***परिशिष्ट 2.6*** में दिखाया गया है ।

उपरोक्त उदाहरणों से पता चलता है कि नियंत्रीण अधिकारी का पूर्वानुमान लगाने वास्तविक आवश्यकतों एवं व्यय तथा पुनर्विनियोजन की अद्यतन सूचना प्राप्त करने में विफल रहे । निकासी आवश्यकता के आधार पर न कर तदर्थ तरीके से की गयी ।

2.3.7 पर्याप्त अभ्यर्पण

बिहार बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार जैसे ही पूर्वानुमान हो, वर्ष के अंत होने की प्रतीक्षा किये बिना सभी प्रत्याशित बचत सरकार को तुरंत अभ्यर्पित कर देना चाहिए अन्यथा कुछ अन्य इकाई अथवा इकाइयों, जिसका पूर्वानुमान निश्चित रूप से समय पर हो सकता है के अंतर्गत आधिक्य को पूरा करने की आवश्यकता है। संभावित भविष्य आधिक्य हेतु बचत रिजर्व में नहीं रखना चाहिए ।

25 अनुदान/विनियोजनों में शामिल 72 उप-शीर्षों, ₹ 4879.59 करोड़ के कुल प्रावधान के ₹ 3629.82 करोड़ प्रत्येक मामले में ₹ पाँच करोड़ एवं अधिक की निधियों का अभ्यर्पण कर दिया गया जैसा की ***परिशिष्ट 2.7*** में दिखाया गया है प्रत्येक इकाई में अभ्यर्पित राशि का परास (रेंज) 50.70 से 99.83 प्रतिशत के बीच रहा । इन निधियों का अभ्यर्पण या तो योजना/कार्यक्रम के कियान्वयन नहीं हो पाने के कारण या उनके धीमे कियान्वयन के कारण हुआ ।

पुनः 26 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत योजनाओं के लागू नहीं होने के कारण 93 योजनाओं में शत्-प्रतिशत अम्यर्पण ₹ 1817.18 करोड़ हुआ (***परिशिष्ट 2.8***) तथा इन योजना से प्राप्त होने वाले लाभ एवं सेवाओं से लाभार्थी वंचित रहे ।

2.3.8 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

आठ मामलों में अविवेकपूर्ण अभ्यर्पित की गई राशि (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख और अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी या अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाती है। बचत की राशि ₹ 738.69 करोड़ के विरूद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 1012.14 करोड़ थी, फलतः ₹ 273.45 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण किया गया (***परिशिष्ट 2.9***) । अस्तित्वहीन अधिशेष का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण उपरोक्त प्रावधान के अनुरूप नहीं था जो विभाग के नियंत्रण अधिकारी के पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है ।

2.3.9 अनुमानित बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया जाना

लेखा परीक्षा जाँच में पता चला कि बिहार बजट नियमावली 112 के उल्लघंन कर 22 अनुदानों/विनियोजनों में ₹ 7544.26 करोड़ की बचत हुई जिनमें से ₹ 4223.89 करोड़ का अभ्यर्पण नहीं किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.10*** में दिखाया गया है ।

इसके अलावे, 35 मामले में जहाँ प्रत्येक मामलो में ₹ 10 करोड़ से अधिक का अभ्यर्पण मार्च 2011 के अंतिम दो कार्य दिवस में ₹ 4012.34 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया (***परिशिष्ट 2.11***) ।

इससे पता चलता है कि नियंत्रणी पदाधिकारी बजटीय नियंत्रण के लिए जवाबदेह होने की मौलिक जिम्मेदारी के निर्वाह में विफल रहे और इन निधियों का उपयोग न तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गयी जिनके लिए ये आवंटित की गई थी न ही अन्य जरूरतमंद विभागों के उपयोग के लिए पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2.3.10 सघन व्यय

बिहार बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार धन को जल्दबाजी में अथवा बिना विचार किये केवल इसलिए खर्च नहीं करना चाहिए कि धन उपलब्ध है अथवा अनुदान के व्यपगत होने का खतरा है। वैसे अनुदान जिनके लाभप्रद उपयोग नही किया जा सकता है उन्हे लोक हित में अभ्यर्पित कर देना चाहिए। संभावित बचत के अस्तित्व का अभिग्रहण ऐसे व्यय जो अगले वर्ष तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, उनके नये मदों के प्रस्तुति हेतु अवसर के रूप में नहीं करना चाहिए। विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महिनों में सघन व्यय साधारणतः वित्तीय नियमितता–भंग के रूप में माना जाएगा।

इसके विपरित ***परिशिष्ट 2.12*** में सूचीवद्ध 26 मुख्य शीर्षो के संबंध में वर्ष के कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वर्ष के अन्तिम तिमाही में या मार्च 2011 में था ।

बिहार बजट नियमावली के नियम 113 के उल्लंधन के साथ–साथ इस प्रकार के व्यय की मितव्ययिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

2.4 बिना मिलान किया हुआ व्यय

बिहार वित्त नियम 475(viii) के अनुसार विभाग के प्रधान के लेखे में दर्शाये गये आकड़े और सम्बन्धित विभाग के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के खाते में दर्शाये गये आंकड़ों के समाशोधन के लिए संयुक्त रूप से विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार उत्तरदायी होंगे जबतक की इसके विपरित कोई विशेष आदेश अथवा नियम न हो ।

यद्यपि, विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ो के साथ समाशोधन नहीं किये जाने के संबंध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सतत इंगित किया जाता रहा है जैसा कि ***परिशिष्ट 2.13*** में दर्शाया गया है । वर्ष 2010–11 के दौरान विभाग के प्रधान द्वारा 80 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 43444.37 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) का समाशोधन नहीं किया गया। इन मुख्य शीर्ष में से ₹ 23642.70 करोड़ (54.42 प्रतिशत पाँच मुख्य शीर्षो[2] से सम्बन्धित थे ।

2.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) एवं 283(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। आकस्मिकता एवं अप्रत्याशित तरह का व्यय, जिसे विधानमंडल की स्वीकृति तक टाला नहीं जा सकता, के लिए इस निधि से अग्रिम दिया जा सकता है । वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रैल 2010 को शेष ₹ 350 करोड़ था । यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है । चालू वित्तीय वर्ष में राज्य विधान मंडल द्वारा समग्र आकस्मिकता निधि को ₹ 350 करोड़ से ₹ 1500 करोड़ सहायता और पुनर्वास के लिए अस्थाई तौर पर बढ़ा दिया गया । यद्यपि, समग्र निधि को वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 350 करोड़ कर दिया गया ।

[2] 2049–ब्याज भुगतान, 2055–पुलिस, 2071–पेंशन और सेवा निवृत्ति के अन्य लाभ, 2202–सामान्य शिक्षा और 5054–सड़क एवं सेतु पर पूंजीगत परिव्यय

2010-11 के दौरान सरकार ने ₹ 1349.54 करोड़ (कुल बजटीय प्रावधन का 2.04 प्रतिशत) के 119 आहरणों को स्वीकृत किया जिनमें से ₹ 680.92 करोड़ (कुल आकस्मिकता निधि का 50 प्रतिशत) के 55 आहरणों (*परिशिष्ट 2.14*) सामान्य उद्देश्यों जैसे मोटर गाड़ी का क्रय, कार्यालय व्यय, वेतन एवं भत्ते, किसानों को सहायता, फसल प्रिमियम आदि के लिए थे । चूंकि इन मदों में व्यय का पूर्वानुमान किया जा सकता था, राज्य के आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी अनियमित और गलत था यद्यपि वर्ष के दौरान पूरी राशि की प्रतिपूर्ति कर दी गयी।

2.6 चयनित अनुदान की समीक्षा

वर्ष 2010-11 के दौरान अनुदान संख्या-49 "जल संसाधन विभाग[3]" की बजटीय प्रकिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा, बचत, आधिक्य एवं अनुदान का विस्तार और अनुपूरक माँगो के आधार पर की गयी (अगस्त 2011) । समीक्षा के दौरान पायी गई महत्वपूर्ण बिन्दुओं का विस्तार पूर्ण विवरण नीचे दर्शाया गया है:

2.6.1 अनुदान संख्या *49* जल संसाधन विभाग

अनुदान के बजट प्रावधान ₹ 4010.22 करोड़ (मूलः ₹ 3005.36 करोड़ और अनुपुरकः ₹ 1004.86 करोड़) के विरूद्ध ₹ 2056.56 व्यय किया गया था, परिणामतः ₹ 1953.66 करोड़ की बचत (कुल प्रावधान का 48.71 प्रतिशत) हुई (*परिशिष्ट 2.15*) । जैसा कि नीचे चर्चा किया गया है:

i वर्ष 2010-11 के दौरान अनुदान की कुल बचत ₹ 1953.66 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1812.40 करोड़ अभ्यर्पित किया गया इसमे से ₹ 468.82 करोड़ 31 मार्च 2011 को अभ्यर्पित किया गया । ₹ 141.26 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किया गया था, जो अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण और इस सत्य को दर्शाता है कि इस निधि का उपयोग सरकार के अन्य योजनाओं/कार्यकमों मे नहीं किया जा सका ।

ii ₹ 1953.66 करोड़ के बचत को देखते हुए, ₹ 1004.86 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान (₹ 251.91 करोड़ "राजस्व में और ₹ 752.95 करोड़ पूँजीगत शीर्ष) में अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय (₹ 2056.56 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 3005.36 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा ।

iii राजस्व (दत्तमत) भाग अंतर्गत बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अधीन हुए : 2700-मुख्य सिंचाई, लघु शीर्ष के नीचे, 01-कोसी बेसिन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना), 0001-स्थापना (₹1.60 करोड़), 101-रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना) 0002-अन्य रख रखाव व्यय (₹ 1.30करोड़), 03-सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना), 0001-स्थापना (₹ 2.54 करोड़) और 101-रख रखाव एवं मरम्मती (गैर-योजना), 0002-अन्य रख-रखाव व्यय (₹ 16.47 करोड़), 2701-मध्यम सिंचाई, 01-मुख्य सिंचाई (वाणिज्यिक), 101-कोसी परियोजना (गैर-योजना), 0002-अन्य रख रखाव व्यय (कमला एवं उत्तर बिहार हेतु) (₹ 1.51 करोड़), 2705-कमांड क्षेत्र विकास, 001-निदेशन एवं

[3] संबंधित, 2700-वृहत सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2705- कामाण्ड क्षेत्र विकास, 2711-बाढ़ नियत्रंण और जल निस्तारण, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय और 6701- ऋण और मध्यम सिंचाई ।

प्रशासन (राज्य योजना), 0102–क्षेत्र विकास कमाण्ड स्तर (₹ 4.75 करोड़) और 2711–बाढ़ नियंत्रण तथा जल विकास, 01–बाढ़ नियंत्रण, 001–निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना), 0003–क्षेत्रीय स्थापना (₹ 7.66 करोड़) बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंध और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राशि का अभ्यर्पण था । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया ।

iv पूँजीगत (दत्तमत) भाग की बचत (₹ 1722.90 करोड़) मुख्यतः निम्न शीर्ष के अंर्तगत थेः 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 04–किउल–बदुआ–चन्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यि), 800–अन्य व्यय (राज्य योजना), 0102–किउल–बदुआ–चंदन बेसिन की सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.पी.) (₹ 18.22 करोड़), 0103–किउल–बदुआ–चन्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (नाबार्ड) (₹ 6.50 करोड़), 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 04–मध्यम सिंचाई (गैर–वाणिज्यिक), 800–अन्य व्यय (राज्य योजना), 0101–किउल–बदुआ–चन्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) ₹ 6.03 करोड़) और 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 01–बाढ़ नियंत्रण, 001–निदेशन एवं प्रशासन (राज्य योजना), 0108–गंगा नदी पर कटाव निरोधक कार्य (₹ 75.99 करोड़), बचत ए.आई.बी.पी. के योजना परिव्यय में पुनरीक्षण और ए.आई.बी.पी. में योजना सम्मिलित होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ।

v योजनाओं की स्वीकृति नहीं होने और योजनाओं का ए.आई.बी.पी. के योजना परिव्यय में योजना (स्कीम) सम्मिलित होने के कारण पाँच योजनाओं/कार्य (*परिशिष्ट 2.16*) के कियान्वयन पर कुल ₹ 541.50 करोड़ का प्रावधान विभिन्न उप–शीर्षो के अंतर्गत अव्यवहृत रहा परिणामतः इसे अभ्यर्पित कर दिया गया। यह दर्शाता है कि परियोजनाये, पर्याप्त योजना के बिना बनाई गयी ।

vi सात मुख्य शीर्षो (*परिशिष्ट 2.17*) के अंतर्गत ₹ 370.38 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध, कुल ₹ 99.20 करोड़ की धन राशि पुनर्विनियोजन द्वारा बिना विचार किये अभ्यर्पित कर दिया गया तथा इन कार्यो पर ₹ 292.27 करोड़ का व्यय हुआ। परिणामस्वरूप ₹ 21.09 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जो यह दर्शाता है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सह नियंत्री पदाधिकारी का व्यय पर अप्रभावी नियंत्रण था।

vii बिहार बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार यह राज्य के हित में नहीं है कि धन को जल्द बाजी में अथवा बिना विचार किये केवल इसलिए खर्च कर दिया जाय क्योंकि यह उपलब्ध है अथवा अनुदान के व्ययगत होने के खतरे से बचा जा सके । लोक हित में जिन अनुदानों का लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए । संभावित बचतों को इसलिए नही रोका जा सकता कि अगले वर्ष के नये मदों से समायोजन किया जाएगा । विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की सघनता सामान्यः वित्तीय नियमितता उल्लंघन होगा । वर्ष 2010–11 के दौरान पाँच मुख्य शीर्षो के अंतर्गत ₹ 1395.68 करोड़ (*परिशिष्ट 2.18*) का व्यय हुआ, जिसमें मार्च 2011 के दौरान ₹ 530.74 करोड़ (38 प्रतिशत) का व्यय हुआ । मार्च 2011 में व्यय की सघनता वित्तीय नियमों का अनुसरण नहीं किया जाना दर्शाता है ।

एक अच्छी आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना से राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावशाली संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार वित्तीय नियम एवं निर्देशों को अनुपालन के साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति के रिपोर्टिंग की समयपरता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावशाली एवं क्रियात्मक हो तो चुस्त योजना बनाने एवं निर्णय लेने में राज्य सरकार को उनके प्रबंधात्मक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता मिलती है। यह अध्याय राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निवेशों की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 बकाया विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र

बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 322(2) में प्रावधान है कि प्रत्येक सभी सार आकस्मिक व्यय (ए.सी.) विपत्रों पर निकासी की गई अग्रिम राशियों का समायोजन प्रत्येक आहरण पदाधिकारी विस्तृत आकस्मिक व्यय (डी.सी.) विपत्रों को प्रमाणित कर पहले चालू माह को सभी प्रतिहस्ताक्षर पदाधिकारी के हस्ताक्षर के पश्चात कोषागार से अग्रिम राशियों की निकासी की तिथि से छठे महीने की 25वीं तारीख तक ही महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र (डी.सी.) समर्पित कर लेना चाहिए।

जैसा कि **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है, 83542 ए.सी. विपत्र पर ₹ 25331.05 करोड़ की निकासी में से केवल ₹ 2755.68 करोड़ के लिए ही 9425 डी.सी. विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार को समर्पित किये गये। 14 सितम्बर 2011 तक, वर्ष 2002-03 से 2010-11 के दौरान 74117 ए. सी. विपत्र पर निकासी किये ₹ 22575.37 करोड़ के डी. सी. विपत्र बार-बार अनुरोध के बावजूद समर्पित नहीं किये गये।

तालिका 3.1: बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र

(₹करोड़ में)

वर्ष	आकस्मिक सार विपत्र		विस्तृत आकस्मिक विपत्र		सार आकस्मिक विपत्रों का विस्तृत आकस्मिक विपत्रों से प्रतिशतता	बकाया वस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि
2002-03	6988	332.22	677	86.63	*26.08*	6311	245.59
2003-04	12570	548.41	845	81.95	*14.94*	11725	466.46
2004-05	10701	957.72	1197	264.99	*27.67*	9504	692.73
2005-06	6064	2376.31	1289	430.17	*18.10*	4775	1946.14
2006-07	6980	3849.31	1546	723.45	*18.79*	5434	3125.86
2007-08	7081	3860.47	1909	862.82	*22.35*	5172	2997.65
2008-09	8039	2348.04	1195	184.28	*7.85*	6844	2163.76
2009-10	12706	4043.20	658	105.59	*2.61*	12048	3937.61
2010-11	12413	7015.37	109	15.80	*0.23*	12304	6999.57
कुल	**83542**	**25331.05**	**9425**	**2755.68**		**74117**	**22575.37**

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार से प्राप्त विवरणी)

बिहार कोषागार संहिता (बी. टी. सी.) के नियम 300 के नीचे वर्णित प्रावधान के अनुसार मात्र इस आधार पर कि कोषागार से धन नहीं निकाला जाएगा कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभार की मंजूरी दे दी गई है। और न इसकी अनुमति है कि आवंटन के व्यपगत होने से बचाने के लिए कोषागार से धन निकाल लिया जाए और फिर उसे जमा कर दिया जाए। यदि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत धन का अग्रिम निकासी होता है तो, इस तरह निकाली गई राशि का अव्ययित, अतिशेष आगामी विपत्र में कम निकासी करके या शीघ्रातिशीघ्र संभव अवसर पर चालान के माध्यम से, और हर हाल में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले, जिसमें उक्त राशि निकाली गई, कोषागार को लौटा देना चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच के क्रम में पाया गया कि 2010-11 के दौरान सार आकस्मिक व्यय विपत्र (ए.सी.) पर आहरित ₹ 7015.37 करोड़ में से ₹ 2749.82 करोड़ (39 प्रतिशत) मार्च माह में आहरित किया गया। इनमें ₹ 937.75 करोड़ की राशि की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में 28 मार्च 2011 से 31मार्च 2011 के दौरान की गयी । वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम को भी दर्शाती है।

3.2 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 342 के साथ संलग्न राज्य सरकार के निर्णय (2 अ) को पढ़ा जाय, जिसमें यह प्रावधान है कि सहायता अनुदान के संबंध में जो तिमाही या छमाही किस्तों में स्वीकृत किये जाते है, सहायता अनुदान की प्रथम दो तिमाही किस्त या प्रथम छमाही किस्त अंतिम अनुदान किस्त के संबंध में बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये स्वीकृत की जा सकती है। फिर भी अनुदान की शेष रकम को स्वीकृत करने के लिए पूर्व के अनुदानों के लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रशासनिक विभागों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा विशेष उद्देश्यों के लिए प्रदत्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुदान ग्राहियों से प्राप्त किया जाना चाहिए और सत्यापन के पश्चात उन्हें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

तथापि, यह देखा गया कि प्रदत्त कुल ₹ 8926.41 करोड़ के अनुदान से संबंधी 21358 उपयोगिता प्रमाण पत्र में से प्रदत्त कुल राशि ₹ 8465.97 करोड़ 21291 उपयोगिता प्रमाण पत्र (99.96 प्रतिशत) बकाया की स्थिति में प्रस्तुत करना लंबित था। उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति में वर्षवार विलंब **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका 3.2 : वर्ष-वार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

क्रम संख्या	वर्षों की संख्या में विलंब का दायरा	कुल अनुदान का भुगतान		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	1-3	254	4571.29	198	4148.37
2	3-5	294	2620.33	284	2584.61
3	5-7	133	327.94	132	326.14
4	7-9	487	295.02	487	295.02
5	9 एवं ज्यादा	20190	1111.83	20190	1111.83
कुल		**21358**	**8926.41**	**21291**	**8465.97**

(स्त्रोत : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त विवरणी)

जैसा कि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है, 21291 उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से 20190 उपयोगिता प्रमाण पत्र (95 प्रतिशत) नौ वर्षों से अधिक समय से लंबित था।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के राज्य का वित्त के प्रतिवेदन में बार–बार आपत्ति उठाये जाने के बावजूद समय पर बाकी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुत करने में हुए विलंब में कोई सुधार नहीं किया गया । यह प्रशासनिक विभागों में आंतरिक नियंत्रण का अभाव ही नहीं, बल्कि पूर्व अनुदानों की समुचित उपयोगिता की पुष्टि किये बिना सरकार द्वारा नये अनुदान संवितरण जारी रखने की प्रवृति को भी दर्शाता था ।

3.3 स्वायत्त निकायों के लेखे/लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के समर्पण में विलंब

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुच्छेद 20 (1) में वर्णित प्रावधान के अनुसार किसी भी निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा यदि नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को किसी कानून के द्वारा सौंपी जाती है या यदि किसी विधान सभा वाले राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे करने का अनुरोध किया जाता है तो लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति प्राप्त शर्त्तों–प्रतिबंधों पर ली जा सकती है तथा ऐसे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों तथा निकायों एवं प्राधिकारणों के बही एवं लेखाओं तक पहुँच का अधिकार होगा। राज्य सरकार द्वारा इस प्रावधान के अनुसार गृह निर्माण, खादी और ग्रामोद्योग, कानूनी सेवाएँ तथा शिक्षा, जैसे चार स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गई ।

बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, बिहार राज्य गृह निर्माण बोर्ड तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के वर्ष क्रमशः 2002–03,2003–04 और 2010–11 तक के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गई थी। बारंबार अनुसरण के बावजूद, बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और बिहार राज्य गृह–निर्माण बोर्ड, के आगामी वर्षों की लेखा परीक्षा आज तक लंबित थी । बिहार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकार (बीएसएलएसए) के लेखे की लेखापरीक्षा स्थायी रूप से नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंप दी गई थी । इन निकायों द्वारा लेखाओं का समर्पण, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन तथा राज्य विधानमंडल में उनकी प्रस्तुती ***परिशिष्ट 3.1*** में दर्शायी गई है ।

3.4 दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 31 और 32 में प्रावधान है कि सरकारी धन की कोई हानि या उसका संदेह होने पर या सरकारी धन के गबन होने पर संबंधित पदाधिकारी को अपने से उच्च पदाधिकारी को और वित्त विभाग को तथा साथ ही प्रधान महालेखाकार को तुरन्त इसकी सूचना देनी चाहिए, चाहे ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा क्यों न कर दी गई हो । जाँचोपरान्त ऐसी हानि की प्रकृति, सीमा तथा कारणों एवं इसकी वसूली को प्रभावित करने वाली संभावनाओं से संबंधित पूर्ण रिपोर्ट समर्पित कर देनी चाहिए इन प्रतिवेदनों को प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों को आवश्यक अथवा उचित विभागीय जाँच करने के पश्चात दुर्विनियोजन, हानि अथवा गबन के कारणों अथवा परिस्थितियों का विस्तृत प्रतिवेदन जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चर्चा करते हुए भेजना चाहिए ।

तथापि, ऐसा कोई भी प्रतिवेदन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा प्रधान महालेखाकार को उपलब्ध नहीं कराया गया है। कुल मिलाकर मार्च 2011 तक ₹ 409.15 करोड़ के गबन, दुर्विनियोजन, हानि एवं चोरी के 1034 मामले संबंधित विभागों के पास लंबित थे। समयवार/वर्गवार लंबित मामले को ***परिशिष्ट 3.2*** तथा ***3.3*** में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही **तालिका 3.3** एवं **3.4** में उनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2010-11 तक ₹ 409.15 करोड़ के गबन, दुर्विनियोजन, हानि एवं चोरी से संबंधित मामले में से 13 मामलों के ₹ 1.18 करोड़ चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित थे । उस अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाले हुए हानि से संबंधित मामले को सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया था ।

तालिका 3.3: लंबित मामलों के समय-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

समय अवधि	मामले की संख्या	सम्मिलित राशि
5 तक	948	275.06
5 - 10	86	134.09
कुल	**1034**	**409.15**

(स्रोत : लेखा परीक्षा निष्कर्ष)

गबन, दुर्विनियोजन, हानि और चोरी के प्रत्येक वर्ग में लंबित मामले की संख्या ***परिशिष्ट 3.3*** में दर्शायी गई है और **तालिका 3.4** में संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।

तालिका 3.4: लंबित मामलों की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

मामले की प्रकृति/विशेषताएँ	मामले की संख्या	सम्मिलित राशि
हानि	584	**112.90**
दुर्विनियोजन	256	248.01
चोरी	01	0.02
गबन	193	48.22
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले हुए हानि के मामले	-	-
कुल लंबित मामले	**1034**	**409.15**

(स्रोत : लेखा परीक्षा निष्कर्ष)

1034 मामलों में 584 मामले (56 प्रतिशत) हानि से संबंधित है, जो इंगित करता है कि संबंधित विभागों द्वारा विहित नियम के अनुसार सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाये गये। पुनः यह भी पाया गया कि चोरी/दुर्विनियोजन के कारण हानि के 1034 मामलों में 948 मामले पाँच वर्ष पुराने तथा 86 मामले पाँच से दस वर्ष से अधिक पुराने थे, इन मामलों के निष्पादन में विभागों के सुस्त रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को घाटा हुआ, बल्कि दोषी व्यक्ति के विरुद्ध समय पर कार्रवाई करने में भी असफलता मिली ।

3.5 बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष – 800 की कार्य प्रक्रिया

लघु शीर्ष '800- अन्य प्राप्तियाँ ' तथा '800- अन्य व्यय' के अंतर्गत प्राप्तियों अथवा व्यय को दर्ज करने को प्राप्ति तथा व्यय का अपारदर्शी वर्गीकरण माना जाता है, क्योंकि ये शीर्ष राशि से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों को प्रकट नहीं करते हैं। शीर्ष उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत व्यय को समायोजित करता है।

वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व भाग में 13 मुख्य शीर्ष के विरुद्ध लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 3293.23 करोड़ हुआ जो कुल व्यय का 78 प्रतिशत ₹ 4223.19 करोड़ था, जिसमें 13 मुख्य शीर्ष शामिल थे । वित्तीय लेखा में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत संबद्ध लघु शीर्ष में स्पष्टतया वर्णन करने के स्थान पर शहरी विकास परियोजनाएँ, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा मुख्य सिंचाई, पर कुल व्यय को बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4*** में दर्शाया गया है।

उसी प्रकार, कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 310.16 करोड़ में से ₹ 233.61 करोड़ जो सम्पूर्ण प्राप्ति का 75 प्रतिशत था, को 16 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बहुप्रयोजनित लघु

शीर्ष–800– 'अन्य प्राप्तियाँ' के अंन्तर्गत वर्गीकृत किये गये । उद्योग, भूमि एवं राजस्व और सड़क एवं सेतु इत्यादि के अंतर्गत करेत्तर राजस्व की बड़ी राशि इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि *परिशिष्ट 3.5* में दर्शाया गया है।

बहुप्रयोजित लघु शीर्ष 800– 'अन्य व्यय/प्राप्तियाँ' के अन्तर्गत के कारण वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता प्रभावित हुई ।

3.6 प्राप्तियों एवं व्ययों का मिलान नहीं किया जाना

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475(viii) के अनुसार महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), के पुस्तकों में दिये आंकडों के साथ विभागाध्यक्ष द्वारा रखे गये लेखे के आंकड़ों के समाधान के लिये विभागाध्यक्ष और महालेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे । मिलान का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभागीय लेखा इतने शुद्ध हो कि व्यय पर कारगर विभागीय नियंत्रण रखा जा सकें ।

तथापि, लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभागीय लेखों के समाधान नहीं करने के मुद्दे को उठाये जाने के बावजूद भी वर्ष 2010–11 के दौरान नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा ऐसे चूक होते रहे । वर्ष 2010–11 के दौरान कुल व्यय ₹ 47411.86 करोड़ रुपये के विरुद्ध (ऋण एवं अग्रिम को छोड़कर) कुल व्यय का केवल ₹ 3920.39 करोड़ (8.26 प्रतिशत) का समाधान पूर्ण किया गया था। वर्ष 2010–11 के दौरान नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा कुल प्राप्ति ₹ 44532.32 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 259.82 करोड़ (0.58 प्रतिशत) का समाधान किया गया था।

3.7 व्यक्तिगत निक्षेप लेखा

बिहार कोषागार संहिता खण्ड–1 के नियम 541 (ख) के अनुसार शासकीय अथवा किसी अन्य हैसियत से कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किये गए धन तथा अर्द्ध–शासकीय संस्थानों के निधियों को सरकार की उक्त राजकोष में बैंक खाता खोलने हेतु सरकार की विशिष्ट अनुमति के बिना राजकोष में व्यक्तिगत जमा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक महालेखाकार से परामर्श न किया जाए और सरकार इस बात से आश्वस्त न हो जाए कि इस तरह के व्यक्तिगत जमा लेखे में धारित की जाने वाली धनराशियों के आरंभिक लेखे उचित तरह से संधारित किए जायेंगे और लेखापरीक्षा के अध्याधीन होंगे।

इसके अतिरिक्त, बिहार कोषागार संहिता के नियम 552 के अनुसार एक सम्पूर्ण लेखा–वर्ष तक अदावी पाँच रूपये से कम की जमा राशि वर्ष की समाप्ति से पहले अंशतः पुर्नभुगतान किये जाए जमा पाँच रूपये से कम शेष और तीन संपूर्ण लेखा वर्षो से अधिक तक अदावी सभी शेष हर वर्ष मार्च के अंत में सरकार को जमा कर दिया जाना है। कोषागार पदाधिकारी 31वीं मार्च के तुरंत बाद इस प्रकार व्यपगत जमाराशियों और अतिशेषों की सूची तैयार करके महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को समर्पित करेगा।

यद्यपि, सभी कोषागारों एवं उपकोषागारों तथा वित्त विभाग को ऐसे परिचालित/ अपरिचालित खातों से संबंधित आंकड़े को उपलब्ध कराने हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा बार–बार अनुरोध के बावजूद 21 कोषागारों द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनके यहाँ कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता से संबंधित आंकड़े अस्तित्व में नहीं है। तथापि, विभागीय प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के कोषागारों में

व्यक्तिगत जमा खातों के अंतर्गत ₹ 21.88 करोड़ जमा रखा गया। व्यक्तिगत जमा लेखा में रखे निधि का कोषागार–वार विवरण **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है ।

तालिका 3.5: व्यक्तिगत निक्षेप खाते में निधियों को रखे जाना

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कोषागार का नाम	प्रारंभिक शेष	जमा	नामे	अंतिम शेष
1	मुज़्जफरपुर	6.17	0.00	-	6.17
2	पटना	0.02	-	0.01	0.01
3	सारण	-	-	0.11	-0.11
4	खगड़ियाँ	-	0.29	-	0.29
5	पटना निर्माण भवन	0.61	-	-	0.61
6	शिवहर	0.16	-	-	0.16
7	बेगूसराय	8.08	-	-	8.08
8	बांका	0.01	-	-	0.01
9	रोहतास	6.59	-	-	6.59
10	भभुआ	0.02	-	-	0.02
11	बगहा	0.05	-	-	0.05
	कुल	**21.71**	**0.29**	**0.12**	**21.88**

(स्त्रोत : वित्त लेखे, बिहार सरकार)

वर्ष 2010–11 के दौरान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार द्वारा कोषागारों के जाँच में प्रकट हुआ कि दो कोषागार में विभिन्न अपरिचालित व्यक्तिगत जमा लेखा के अंतर्गत कुल ₹31.79 करोड़ वर्षो से अनियमित रूप से रोक कर रखा गया तथा लेखा का अंतिम समापन के लिए प्रयास नहीं किया गया था। जैसा कि **तालिका 3.6** में ऐसे व्यक्तिगत जमा लेखे (11 मामलें) का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: व्यक्तिगत निक्षेप खाते में शेष बची राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कोषागार/उप–कोषागार का नाम	प्रशासनिक/आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी का नाम	31 मार्च 2011 को शेष
1	जिला कोषागार, नवादा	नगर पंचायत, वारसलीगंज	0.32
		जिला परिषद	3.10
		नगर परिषद	2.48
		नगर पंचायत, हिलसा	0.32
2	जिला कोषागार, गया	नगर पंचायत,शेरघाटी	0.64
		नगर पंचायत,टेकारी	0.88
		नगर पंचायत,बोध गया	1.10
		जिला परिषद, गया	0.10
		जल बोर्ड, गया	0.03
		नगर निगम, गया	22.57
		समवाद सदन, गया	0.25
	कुल	**11**	**31.79**

सरकार को इस प्रकार के व्यक्तिगत जमा लेखा की अंतिम समाप्ति के लिए समीक्षा करनी चाहिए। व्यक्तिगत जमा लेखे की समाप्ति नहीं करने पर निधियों के दुर्विनियोजन का जोखिम बना रहता है।

3.8 निष्कर्ष

वर्ष के दौरान सार आकस्मिक विपत्रों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण में कोई प्रगति नहीं हुई और उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के समर्पण में भी अच्छा–खासा विलंब हुआ। लेखा परीक्षा द्वारा बार–बार अनुसरण के पश्चात, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और बिहार राज्य आवास बोर्ड की सुर्पुदगी प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, को नहीं दी गयी विधानमंडल में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को रखने में विलंब हुआ, इसके अतिरिक्त सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी

सामग्री की हानि, गबन इत्यादि के कई मामले थे, जिनकी विभागीय कार्रवाई लम्बी अवधि से लंबित है। वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्ति एवं व्यय की अच्छी-खासी राशि बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष-800 में वर्गीकृत की गयी ।

3.9 अनुशंसाएँ

सरकार द्वारा:

- विभागों में सुदृढ़ निगरानी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, जिससे कि सार आकास्मिक बिलों के विरूद्ध लिये गये अग्रिमों का समायोजन निश्चित समयावधि में किया जा सकें, जैसा कि नियमों में निहित हैं।
- सुनिश्चित किया जाना चाहिए, कि अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थान को विशेष प्रयोजन के लिए दिये गये अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से प्रेषित करें।
- बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और बिहार राज्य आवास बोर्ड की लेखा परीक्षा के लिए समय पर सुपुर्दगी सुनिश्चित हो।
- सभी धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोजन आदि के समस्त प्रकरण की जाँच में तेजी लायी जानी चाहिए, जिससे दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा सके। इसी उद्देश्य से विभिन्न विभागों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी सुदृढ़ की जानी चाहिए, जिससे कि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सकें।
- लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियाँ', के अंतर्गत सम्मिलित करने के बजाय, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्ति एवं व्यय किये गये राशि को लेखा में स्पष्टतया वर्गीकृत कर वित्तीय प्रतिवेदन में सत्यता सुनिश्चित करनी चाहिए ।

पटना
दिनांक :

(आर. बी. सिन्हा)
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक :

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अ.	सामान्य आंकड़ें		
क्रम सं0	विवरण		आँकड़ें
1	क्षेत्रफल		**94163** वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	अ 2001 के जनगणना के अनुसार		**8.3** करोड़
	ब 2011 के जनगणना के अनुसार		**10.38** करोड़
3	अ जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 325 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी.		**881** प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी.
	ब जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 382 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी.)		**1102** प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी.
4	* गरीबी रेखा के नीचे का जनसंख्या (बी.पी.एल) (राष्ट्रीय औसत = 27.5 प्रतिशत)		**41.4** प्रतिशत
5	अ साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 64.8 प्रतिशत)		**47** प्रतिशत
	ब साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 74.0 प्रतिशत)		**63.82** प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 50 प्रति 1000 जन्म पर)		**52**
7	जीवन का संभावित जन्म दर (राष्ट्रीय औसत = 63.5 वर्ष)		**61.6** वर्ष
8	गिन्नी (गुणांक[1])		
	अ ग्रामीण (संपूर्ण भारत = 0.30)		**0.20**
	ब शहरी (संपूर्ण भारत = 0.37)		**0.33**
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2010-11 वर्तमान दर पर		**213073** करोड़
10	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2001-02से 2010-11)	बिहार	***11.44*** प्रतिशत
		सामान्य कोटि के राज्य	***11.32*** प्रतिशत
11	जी.एस.डी.पी.[2] सी.ए.जी.आर.[3] (2001-02से 2010-11)	बिहार	**15.61** प्रतिशत
		सामान्य कोटि के राज्य	***14.68*** प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि (2001से 2011)	बिहार	**25.07** प्रतिशत
		सामान्य कोटि के राज्य	**17.56** प्रतिशत

[1] यह आय के असामान्य वितरण का माप है जहाँ शून्य पूर्ण समानता को दर्शाता है एवं एक पूर्ण असमानता को दर्शाता है ।
[2] जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद
[3] सी.ए.जी.आर = मिश्रित वार्षिक विकास दर

परिशिष्ट 1.1

ब	वित्तीय आंकड़ें				
कम सं0		विवरण	आंकड़ें (प्रतिशत में)		
1	सी.ए.जी.आर.		2001-02 से 2009-10		2001-02 से 2010-11
			सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	बिहार
	क	राजस्व प्राप्तियों का .	15.20	17.41	18.25
	ख	अपने कर राजस्व का	14.53	16.90	17.44
	ग	गैर कर राजस्व का	13.87	24.64	14.69
	घ	कुल व्यय का	13.53	16.02	16.31
	ड.	पूँजीगत व्यय का	22.61	33.14	32.22
	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	12.73	14.69	14.05
	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	11.97	13.09	12.53
	ज	वेतन एवं मजदूरी का	11.45	7.85	8.00
	झ	पेंशन का	14.09	8.35	11.67

स्त्रोतः वित्तीय आँकड़ा वित्त लेखे पर आधारित आँकड़े है । बी.पी.एल. (योजना आयोग एवं एन एस एस ओ आँकड़े 61वें राउण्ड एनटीटीपीः// योजना आयोग निक.ईन/डाटा/डाटावेस/डाटा 0910/टेब%2021 पीडीएफ), गिन्नी गुणांक (योजना आयोग का गैर सरकारी प्राक्कलन एवं एनएसएसओ डाटा, 61वें राउण्ड 2004-05 एम आर पी), जीवन का संभावित जन्म दर (भारत के महानिवंधक का कार्यालयः गृह मंत्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11, शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन जनवरी 2011), जनसंख्या घनत्व (भारत के महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालयः गृह मंत्रालय एवं शिक्षा) अवधि 2001-02 से 2009-10 या 2010-11 के मामले में ।

सरकारी लेखे की संरचना : सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

भाग I संचित निधि : सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, वाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगें जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की संचित निधि" कहा जाता है ।

भाग II : आकस्मिकता निधि : संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैय्या करता है । तत्पश्चात विधान मंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है ।

भाग III : लोक लेखा : कुछ विशेष लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं है, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं ।

परिशिष्ट **1.2** भाग ख : वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरणी	रूपरेखा
वित्त लेखा दो भागों में वितरित है । भाग एक सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और **भाग दो** में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है । **भाग एक** में भारत नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रमाण-पत्र चार सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है ।	
विवरण संख्या 1	**वित्तीय स्थिति का विवरण :** सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आंकड़े, जो वर्ष के अंत में रहता है, विवरणी में दिखाये गए हैं । ये परिसंपत्तियाँ सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों को दर्शाने वाली उत्तरोत्तर पूँजीगत व्यय के आँकड़ों के लिए मुख्यतः वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं । लेखा नीति के तहत परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य पर दिखाया गया है ।
विवरण संख्या 2	**प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण :** यह सरकार द्वारा चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीनों भागों-संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षिप्त विवरणी है । इसके अतिरिक्त राजस्व एवं पूँजीगत लेखा से संबंधित प्राप्तियों एवं व्ययों को संचित निधि के तहत पृथक रूप से दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 3	**प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** इसके अंतर्गत राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं सरकार द्वारा प्राप्त की गई उधार राशि जिसमें भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं पेशगियों की वसूलियाँ सम्मिलित हैं ।
विवरण संख्या 4	**व्यय की विवरण (समेकित निधि) प्रयोजनवार एवं प्रकृतिवार:** यह विवरण न केवल प्रयोजनवार व्यय को दर्शाती है बल्कि व्यय की गतिविधि की प्रकृति (विषय शीर्षवार व्यय) को भी सारांशीकृत करती है ।
इसके अतिरिक्त इस खण्ड में एक परिशिष्ट, परिशिष्ट-1 भी सम्मिलित है जो सरकार के रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश का विवरणी है । **भाग II** तीन भागों में विभक्त है । **भाग I** में छः विवरणी शामिल है जो निम्नलिखित हैं-	
विवरण संख्या 5	**प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरण प्रगामी पूँजीगत व्यय को कार्यकारी शीर्षवार बतलाता है जिसकी समिष्टि विवरण-1 में दर्शाया गया है ।

परिशिष्ट 1.2

विवरण संख्या 6	**उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण :** सरकार द्वारा ली गई उधार स्वरूप बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं पेशगियाँ सम्मिलित है । इन दोनों को मिला कर राज्य सरकार का लोक ऋण निर्मित होता है । इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरणी अन्य दायित्वों जो लेखा अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के शेषों को भी दर्शाता है । लोक लेखा के संबंध में सरकार निधि के संरक्षक या न्यासी के रूप में कार्य करती है । अतएव यह लेखा सरकार के दायित्वों को संस्थापित करती है । इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी टिप्पणी अर्थात् निवल ब्याज प्रभार जिन्हें राजस्व प्राप्तियों से वहन किया जाता है का भी उल्लेख है ।
परिशिष्ट **1.2** भाग ख **:** वित्त लेखे की रूपरेखा	
विवरण	रूपरेखा
विवरण संख्या 7	**सरकार द्वारा दिये गए कर्ज तथा पेशगियों का विवरण :** सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों को विवरण संख्या 1 में दर्शाया गया है तथा तत्संबंधी वसूलियाँ एवं संवितरणों को विवरण संख्या 2,3 तथा 4 में दर्शाया गया है । यहाँ कर्ज एवं पेशगियों को प्रभागवार-ऋणवार समूह में सारांशीकृत किया गया है । इसके अंतर्गत बकाये कर्ज की वसूलियाँ संबंधी टिप्पणी सम्मिलित है जिसके विस्तृत आँकड़ों का संधारण महालेखाकार कार्यालय एवं संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है ।
विवरण संख्या 8	**राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायक अनुदान का विवरण :** यह अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा समूहवार संघटित किया गया है । इसमें वस्तु के रूप में दिये गए अनुदान पर टिप्पणी भी अंकित है ।
विवरण संख्या 9	**सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण :** सरकार द्वारा वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों की ऋण वापसी हेतु दी गयी गारंटियों एवं वर्ष के अंत तक लंबित प्रत्याभूत राशियों का उल्लेख इस विवरणी में प्रदर्शित किया गया है ।
विवरण संख्या 10	**दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण :** इस विवरण के अंतर्गत सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्ययों को विस्तृत उल्लेख है ।
भाग II: इस भाग में नौ विवरण सम्मिलित हैं जो लघुशीर्षवार हुए संव्यवहारों को दर्शाता है जो खण्ड I एवं खण्ड II के भाग I के विवरणों में सदृश अनुकूल है ।	
विवरण संख्या 11	लघु **शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का ब्योरेवार विवरण :** यह विवरण सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत रूप में दर्शाता है ।
विवरण संख्या 12	**लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्योरेवार विवरण :** यह विवरण सरकार के राजस्व व्यय को विस्तृत रूप में दर्शाता है । गैर योजना एवं योजनागत आँकड़ों को अलग-अलग एवं विगत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 13	**पूँजीगत व्यय का ब्योरेवार विवरण :** इसके अंतर्गत सरकार के पूँजीगत व्यय का विस्तृत उल्लेख है । गैर योजना एवं योजनागत आँकड़ों को अलग-अलग एवं विगत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें वर्ष के अंत तक संचयी पूँजीगत व्यय का वर्णन भी सम्मिलित है ।
विवरण संख्या 14	**सरकारी निवेशों का ब्योरेवार विवरण :** विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी और डिबेंचर के रूप में सरकारी निवेशों की विगत एवं चालू वर्ष की स्थिति को इस विवरणी में दर्शाया गया है । इसके अंतर्गत शेयरों का प्रकार, अंकित मूल्य, प्राप्त लाभांश का भी उल्लेख किया गया है ।
विवरण संख्या 15	**उधार एवं अन्य दायित्वों का ब्योरेवार विवरण :** सरकार द्वारा प्राप्त उधार एवं अन्य दायित्वों (बाजार ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त कर्ज) को लघुशीर्षवार, उसकी परिपक्वता एवं ऋण की वापसी संबंधी रूपरेखा इस विवरण में प्रस्तुत किया गया है । यह विवरण खंड 2 के भाग 1 में विवरण संख्या 6 का विस्तृत रूप है ।

विवरण संख्या 16	**सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों का ब्योरेवार विवरण** : सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों का ब्योरा, ऋण शेषों में बदलाव, ऋण का अपलेखन, ऋणों पर प्राप्त ब्याज आदि को इस विवरण में दर्शाया गया है । इसमें योजनागत कर्ज को अलग से दर्शाया गया है । यह विवरणी खण्ड 2 के भाग 1 के विवरणी 7 का विस्तृत रूप है ।
विवरण संख्या 17	**व्यय हेतु निधियों के स्त्रोत तथा उनके अनुप्रयोग** (राजस्व लेखे को छोड़कर) का ब्योरेवार विवरण : पूँजीगत एवं अन्य व्यय (व्यय शीर्ष राजस्व लेखा को छोड़कर) व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों का उल्लेख इस विवरणी में किया गया है ।
विवरण संख्या 18	**आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संव्यवहारों को ब्योरेवार विवरण** : इस विवरण के अंतर्गत वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में हुए बदलाव, निधि को विनियोजन, व्यय एवं वापस प्राप्त किये गये राशि को दर्शाया गया है । इसमें लोक लेखा के संव्यवहारों को भी विस्तृत रूप में दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 19	**उद्दिष्ट निधियों के निवेशों को ब्योरेवार विवरण :** उद्दिष्ट निधियों से लोक लेखा में निवेशों की विस्तृत ब्योरा इस विवरण में दर्शाया गया है ।

परिशिष्ट 1.3

भाग क : राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गई कार्य प्रणाली

(संदर्भ: कंडिका 1.1, पृष्ठ 1)

चुनिंदा राजकोषीय परिवर्तनशीलता के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमान/उच्चतम सीमा एवं राजकोषीय समूहों के लिए इनके प्रक्षेपण के साथ राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय अधिनियम एवं अन्य विवरणियों में अपनी प्रतिबद्धता/प्रेक्षण अधिनियम (*परिशिष्ट 1.2* **का भाग ख**) के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष मुख्य राजकोषीय योग की प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप के गुणात्मक निर्धारण हेतु रखे जाने की आवश्यकता है । सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) को राज्य के आर्थिक निष्पादन का अच्छा सूचक मानते हुए मुख्य राजकोषीय समुच्चय जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा मुख्य राजकोषीय घाटा को चालू बाजार दर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया गया।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वर्तमान दर पर

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	103317	118687	150709	175245	213073
जी.एस.डी.पी. का विकास दर	23.66	14.88	26.98	16.28	21.59

स्त्रोत : निदेशालय सांख्यिकी एवं आर्थिक विभाग, बिहार सरकार

नोट : **2008-09** के आंकड़ें अपबंधिक अनुमान पर हैं, **2009-10** त्वरित अनुमान एवं **2010-11** अग्रिम अनुमान पर है ।

कुछ चुने हुए शब्दों जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय के प्रवृति एवं प्रतिकृति के निर्धारण में किया गया है, परिभाषा के साथ नीचे दिए गए है ।

शब्द	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर
अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में प्राचल (X) की उत्प्लावकता	प्राचल (X) की वृद्धि दर/ प्राचल (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	समाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
समुच्चित व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान /[पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय दायित्व)2]*100
ब्याज विस्तार	जी.एस.डी.पी. वृद्धि – औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	संचित ऋण * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(प्रारंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियाँ – विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव मुख्य शीर्ष 2048 ऋण की परिहार्यता की कमी के लिए विनियोजन में अंकित व्यय को छोड़कर सभी योजना अनुदान एवं गैर योजना राजस्व व्यय

[बिहार अधिनियम 25, 2010]

राजकोषीय समेकन के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रकिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिऐ राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट अधिनियम 2006 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधियमित थेः–

1. (अ) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।

(ब) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(स) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित नियत करें ।

2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा–2 में संशोधन 1–बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 2 की उप–धारा (ठ) के बाद निम्नलिखित नयी उप–धारा (ड) जोड़ी जायेगीः

(ड) "ऋण" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा ब्याज पर ली गई उधार की राशि ।

3. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा–3 में संशोधन 1–बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा–3 की उप धारा (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :

(अ) "राजकोषीय सुधार के मार्ग पर आने के लिए वर्ष 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करने पर वर्ष 2011–12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 (तीन) प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करेगी और उसे उसके बाद बनाये रखना होगा" ।

4. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा–9 में संशोधन 1–बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 9 (2) (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:

(ब) "वित्तीय वर्ष 2010–11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3. 5 प्रतिशत करेगी एवं वर्ष 2011–12 में यह 3 प्रतिशत होगी और इसे वर्ष 2014–15 तक बनाये रखना होगा" ।

5. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा 9 में संशोधन ।–बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा–9 की उप–धारा 2 के खंड (ख) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड (ग) जोड़ा जायेगा :

(स) " ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के लिये कमशः 48.2, 46.4, 44.6. 43.0 एवं 41.6 तक लायेगी" ।

परिशिष्ट 1.4

वर्ष 2010–11 के प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार

(संदर्भः कंडिका 1.1.1 एवं 1.3, पृष्ठ 2,5)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2009-10			2010-11		2009-10			2010-11		
								गैर योजना	योजना	योग
		खण्डः अ राजस्व								
35526.83	I	**राजस्व प्राप्तियाँ**		**44532.32**	**32584.17**	I	**राजस्व व्यय**	**27316.41**	**10899.51**	**38215.92**
8089.67		कर राजस्व	9869.85		12202.35		सामान्य सेवाएँ	15109.01	177.96	15286.97
1670.42		करेत्तर राजस्व	985.53		13186.41		समाजिक सेवाएँ	7310.33	7779.09	15089.42
18202.58		संघीय करों का राज्यांश	23978.38		7416.22		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	4732.26	3368.32	8100.58
2256.20		गैर योजना अनुदान	1924.78		1387.82		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1283.54	218.65	1502.19
3720.97		राज्य योजना हेतु अनुदान	5456.95		1438.24		जलापूर्ति स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	458.85	1238.68	1697.53
1586.99		केन्द्रीय योजना एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	2316.83		52.01		सूचना एवं प्रसारण	49.58	2.41	51.99
					407.53		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	79.33	458.86	538.19
					69.89		श्रम एवं श्रम कल्याण	63.47	15.43	78.90
					2260.21		समाज कल्याण एवं पोषण	609.26	2293.36	2902.62
					154.49		अन्य	34.04	183.38	217.42
					7087.95		आर्थिक सेवाएँ	4893.82	2942.46	7836.28
					1503.55		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	780.66	1237.06	2017.72
					2680.44		ग्रामीण विकास	649.08	1340.36	1989.44
							विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम			
					897.31		सिंचाई एवं	1226.62	84.40	1311.02

परिशिष्ट 1.4

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2009-10			2010-11		2009-10			2010-11		
								गैर योजना	योजना	योग
							बाढ़ नियंत्रण			
					867.61		उर्जा	1214.24	1.59	1215.83
					265.39		उद्योग एवं खनिज	101.04	224.82	325.86
					690.04		परिवहन	634.49	-	634.49
					-		विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण			
					183.61		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	287.68	54.23	341.91
					107.47		सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.25	-	3.25
					32584.17		कुल			38215.92
	II	खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे			2942.66	II	खण्ड ब में से ले जाए गए राजस्व अधिशेष			6316.40
35526.83		**कुल**		**44532.32**	**35526.83**		**कुल**			**44532.32**
		ऋण ब अन्य								
3557.09	III	**स्वायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरंभिक रोकड़ शेष**		**2291.13**		III	**भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओभर ड्राफ्ट**			
	IV	**विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ**			**7332.09**	IV	**पूँजीगत परिव्यय**	**45.69**	**9150.25**	**9195.94**
					274.48		सामान्य सेवाएँ	49.53	346.18	395.71
					1122.55		सामाजिक सेवाएँ	-3.84	1075.92	1072.08
					333.96		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	-	143.75	143.75
					120.52		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-7.91	172.89	164.98
					464.71		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	4.07	625.67	629.74
					3.00		सूचना एवं प्रसारण	-	1.05	1.05
					26.18		अनुसूचित जातियाँ,	-	29.79	29.79

परिशिष्ट 1.4

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2009-10			2010-11		2009-10		2010-11			
								गैर योजना	योजना	योग
							अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
					153.59		समाज कल्याण एवं पोषाहार	-	88.46	88.46
					20.59		अन्य	-	14.31	14.31
					5935.06		आर्थिक सेवाएँ	-	7728.15	7728.15
					1.00		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	-	16.99	16.99
					852.65		ग्रामीण विकास	-	1203.82	1203.82
							विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम			
					1348.62		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	$	1366.98	1366.98
					376		उर्जा		1007.23	1007.23
					268.58		उद्योग एवं खनिज		8.81	8.81
					3058		परिवहन		4071.58	4071.58
					24.04		सामान्य आर्थिक सेवाएँ		52.74	52.74
13.20	**V**	**ऋण एवं अग्रिमों की वसूली**		**11.86**	**896.79**	**V**	**ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण**	**268.05**	**834.58**	**1102.63**
-		विद्युत परियोजनाओं से			626.25		उर्जा परियोजनाओं हेतु	44.07	834.42	878.49
7.12		सरकारी सेवकों से	10.95		7.12		सरकारी सेवकों को	14.86		14.86
6.08		अन्य से	0.91		263.42		अन्य से	209.12	0.16	209.28
2942.66	**VI**	राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए		**6316.40**		**VI**	राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए			
6134.39	**VII**	लोक ऋण प्राप्तियाँ		**6032.42**	**1982.99**	**VII**	लोक ऋण का पुर्नभुगतान			**2190.03**
		बाहरी ऋण					बाहरी ऋण			
5370.07		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	5250.89		1169.32		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण			1724.53
-		अर्थोपाय अग्रिमों के					अर्थोपाय अग्रिमों के			

$ केवल 44,000/-

परिशिष्ट 1.4

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2009-10			2010-11		2009-10			2010-11		
								गैर योजना	योजना	योग
		अंतर्गत निवल लेन–देन					अंतर्गत निवल लेन–देन			
-		ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन–देन								
764.32		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	781.53		813.67		भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुर्नभुगतान			465.50
0.00	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**		**1150.00**	**0.00**	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**			**1150.00**
-	**IX**	**आकस्मिकता निधि के राशि का स्थानांतरण**		-		**IX**	**आकस्मिकता निधि से व्यय**			
15303.39	**X**	**लोक लेखा प्राप्तियाँ**		**17321.25**	**15447.74**	**X**	**लोक लेखा संवितरण**			**16749.02**
707.19		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	838.84		970.05		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ			586.14
565.67		आरक्षित निधि	243.72		467.36		आरक्षित निधि			60.00
296.81		उर्वत एवं विविध	334.43		197.28		उचन्त एवं विविध			329.52
7422.76		प्रेषण	9279.87		7367.94		प्रेषण			9199.91
6310.96		जमा एवं अग्रिम	6624.39		6445.11		जमा एवं अग्रिम			6573.45
	XI	**भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओभरड्राफ्ट**			**2291.13**	**XI**	**अंतिम रोकड़ शेष**			**2735.44**
					-		कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			
					(-)2536.45		रिजर्व बैंक के पास जमा			-426.37
					200.44		विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम आदि सहित			426.92
					4627.14		रोकड़ शेष निवेश			2734.89
27950.74		कुल		**33123.06**	**27950.74**		कुल			**33123.06**

परिशिष्ट 1.5

राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधि का सीधा हस्तांतरण

(संदर्भः कंडिका 1.2.2, पृष्ठ 5)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना	राज्य में क्रियान्वयन करने वाले एजेन्सियाँ	2009-10	2010-11
		केन्द्रांश	केन्द्रांश
सर्व शिक्षा अभियान	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्	1217.39	1958.66
प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम		0.00	15.96
कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय		0.00	73.28
कुल		**1217.39**	**2047.90**
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	1032.80	2089.26
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना		131.91	141.57
इंदिरा आवास योजना		2009.19	2255.58
समेकित जलाच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम		-	0.74
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन)		-	31.77
हरियाली		5.71	0.00
कुल		**3179.61**	**4518.92**
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्वास्थ्य समिति	420.84	19.71
कुल सफाई अभियान		90.47	-
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	पंजीकृत समितियाँ	-	3458.69
सांसदों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिला मजिस्ट्रेट	101.50	111.53
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रम	पंजीकृत समितियाँ (स्वंयसेवी संस्थाएँ)	0.85	0.63
ऑफ ग्रिड डी.आर.पी.एस.	बिहार पुनर्नवीनीकरण उर्जा विकास अभिकरण	0.99	2.83
कला और संस्कृति का प्रोन्नति और संवर्द्धन	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थाएँ)	1.07	0.84
हस्तशिल्प	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थाएँ)	1.82	0.00
स्मारिका तथा अन्य	नव नालांदा महाविहार	2.80	2.20
महिला समाख्या	बिहार महिला समाख्या समिति	5.44	5.41
राष्ट्रीय फार्मास्यिूटिकल तथा शोध संस्थान	राष्ट्रीय फार्मास्यिूटिकल शिक्षा तथा शोध संस्थान	7.15	1.00
व्यस्क शिक्षा एवं दक्षता विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं (एस.आर.सी.) को सहयोग	जन शिक्षण संस्थान	7.86	4.63
स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायक अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	बाल श्रम परियोजना समिति	16.61	7.31
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा)	बिहार राज्य श्रम कल्याण समितियाँ	31.98	55.86
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान	राज्य कृषि प्रबंधन तथा विस्तार प्रशिक्षण	43.32	51.65
नये आई.आई.टी. की स्थापना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	52.50	20.00
राज्य बजट से बाहर भारत सरकार की कुल निधि		**5182.20**	**10309.11**

राज्य सरकार के काल श्रृंखला वित्त आंकड़ें

(संदर्भः कंडिका 1.3.1, 1.7.2 एवं 1.9.1, पृष्ठ 1,23 एवं 27)

(₹ करोड़ में)

	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10	2010-11
खण्ड अ प्राप्तियाँ					
1.राजस्व प्राप्तियाँ	**23083**	**28210**	**32981**	**35527**	**44532**
(i) कर राजस्व	**4033(17)**	**5086(18)**	**6173(19)**	**8090(23)**	**9870(22)**
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2081(52)	2535(50)	3016(49)	3839(48)	4557(46)
राज्य उत्पाद	382(9)	525(10)	679(11)	1082(13)	1523(16)
वाहन पर कर	181(4)	273(5)	298(5)	345(4)	456(5)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	455(11)	654(13)	716(12)	998(12)	1099(11)
भू–राजस्व	75(2)	82(2)	102(1)	124(2)	139(1)
माल एवं यात्री कर	783(19)	938(18)	1279(21)	1613(20)	2006(20)
अन्य कर	76(2)	79(2)	83(1)	89(1)	90(1)
(ii) गैर राजस्व कर	**511(2)**	**526(2)**	**1153(3)**	**1670(5)**	**985(2)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	**13292(58)**	**16766(59)**	**17693(54)**	**18203(51)**	**23978(54)**
(iv) भारत सरकार से सहायताअनुदान	**5247(23)**	**5832(21)**	**7962(24)**	**7564(21)**	**9699(22)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	00	00
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	**7**	**26**	**11**	**13**	**12**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ **(1+2+3)**	**23090**	**28236**	**32992**	**35540**	**44544**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**2358**	**1612**	**5928**	**6134**	**6032**
आंतरिक (अर्वोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	2355	1144	5778	5370	5251
आंतरिक अर्वोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	3	468	150	764	781
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ **(4+5)**	**25448**	**29848**	**38920**	**41674**	**50576**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**9224**	**12837**	**16941**	**15303**	**17321**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ **(6+7+8)**	**34672**	**42685**	**55861**	**56978**	**67897**
खण्ड–ब–व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**20585**	**23563**	**28512**	**32584**	**38216**
योजना	**4065(20)**	**4804(20)**	**7280(26)**	**8439(26)**	**10900(29)**
गैर–योजना	**16520(80)**	**18759(80)**	**21232(74)**	**24145(74)**	**27316(71)**
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	8643(42)	9252(39)	10530(37)	12202(37)	15287(40)
समाजिक सेवाएँ	7917(38)	9868(42)	12252(43)	13186(40)	15090(39)
आर्थिक सेवाएँ	4021(20)	4438(19)	5726(20)	7088(22)	7836(21)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	5	4	108(1)	3
11. पूँजीगत व्यय	**5211**	**6104**	**6436**	**7332**	**9196**
योजना	**5132(98)**	**5991(98)**	**6336(98)**	**7268(99)**	**9150(99)**
गैर–योजना	**79(2)**	**113(2)**	**100(2)**	**64(1)**	**46(1)**
सामान्य सेवाएँ	155(3)	223(4)	206(3)	274(4)	396(4)
समाजिक सेवाएँ	596(11)	799(13)	640(10)	1123(15)	1072(12)
आर्थिक सेवाएँ	4460(86)	5082(83)	5590(87)	5935(81)	7728(84)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	**315**	**272**	**551**	**897**	**1103**
13. कुल ***(10+11+12)***	**26111**	**29939**	**35499**	**40813**	**48515**

परिशिष्ट 1.6

	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10	2010-11
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**1025**	**1632**	**1682**	**1983**	**2190**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	708	1203	1254	1169	1725
अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	317	429	428	814	465
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. संचित निधि से कुल संवितरण ***(13+14+15)***	**27136**	**31571**	**37181**	**42796**	**50705**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
18.लोक लेखा संवितरण	**8016**	**10334**	**17311**	**15448**	**16749**
19. राज्य सरकार द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**35152**	**41905**	**54492**	**58428**	**67454**
खण्ड-स-घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य +) (1-10)	**2498**	**4647**	**4469**	**2943**	**6316**
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य(+) (4-13)	**(-)3021**	**(-)1703**	**(-)2507**	**(-)5273**	**-3971**
22. प्रारंभिक घाटा/ प्रारंभिक आधिक्य (21+23)	**(+)395**	**(+)2004**	**(+)1246**	**(-)1588**	**+348**
खण्ड-द-अन्य आंकड़ें					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	**3416**	**3707**	**3753**	**3685**	**4319**
24. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	**1017**	**1133**	**4423**	**4456**	**4622**
25. उपभोग किये गये अर्थोपाय अग्रिम/ ओभरड्राफ्ट (दिन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उपयोग किये गये अर्थोपाय अग्रिम/ ओभरड्राफ्ट (दिन)					
उपयोग किय गये ओभरड्राफ्ट (दिन)					
26. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट पर ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)[a]	**103317**	**118687**	**150709**	**175245**	**213073**
28 लंबित राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	**49089**	**50989**	**54977**	**58690**	**62858**
29. लंवित प्रत्याभूति (वर्षान्त)	**608**	**516**	**704**	**859**	**588**
30. गारंटी दी गई अधिकतम राशि (वर्षान्त)	**1538**	**1538**	**1538**	**1548**	**1549**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**6**	**9**	**78**	**288**	**350**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	**2393**	**2793**	**1016**	**941**	**1005**
खण्ड-ई-राजकोषीय स्थिति का सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
निजी राजस्व कर/जी.एस.डी.पी.	**0.039**	**0.043**	**0.041**	**0.046**	**0.046**
निजी करेत्तर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	**0.005**	**0.004**	**0.007**	**0.009**	**0.004**
केन्द्रीय स्थानांतरण/जी.एस.डी.पी.	**0.128**	**0.141**	**0.113**	**0.103**	**0.112**
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/जीएसडीपी	**0.253**	**0.252**	**0.235**	**0.233**	**0.227**
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	**1.131**	**1.061**	**1.076**	**1.148**	**1.089**
राजस्व व्यय/कुल व्यय	**0.788**	**0.787**	**0.803**	**0.798**	**0.787**
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	**0.326**	**0.356**	**0.363**	**0.350**	**0.333**
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	**0.325**	**0.318**	**0.318**	**0.319**	**0.343**
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	**0.199**	**0.203**	**0.181**	**0.179**	**0.189**

परिशिष्ट 1.6

	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10	2010-11
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.193	0.196	0.173	0.173	0.181
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.024	0.039	0.029	0.017	0.029
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	-0.029	-0.014	-0.016	-0.030	-0.018
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.038	0.017	0.008	-0.009	0.016
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.827	-2.728	-1.782	-0.558	-1.590
आरंभिक राजस्व शेष/जी.एस.डी.पी.	-0.053	-0.053	-0.046	-0.047	-0.048
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/जी.एस.डी.पी.	0.475	0.429	0.365	0.335	0.295
राजकोषीय दायित्व/आर.आर.	2.126	1.807	1.667	1.652	1.411
आरंभिक घाटा यथा मात्रा विस्तार	0.001	-0.005	0.001	0.012	0.001
ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ	1.345	3.216	0.064	0.736	0.923
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिफल	0.00	0.38	0.26	0.24	0.28
चालू राजस्व से शेष	2996	5124	3953	6213	9602
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/दायित्व	0.860	0.960	0.960	1.09	1.18

कोष्टक में दिये गये आंकडे प्रत्येक उपशीर्षों के कुल प्रतिशतता दिखलाते हैं ।
@ सरकार द्वारा अपनायी गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े

परिशिष्ट 1.7

राजस्व बकायों का विभागवार विवरणी

(संदर्भः कंडिका 1.3.4, पृष्ठ 10)

(₹ करोड़ में)

कम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2011 को बकाया राशि	पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	अभियुक्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट	901.96	422.42	₹ 901.96 करोड़ में से ₹ 315.71 करोड़ की माँग को भू-राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रमाणित किये गए थे । ₹ 138.84 करोड़ की वसूली को न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया था । ₹ 1.27 करोड़ की राशि को आवटंन की समीक्षा/संशोधन के लिए रोका गया और ₹ 503.53 करोड़ अन्य परिस्थितियों के लिए लंबित थे ।
2.	प्रवेश कर	27.37	1.47	₹ 27.37 करोड़ में से, ₹ 0.50 करोड़ की मांग को भू-राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रमाणित किये गये थे । ₹ 3.80 करोड़ की वसूली को न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया एवं ₹ 23.07 करोड़ अन्य परिस्थितियों के लिए लंबित थे ।
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	2.32	1.76	₹ 2.32 करोड़ में से, ₹ 1.49 करोड़ की मांग को भू-राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रमाणित किये गये थे । ₹ 0.77 करोड़ की वसूली को न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया एवं ₹ 0.06 करोड़ अन्य परिस्थितियों के लिए लंबित थे ।
4.	मनोरंजन कर	9.96	2.44	₹ 9.96 करोड़ में से, ₹ 9.06 करोड़ की मांग को भू-राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रमाणित किए गये थे । ₹ 0.09 करोड़ की वसूली को न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया एवं ₹ 0.81 करोड़ अन्य परिस्थितियों के लिए लंबित थे ।
6.	जल दर	229.03	158.64	संग्रहण के लिए लंबित बकायों की परिस्थितियों की मांग (जून एवं सितंबर 2011) किए जाने के बावजूद सूचित नहीं किए गए । (नवम्बर 2011)
7.	ईख	27.60	12.26	₹ 27.60 करोड़ में से, ₹ 3.84 करोड़ की मांग को भू-राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रमाणित किये गए थे । ₹ 10.89 करोड़ की वसूली को सरकार द्वारा रोक लगाया गया एवं ₹ 12.87 करोड़ अन्य परिस्थितियों के लिए लंबित थे ।
	कुल	**1198.24**	**598.99**[3]	

[3] वाहनों पर कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद एवं खान एवं खनिज को छोड़कर जिसका संबंधित विभागों द्वारा विवरण नहीं दिया गया ।

31 मार्च 2011 को अपूर्ण परियोजनाओं (लागत वृद्धि) की विवरणी

(संदर्भः कंडिका 1.6.1, पृष्ठ 20)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वित्त लेखे के परिशिष्ट X का क्रम संख्या	विभाग	निर्माण कार्य/परियोजना का नाम	अनुमानित लागत /तिथि	आरोही व्यय	लागत वृद्धि	कार्य की भौतिक प्रगति
1	150	पथ निर्माण विभाग	मुजफ्फरपुर के शिवहर मीनापुर सड़क के 32 कि.मी. पर उच्चस्तरीय कार्ट पुल	4.63 02 अप्रैल 08	4.70	0.07	90
2	155	पथ निर्माण विभाग	चौसा-बुन्नी-पावनी कमरपुर सड़क, बक्सर	5.07 14 जून 08	8.23	3.16	80
3	16	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	श्रीनगर, मधेपुरा में नगर ग्रामीण जलापूर्ति योजना	2.44 04 नवम्बर 06	2.45	0.01	99
4	25	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	नालंदा जिला के अंधाना में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजना का पुनर्गठन	11.15 11 सितम्बर 06	11.78	0.63	99
5	156	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	बेनारी ग्रामीण जलापूर्ति योजना, सासाराम	2.26 14 जून 08	2.45	0.19	82
6	157	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	छपरा में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत छपीया जलापूर्ति योजना	4.61 14 जून 08	4.80	0.19	85
7	170	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	नवादा में प्राथमिक/मध्यविद्यालय में 125 मी.मी. x 40 मी.मी. x 61 मीटर./ 125 मी.मी. x 40 मी. मी. x 46 मीटर हस्तचालित नलकूप/ 125मी.मी. x 38 मीटर गेवेल पैकेड नलकूप / 125 मी. मी./115 मी.मी. x 50 मी.मी. गहरा हस्तचालित नलकूप का निर्माण	5.64 -	5.73	0.09	95
8	182	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल पटना पश्चिम (एम.एल.ए. कोटा) के अंतर्गत 125 मी.मी. x 40 मी. मी. 61 मीटर इंडिया मार्क-III गहरा 412 हस्तचालित नलकूप का निर्माण	4.06 11 जुलाई 08	5.62	1.56	75
9	186	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	नवादा में 53 नलकूपों का निर्माण	10.11 19 अगस्त 06	11.90	1.79	74
10	61	जल संसाधन विभाग	बदलानगर तटबंध, खगड़िया के बीरवास स्थल पर किलोमीटर 29.78 से 30.68 का कटाव निरोधक कार्य	4.14 05 फरवरी 07	4.26	0.12	96
11	66	जल संसाधन विभाग	हारसेर बजारमुरिया, पहाड़वक झिंगा, मुजफ्फरपुर में कटाव निरोधक कार्य	1.84 09 अक्टूबर 07	2.41	0.57	95

परिशिष्ट 1.8

12	69	जल संसाधन विभाग	खगड़िया जिला के के.वी. तटबंध पर 43.50 से 49.00 कि.मी. तक कटाव निरोधक कार्य	4.51 14 दिसम्बर 07	5.02	0.51	97
13	73	जल संसाधन विभाग	किशनगंज जिला के पहटगाँव में कटाव निरोधक कार्य	12.49 -	13.73	1.24	95
14	83	जल संसाधन विभाग	ताजपुर, मुंगेर तटबंध पर कटाव निरोधक कार्य	4.00 05 अक्टूबर 08	4.34	0.34	79
15	90	जल संसाधन विभाग	पटना जिला के बख्तियारपुर के खजुदार ग्राम में कटाव निरोधक कार्य	0.49 04 फरवरी 09	0.52	0.03	95
16	311	जल संसाधन विभाग	औरंगाबाद के छोटी मझौली में श्रृंखला 0 से 1.90 में भू-कार्य एवं श्रृंखला 5 .00, 18.00, 45.00, 84.00, 120.00, 139.00, 154.00, 179.00 पर क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण	1.66 -	5.79	4.13	30
17	328	जल संसाधन विभाग	बटेश्वरस्थान कहलगॉव भागलपुर में गंगा पम्प नहर योजना कार्य	6.98 08 फरवरी 10	7.49	0.51	-
		कुल		**86.08**	**101.22**	**15.14**	

31 मार्च 2011 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार

(संदर्भः कंडिका 1.7.1, पृष्ठ 22)

(₹ करोड़ में)

31.03.2010 को	देयता		31.03.2011 को
35494.01	आंतरिक ऋण -		**39020.39**
15871.95	ब्याज वाले बाजार ऋण	17579.57	
0.28	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.44	
22.08	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.97	
19599.70	अन्य संस्थाओं से ऋण	21418.41	
7948.45	केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम		**8264.48**
3.91	1984-85 से पूर्व ऋण	3.91	
70.06	गैर-योजना ऋण	67.09	
7804.99	राज्य योजनाएँ ऋण	8126.28	
6.73	केन्द्रीय योजना के लिए ऋण	6.13	
19.80	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	18.11	
42.96	अर्थोपाय अग्रिम योजना मद	42.96	
350.00	आकस्मिकता निधि		**350.00**
9310.72	लघु बचत, भविष्य निधि आदि		**9563.43**
4753.62	जमा		**4802.90**
1463.21	आरक्षित निधि		**1646.92**
5108.34*	सरकारी खाते में आधिक्य		**11424.74**
2942.66	(i) घटावेंः चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य	6316.40	
2165.68	(ii) वर्ष के प्रारंभ में संचित आधिक्य	5108.34	
64428.35			**75072.86**
	परिसम्पत्तियाँ		
44251.93	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		**53447.86**
856.18	कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	905.24	
43395.75	अन्य पूँजीगत परिव्यय	52542.62	
15551.42	ऋण एवं अग्रिम		**16642.19**
12916.23	उर्जा परियोजना हेतु ऋण	13794.72	
2573.55	अन्य विकास ऋण	2781.92	
61.64	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	65.55	
1224.33	प्रेषण		**1144.38**
187.13	अग्रिम		**185.49**
922.41	उचंत और विविध शेष		**917.50**
2291.13	रोकड़		**2735.44**
0.00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00	
-2536.45#	रिजर्व बैंक में जमा	-426.37	
200.00	विभागीय रोकड़ शेष	254.61	
0.44	स्थायी अग्रिम	172.31	
4627.14	उद्दिष्ट निधियों के साथ रोकड़ शेष निवेश	2734.89	
64428.35			**75072.86**

* आंकड़ों का संकलन के कारण आंकड़ें परिवर्तित

परिशिष्ट 2.1

वैसे अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ प्रावधान के ₹ 10 करोड़ से ज्यादा की बचत हुई

(संदर्भः कंडिका 2.3.1, पृष्ठ 34)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1	कृषि विभाग	1676.27	1348.20	328.07	19.57
2	2	पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग	407.47	241.75	165.72	40.67
3	3	भवन निर्माण विभाग	445.38	333.57	111.81	25.10
4	4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	102.48	73.42	29.06	28.36
5	6	निर्वाचन विभाग	256.80	194.08	62.72	24.42
6	8	कला,संस्कृति एवं युवा विभाग	125.37	77.21	48.16	38.41
7	9	सहकारिता विभाग	660.80	449.68	211.12	31.95
8	10	उर्जा विभाग	3626.07	3124.38	501.69	13.84
9	11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	136.81	124.14	12.67	9.26
10	12	वित्त विभाग	1607.00	376.93	1230.07	76.54
11	13	ब्याज संदाय	4513.64	4319.16	194.48	4.31
12	14	ऋण की वापसी अदायगी	2277.96	2190.03	87.93	3.86
13	16	पंचायती राज विभाग	2065.84	1297.80	768.04	37.18
14	17	वाणिज्य कर विभाग	90.68	56.46	34.22	37.74
15	18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	228.09	162.61	65.48	28.71
16	19	वन एवं पर्यावरण विभाग	118.73	106.83	11.90	10.02
17	20	स्वास्थ्य विभाग	2207.79	1706.24	501.55	22.72
18	21	मानव संसाधन विकास विभाग	9954.95	8703.60	1251.35	12.57
19	22	गृह विभाग	3464.84	3015.95	448.89	12.96
20	23	उद्योग विभाग	743.27	300.75	442.52	59.54
21	25	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	208.48	58.23	150.25	72.07
22	26	श्रम संसाधन विभाग	197.92	143.33	54.59	27.58
23	27	विधि विभाग	494.63	364.22	130.41	26.37
24	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	465.86	280.09	185.77	39.88
25	33	सामान्य प्रशासन विभाग	350.00	284.46	65.54	18.73
26	35	योजना एवं विकास विभाग	784.85	412.11	372.74	47.49
27	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1260.62	937.02	323.60	25.67
28	37	ग्रामीण कार्य विभाग	1772.21	1592.70	179.51	10.13
29	38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	112.00	88.39	23.61	21.08
30	39	आपदा प्रबंधन विभाग	1993.65	636.66	1356.99	68.07
31	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	619.06	455.13	163.93	26.48
32	41	पथ निर्माण विभाग	4799.44	4467.83	331.61	6.91
33	42	ग्रामीण विकास विभाग	1426.70	1271.14	155.56	10.90

परिशिष्ट 2.1

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34	43	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	189.37	144.44	44.93	23.73
35	44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	502.97	446.54	56.43	11.22
36	45	गन्ना उद्योग विभाग	151.62	81.06	70.56	46.54
37	47	परिवहन विभाग	163.05	151.89	11.16	6.84
38	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	2150.46	611.56	1538.90	71.56
39	49	जल संसाधन विभाग	4010.23	2056.56	1953.67	48.72
40	50	लघु जल संसाधन विभाग	924.78	635.23	289.55	31.31
41	51	समाज कल्याण विभाग	2833.04	2082.53	750.51	26.49
कुल			**60121.18**	**45403.91**	**14717.27**	

(स्रोत : राज्य का विनियोजन लेखा, 2010-11)

परिशिष्ट 2.2

वैसे अनुदानों की सूची जहाँ वर्ष 2006–11 के दौरान सतत् बचत हुए

(संदर्भः कंडिका 2.3.2, पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
	राजस्व–दत्तमत					
1	2-पशुपालन एवं मतस्य संसाधन विभाग	20.10 (12.27)	26.18 (14.94)	64.55 (18.10)	62.53 (18.99)	165.72 (40.67)*
2	12-वित्त विभाग	21.04 (22.40)	94.54 (54.74)	35.16 (12.83)	39.09 (10.91)	55.64 (13.46)
3	20-स्वास्थ्य विभाग	355.35 (28.24)	292.10 (22.03)	395.61 (24.92)	278.83 (16.79)	479.42 (23.92)
4	27-विधि विभाग	29.54 (16.49)	35.32 (16.68)	70.45 (26.76)	31.32 **(10.72)**	130.41 (26.37)
5	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	36.53 (12.57)	38.58 (11.26)	73.16 (19.07)	120.13 (17.17)	128.43 (23.06)
6	41-पथ निर्माण विभाग	37.82 (10.96)	123.15 (29.98)	114.75 (27.17)	274.30 (38.78)	198.29 (33.58)
7	50-लघु जल संसाधन विभाग	289.99 (68.09)	33.72 (17.33)	70.75 (21.92)	93.81 (28.18)	108.29 (15.78)
	कुल राजस्व दत्तमत	**790.37**	**643.59**	**824.43**	**900.01**	**1266.20**
	पूँजीगत–दत्तमत					
8	3-भवन निर्माण विभाग	75.94 (59.98)	39.03 (57.17)	53.82 (58.81)	26.79 (29.86)	66.52 (36.16)
9	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	318.63 (56.21)	389.41 (53.87)	495.89 (73.13)	462.89 (50.68)	268.62 (29.99)
10	49-जल संसाधन विभाग	463.82 (44.29)	593.42 (42.19)	1359.51 (55.29)	1415.28 (52.57)	1722.91 (56.81)
11	50-लघु जल संसाधन विभाग	60.72 (55.68)	79.06 (51.45)	60.63 (59.44)	95.11 (57.02)	181.26 **(75.96)**
	कुल पूँजीगत–दत्तमत	**919.11**	**1100.92**	**1969.85**	**2000.07**	**2239.31**

(स्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य विनियोजन लेखे)

*कोष्ठक में दिखाये गए आंकड़ें कुल प्रावधान की प्रतिशतता दर्शातें हैं ।

परिशिष्ट 2.3

विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिन्हें विनियमित किया जाना आवश्यक है

(संदर्भः कंडिका 2.3.3, पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	अधिकाई व्यय की राशि	लोक लेखा समिति में विचारार्थ की स्थिति
1977-78	2	5, 24	0.40	अविनियमित
1978-79	2	17, 27	16.17	अविनियमित
1979-80	1	17	33.46	अविनियमित
1980-81	2	12, 17	26.03	अविनियमित
1981-82	5	3, 12, 13, 17, 24	38.04	अविनियमित
1982-83	2	12, 22	4.79	अविनियमित
1983-84	1	12	9.45	अविनियमित
1984-85	2	3,14	2.62	अविनियमित
1985-86	2	10, 13	14.83	अविनियमित
1986-87	1	13	65.62	अविनियमित
1987-88	5	9, 19, 25, 38, 48	242.45	अविनियमित
1988-89	3	9, 25, 38	85.15	अविनियमित
1989-90	3	25, 27, 38	99.40	अविनियमित
1990-91	2	37, 38	47.55	अविनियमित
1991-92	2	6, 38	71.24	अविनियमित
1992-93	2	25, 38	93.25	अविनियमित
1993-94	2	25, 37	157.68	अविनियमित
1994-95	1	37	170.61	अविनियमित
1995-96	2	25, 37	213.22	अविनियमित
1996-97	2	23, 37	21.16	अविनियमित
1997-98	1	7	0.01	₹ 0.01 करोड़ लोक लेखा समिति द्वारा विनियमित किया जा चुका है परंतु उनका गजट अधिसूचना प्रतिक्षित है ।
1998-99	1	30	0.33	₹ 0.33 करोड़ लोक लेखा समिति द्वारा विनियमित किया जा चुका है परंतु उनका गजट अधिसूचना प्रतिक्षित है ।
1999-00	4	10, 13, 14, 50	196.22	विनियमितिकरण हेतु लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जा चुका है परंतु उनका गजट अधिसूचना प्रतिक्षित है ।
	1	40	0.01	अविनियमित
2000-01	4	5, 13, 15, 32	712.34	विनियमितिकरण हेतु लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जा चुका है परंतु उनका गजट अधिसूचना प्रतिक्षित है ।
2001-02	1	15	491.24	विनियमितिकरण हेतु लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जा चुका है परंतु उनका गजट अधिसूचना प्रतिक्षित है ।
2002-03	2	15, 47	10.15	विनियमितिकरण हेतु लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जा चुका है परंतु उनका गजट अधिसूचना प्रतिक्षित है ।
2003-04	4	10,14,15,32	3701.11	विनियमितिकरण हेतु लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जा चुका है परंतु उनका गजट अधिसूचना प्रतिक्षित है ।
	3	11,30,50	81.23	अविनियमित
2004-05	4	19,20,21,46	5.68	अविनियमित
2005-06	4	10,39,40,46	349.56	अविनियमित
2007-08	2	17, 42	1.93	अविनियमित
2008-09	3	15,17,28	54.63	अविनियमित
2009-10	1	14	98.38	अविनियमित
कुल			7115.94	

परिशिष्ट 2.4

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(संदर्भः कंडिका 2.3.5, पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
अ राजस्व (भारित)					
1	13-ब्याज संदाय	*4513.10*	*4319.16*	*193.94*	*0.53*
2	28-बिहार का उच्च न्यायालय	*65.84*	*59.49*	*6.35*	*2.33*
कुल भारित		***4578.94***	***4378.65***	***200.29***	***2.86***
अ राजस्व (दत्तमत)					
1	02-पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग	354.66	241.75	112.91	52.81
2	03-भवन निर्माण विभाग	253.62	216.15	37.47	7.81
3	04-मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	86.14	72.60	13.54	7.30
4	07-निगरानी विभाग	18.85	18.74	0.11	1.50
5	08-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	59.99	47.07	12.92	2.38
6	12-वित्त विभाग	412.62	357.84	54.78	0.86
7	17-वाणिज्य कर विभाग	56.73	56.46	0.27	29.87
8	20-स्वास्थ्य विभाग	1906.69	1525.10	381.59	97.83
9	21-मानव संसाधन विकास विभाग	9348.22	8665.81	682.41	***546.91***
10	24-सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	57.35	52.57	4.78	0.25
11	25-सूचना प्राद्योगिकी विभाग	94.24	49.23	45.01	0.24
12	26-श्रम संसाधन विभाग	157.98	130.69	27.29	17.94
13	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	335.87	247.02	88.85	88.04
14	32-विधान मंडल	71.12	70.94	0.18	7.74
15	33-सामान्य प्रशासन विभाग	281.23	264.31	16.92	48.62
16	37-ग्रामीण कार्य विभाग	536.27	388.45	147.82	0.70
17	38-निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	91.31	84.57	6.74	16.84
18	41-पथ निर्माण विभाग	586.86	392.13	194.73	3.57
19	42-ग्रामीण विकास विभाग	1367.04	1271.14	95.90	22.08
20	45-गन्ना उद्योग विभाग	49.42	42.37	7.05	26.04
21	47-परिवहन विभाग	26.02	18.04	7.98	3.17
22	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	1788.78	611.56	1177.22	354.68
23	51-समाज कल्याण विभाग	2349.01	2082.53	266.48	341.14
कुल राजस्व (दत्तमत)		**20290.02**	**16907.07**	**3382.95**	**1678.32**
कुल राजस्व (दत्तमत+भारित)		**24868.96**	**21285.72**	**3583.24**	**1681.18**
ब पूँजीगत दत्तमत					
1	12-वित्त विभाग	35.52	19.08	16.44	1158.00
2	20-स्वास्थ्य विभाग	193.22	181.14	12.08	10.05
3	26-श्रम संसाधन विभाग	20.00	12.64	7.36	2.00
4	35-योजना एवं विकास विभाग	34.89	30.44	4.45	10.26
5	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	865.81	627.19	238.62	30.00
6	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2.06	1.67	0.39	1.39
7	43-विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी विभाग	110.75	103.80	6.95	34.16
8	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2.00	0.00	2.00	5.00
9	49-जल संसाधन विभाग	2279.76	1309.81	**969.95**	752.95
कुल पूँजीगत		**3544.01**	**2285.77**	**1258.24**	**2003.81**
महायोग		**28412.97**	**23571.49**	**4841.48**	**3684.99**

(स्त्रोतः राज्य विनियोजन लेखे, 2010-11)

निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोग

(संदर्भः कंडिका 2.3.6, पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
1	8	2204-00-101-0001-शारीरिक शिक्षा	2.36	0.46	2.29	0.00	0.53
2	14	6004-04-800-0020-वर्षाक्षित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलछाजन विकास परियोजना	0.35	0.03	0.34	0.00	0.04
3	16	2515-00-198-0001-पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	431.63	0.59	221.79	210.27	0.16
4	20	2210-01-110-0012-राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना	2.98	2.51	2.05	2.50	0.94
5	20	2210-02-101-0004-राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना	2.39	0.11	2.29	0.11	0.10
6	20	2210-05-105-0003-दरभंगा मेडिकल कॉलेज	28.43	1.41	26.55	3.15	0.14
7	20	2210-06-003-0002-लोक स्वास्थ्य संस्थान	8.61	0.35	6.56	1.13	1.27
8	20	2210-06-101-0003-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	21.75	1.90	18.08	3.76	1.81
9	20	2210-06-104-0001-औषधि नियंत्रण स्थापना	8.54	0.01	5.24	0.78	2.53
10	20	2251-00-090-0007-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2.29	0.09	1.89	0.48	0.01
11	21	2202-04-001-0002-जन शिक्षा का निदेशक	1.34	0.20	1.08	0.12	0.34
12	22	2055-00-101-0004-विदेशियों के क्रियाकलापों का परीक्षण	0.50	0.07	0.36	0.04	0.17
13	22	2055-00-104-0003-विशेष सुरक्षा बल	25.10	0.05	23.67	1.37	0.11
14	39	2245-02-101-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	24.00	1.00	6.12	18.87	0.01
15	39	2245-02-101-0007-आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्र आदि के लिए अनुदान	10.50	1.00	5.38	5.78	0.34
16	39	2245-02-118-0001-क्षतिग्रस्त नावों का मरम्मत/नये नावों का निर्माण	6.00	1.00	0.85	6.08	0.07
17	41	3054-80-001-0001-निदेशन	28.29	0.20	23.19	3.31	1.99
18	41	3054-80-001-0006-राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना-निर्देशन	50.00	30.00	6.67	26.35	46.98
19	42	2501-01-800-0102-स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना	111.00	0.07	52.47	57.72	0.88
20	42	2505-01-701-0102-राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम का क्षेत्रीय स्थापना	2.00	0.25	1.86	0.32	0.07

परिशिष्ट 2.5

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
21	48	2217-80-191-0010-ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निकायों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान	32.56	0.50	28.63	0.00	4.43
22	48	2217-80-192-0001-ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान	28.72	0.48	22.01	0.00	7.19
23	49	2700-03-101-0002- अन्य रख–रखाव व्यय	55.05	4.50	42.19	0.88	16.48
24	49	2701-04-001-0001-स्थापना	32.14	3.00	28.94	5.58	0.62
25	49	4700-02-800-0101-गंडक बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य)	0.05	4.50	0.00	0.00	4.55
26	49	4701-04-001-0101-स्थापना	2.78	0.01	2.10	0.63	0.06
कुल			**919.36**	**54.29**	**532.60**	**349.23**	**91.82**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोजन लेखा, बिहार सरकार एवं अनुदान लेखा परीक्षा पंजी)

निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी

(संदर्भः कंडिका 2.3.6, पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत
1	2	2403-00-101-0003-अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना	77.97	-1.76	1.42
2	3	2059-80-052-0001-नई आपूर्ति एवं मरम्मती	1.00	-0.07	0.20
3	4	2013-00-101-0002-राज्य मंत्रीगण	2.03	-0.05	0.02
4	4	2070-00-114-0001-सरकारी वायुयानों का अनुरक्षण	17.62	-0.41	0.03
5	8	2204-00-104-0001-खेलकूद	4.38	-0.46	1.54
6	8	2205-00-107-0101-संग्रहालय	2.70	-0.50	1.57
7	13	2049-04-101-0002-1989-90 से प्राप्त प्रखंड ऋण पर ब्याज	156.58	-0.13	45.27
8	14	6004-02-101-0001-1989-90 से प्राप्त प्रखंड ऋण	121.66	-0.04	46.32
9	16	2515-00-198-0004-ग्राम पंचायतों में लिपिक सह रोकड़पाल को पारिश्रमिक	40.62	-1.44	2.08
10	20	2210-01-001-0001-अधीक्षक	20.18	-2.34	1.63
11	20	2210-01-110-0013-सदर अस्पताल	123.26	-1.33	16.01
12	20	2210-01-200-0001-अन्यान्य औषधालय (यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम)	31.87	-0.04	0.84
13	20	2210-01-200-0002-अन्यान्य औषधालय (कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम)	46.33	-2.06	4.91
14	20	2210-03-110-0001-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	50.98	-0.08	5.42
15	20	2210-05-105-0023-राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया	5.62	-1.41	2.19
16	20	2210-05-105-0024-राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा	5.62	-1.40	0.14
17	20	2210-06-102-0001-लोक स्वास्थ्य एवं सफाई कार्यक्रम (खाद्य नियंत्रण स्थापना)	2.61	-0.05	1.04
18	20	2210-06-200-0001-अन्य लोगों के लिए योग प्रशिक्षण	11.00	-2.17	0.79
19	20	2210-06-800-0002-पिछड़े वर्गो के लिए स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना	7.00	-1.75	1.26
20	21	2202-03-102-0002-मगध विश्वविद्यालय (सहायता अनुदान)	273.34	-41.39	1.94
21	21	2202-03-102-0004-जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा (सहायता अनुदान)	63.81	-6.09	0.02
22	21	2202-04-800-0102-प्रौढ़ शिक्षा	75.00	-3.00	52.86
23	26	2230-01-101-0007-कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन	20.84	-0.37	0.34
24	26	2230-01-101-0108-श्रम अधिनियमों के कियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण	0.59	-0.07	0.10
25	26	2235-60-800-0103-आम आदमी के लिए बीमा योजना	12.75	-0.50	11.77
26	32	2011-02-102-0006-सदस्यगण	6.80	-0.96	0.06
27	35	3454-02-204-0002-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन	15.01	-1.25	0.31
28	39	2245-02-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति	140.40	-1.00	1.22
29	39	2245-02-107-0001-सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा भवनों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापन	0.50	-0.12	0.09
30	39	2245-02-109-0001-क्षतिग्रस्त जलापूर्ति नालों एवं मल प्रवाह प्रणाली का मरम्मत एवं पुर्नस्थापन	0.80	-0.20	0.15
31	39	2245-02-114-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए)	28.41	-0.75	4.15
32	39	2245-02-114-0003-कृषि फसलों को सहायता अनुदान	1.00	-0.25	0.19
33	39	2245-02-114-0005-पेरिनियल फसलों को सहायता अनुदान	0.50	-0.12	0.09
34	39	2245-02-115-0001-भूमि से रेत/गाढ़/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता	1.00	-0.25	0.19
35	39	2245-02-115-0002-मतस्य पालन प्रक्षेत्र से गाद/बालू आदि का निकासी	0.50	-0.12	0.09

परिशिष्ट 2.6

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत
36	39	2245-02-116-0001-खराब ट्यूबवेलों/पम्पसेटों आदि की मरम्मति के लिए किसानों को सहायता	0.50	-0.12	0.09
37	39	2245-02-117-0001-बाढ़ एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों से पशुओं का परिवर्तन	2.50	-0.50	0.50
38	39	2245-02-282-0001- मानव हेतु दवाओं की आपूर्ति	2.25	-0.50	0.19
39	39	2245-02-282-0003-चलन्त स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पी.ओ.एल. की आपूर्ति	1.00	-0.25	0.08
40	39	2245-02-800-0006-कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति	0.55	-0.14	0.10
41	40	2029-00-104-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय	367.23	-0.12	13.35
42	41	3054-03-337-0001-सड़क निर्माण कार्य	330.00	-30.00	0.64
43	41	3054-80-001-0002-पर्यवेक्षण	176.31	-0.32	4.29
44	42	2216-03-105-0102-इंदिरा आवास योजना	780.00	-0.65	5.30
45	48	2217-80-193-0001-ग्याहरवे वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायता अनुदान	18.94	-0.98	2.64
46	49	2700-02-101-0002-अन्य रख-रखाव व्यय	19.99	-4.00	0.63
47	49	2700-03-001-0001-स्थापना	169.32	-0.13	2.54
48	49	4700-01-001-0101-स्थापना	46.28	-0.02	0.43
49	49	4700-03-800-0101-सोन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना	96.64	-4.50	4.69
50	50	2702-02-005-0001-सर्वेक्षण एवं खोज	104.06	-0.03	1.49
कुल			**3485.85**	**-116.19**	**243.21**

*(स्त्रोतः **विस्तृत विनियोजन लेखा, बिहार सरकार एवं** अनुदान **लेखा परीक्षा पंजी**)*

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशत
1	01-कृषि विभाग	2401-00-103-0614-समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (माइक्रोमोड 90:10)	32.83	8.10	24.59	0.14	74.90
2		2401-00-107-0602-समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम (माइक्रोमोड 90:10)	7.07	0.81	6.21	0.05	87.84
3		2401-00-119-0101-उद्यान विकास योजना	10.00	2.05	7.95	0.00	79.50
4		2402-00-102-0602-एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. (माइक्रोमोड 10:90)	9.00	2.19	6.75	0.06	75
5	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-101-0101-अस्पताल, औषधालय तथा अन्य स्थापना	65.61	10.09	54.40	1.12	82.91
6		2403-00-106-0607-पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम की योजना	24.00	3.52	20.48	0.00	85.33
7		2403-00-106-0104-पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम की योजना	8.00	1.06	6.83	0.11	85.37
8		2405-00-101-0104-मत्स्य तालाब का विकास एवं जीर्णोद्धार	10.50	1.41	8.16	0.93	77.71
9	04-मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	5053-02-102-0101-हवाई अड्डा	9.03	0.83	5.09	3.11	56.37
10	06-निर्वाचन विभाग	2015-00-108-0001-मतदाताओं को पहचान-पत्र निर्गत करने पर व्यय	20.10	8.34	10.55	1.21	52.49
11	09-सहकारिता विभाग	2401-00-110-0107-पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम अनुदान	150.00	68.55	81.45	0.00	54.30
12	10-उर्जा विभाग	2801-80-190-0002-राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना एवं राष्ट्रीय सम विकास योजना	86.70	40.96	45.74	0.00	52.76
13	16-पंचायती राज विभाग	2515-00-196-0003-पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	46.29	4.77	41.52	0.00	89.70
14		2515-00-197-0001- पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान	92.74	14.47	78.27	0.00	84.40
15		2515-00-198-0004-ग्राम पंचायत में लिपिक सह रोकड़पाल को पारितोषिक	40.62	0.00	38.54	2.08	94.88
16		2515-00-198-0105-ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	18.09	0.99	15.69	1.41	86.73
17		2515-00-198-0106- ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	18.51	1.44	11.78	5.29	63.64
18		2515-00-800-0012- ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	45.70	20.69	25.01	0.00	54.73
19	17- वाणिज्य कर विभाग	2040-00-001-0005-मिशन मोड प्रोजेक्ट	20.87	2.50	18.37	0.00	88.02
20	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-01-110-0016-मानसिक आरोग्यशाला	9.50	4.24	5.26	0.00	55.37
21		2210-05-105-0024-राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा	5.62	0.27	5.22	0.13	92.88
22		2210-06-200-0001-अन्य लोगों के लिए योग प्रशिक्षण	11.00	0.00	10.21	0.79	92.82

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशत
23	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-06-800-0002-पिछड़ें वर्गो को स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना	7.00	0.39	5.35	1.26	76.43
24		2211-00-001-0602-तकनीकि परामर्श एवं पर्यवेक्षण राज्य परिवार कल्याण ब्यूरों	7.77	1.45	6.32	0.00	81.34
25	21-मानव संसाधन विकास विभाग	2202-02-001-0101-माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	16.57	0.85	11.11	4.61	67.05
26		2202-02-110-0003-माध्यमिक, बहुउद्देशीय तथा अल्पसंख्यक विद्यालय	201.00	40.68	158.84	1.48	79.02
27	22-गृह विभाग	2055-00-001-0003-केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय	26.99	9.46	17.53	0.00	64.95
28		2055-00-001-0008-सिपाही की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद	15.44	4.91	10.53	0.00	68.20
29		2055-00-800-0105-पुलिस प्रशासन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	9.50	3.39	6.11	0.00	64.32
30		2070-00-108-0102-अग्निशमन उपकरणों का क्रय	74.35	6.28	68.07	0.00	91.55
31		4055-00-800-0102-वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुलिस अकादमी के लिए आवासीय भवन का निर्माण, प्रशिक्षण केन्द्र	40.00	11.20	28.80	0.00	72
32		4070-00-051-0103-केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग)	6.90	0.00	5.05	1.85	73.19
33	23-उद्योग विभाग	2851-00-107-0101-पिछड़ें वर्गो के लिए विशेष अंगीभूत योजना–रेशम का विकास	6.41	1.05	5.13	0.23	80.03
34		4885-02-800-0101-उद्योग विकास के लिए भू–अर्जन	282.31	9.56	269.04	3.71	95.30
35	25-सूचना प्राद्यौगिकी विभाग	2852-07-202-0109- ई–शासन राज्य योजना	14.00	5.83	8.17	0.00	58.36
36		4859-02-800-0101-बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान)	109.00	9.00	100.00	0.00	91.74
37	27-विधि विभाग	2014-00-003-0001-बिहार न्यायिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान	10.83	0.86	9.97	0.00	92.06
38		2014-00-106-0001-लघु वाद न्यायालय	42.86	0.08	42.74	0.04	99.72
39		2014-00-114-0002-गरीबों को न्यायिक सहायता	7.59	1.71	5.88	0.00	77.47
40	30-अल्प संख्यक कल्याण विभाग	2250-00-800-0612-अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रीय विकास योजना	254.84	99.82	154.91	0.11	60.79
41	35-योजना एवं विकास विभाग	2053-00-800-0102-योजना तंत्र का सुदृढीकरण	261.98	2.46	259.52	0.00	99.06
42		3454-02-204-0620-भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना	30.10	0.05	30.05	0.00	99.83
43	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2215-01-800-0001-सरकारी भवनों में जलापूर्ति की मरम्मत	24.83	11.44	13.39	0.00	53.93
44		4215-01-102-0101-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना–कार्य	35.20	13.59	21.39	0.22	60.77
45		4215-01-102-0116-ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नाबार्ड से ऋण	49.50	15.08	34.12	0.30	68.93
46		4215-02-800-0102-शमशान घाटों का आधुनिकीकरण एवं विकास	16.37	8.07	8.30	0.00	50.70

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशत
47	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-0002-खाद्यान्नों की आपूर्ति	20.50	0.89	17.77	1.84	86.68
48		2245-02-101-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद सहायता	32.00	12.40	19.60	0.00	61.25
49		2245-02-101-0002-खाद्यान्नों की आपूर्ति	140.40	52.02	87.16	1.22	62.08
50		2245-02-101-0004-प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	25.25	4.71	20.03	0.51	79.33
51		2245-02-101-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	24.00	6.12	17.87	0.01	74.46
52		2245-02-106-0001-क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यास्थापना	17.00	0.44	12.26	4.30	72.12
53		2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण	23.00	11.15	11.85	0.00	51.52
54		2245-02-112-0104-संचार उपकरणों का क्रय	14.17	0.20	8.01	5.96	56.53
55		2245-02-113-0001-बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति,पुर्नस्थापन	34.16	0.10	26.42	7.64	77.34
56		2245-02-118-0001-क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मति/नये नावों का निर्माण	6.00	0.85	5.08	0.07	84.67
57	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-103-0104-राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण	14.46	4.81	7.89	1.76	54.56
58		2029-00-800-0101-जोतों की चकबंदी	20.00	8.69	11.31	0.00	56.55
59	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-01-800-0102-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	111.00	52.47	57.65	0.88	51.94
60	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	4225-01-051-0101-आवासीय विद्यालय एवं भवन का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	12.75	4.48	8.05	0.22	63.14
61	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2217-80-800-0122-जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत निशन योजना	900.00	30.14	675.00	194.86	75
62	49-जल संसाधन विभाग	2705-00-001-0102-क्षेत्र विकास कमाण्ड स्तर	178.40	79.64	94.01	4.75	52.70
63		2711-01-800-0103-बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली (विश्व बैंक द्वारा सम्पोषित)	10.00	2.54	7.46	0.00	74.60
64		4700-01-800-0102-कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं (कार्य) (ए.आई.बी.पी.)	600.00	201.02	392.86	6.12	65.48
65		4700-03-800-0102-सोन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं (ए.आई.बी.पी.)	250.00	25.73	218.62	5.65	87.45
66		4701-03-800-0102- सोन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं (कार्य) (ए.आई.बी.पी.)	19.90	2.17	14.95	2.78	75.13
67		4701-03-800-0103-सोन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	26.63	7.04	18.09	1.50	67.93
68		4711-01-001-0106-जल निस्सारण परियोजनाएं (कार्य)	21.85	8.77	12.04	1.04	55.10
69	50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-005-0003-सतही सिंचाई योजनाओं का मरम्मत को वित्तीय सहायता एवं अंश/सहायता अनुदान	6.00	0.04	5.76	0.20	96
70		2702-03-103-0104-निजी नलकूप	7.00	1.54	5.51	0.05	78.71

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशत
71	50-लघु जल संसाधन विभाग	4702-00-102-0101-अधूरे नलकूपों योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	61.50	5.61	55.83	0.06	90.78
72	51-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235-02-101-0106-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	10.50	0.03	10.35	0.12	98.57
कुल			**4879.59**	**978.09**	**3629.82**	**271.78**	

(स्त्रोतः राज्य के विस्तृत विनियोजन लेखा)

शत् प्रतिशत निधियों का अभ्यर्पण

(संदर्भः कंडिका 2.3.7, पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
1	01-कृषि विभाग	2401-00-001-0103-कृषि विपणन	25.00
2		2401-00-800-0105-राज्य किसान आयोग	0.50
3		2401-00-800-0109-एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बाह्य सम्पोषित परियोजना)	20.00
4	02-पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग	2403-00-001-0101-निदेशालय एवं क्षेत्रीय प्रशासन	4.00
5		2403-00-101-0107-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	12.88
6		2405-00-101-0605-अन्तर्देशीय मत्स्य सांख्यिकी का विकास	0.27
7		2405-00-101-0612-मत्स्य विकास योजना	4.50
8		2405-00-101-0107-मत्स्य अनुसंधान योजना	0.42
9		2405-00-101-0112-मत्स्य विपणन योजना	1.50
10		2405-00-101-0115-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	0.35
11	03-भवन निर्माण विभाग	2059-01-053-0011-पशुपालन विभाग के भवन का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु	0.65
12		2059-80-103-0004-निरीक्षण भवनों का साज-सज्जा	0.30
13		4216-80-101-0001-निर्माण के पूर्व के प्रारंभिक कार्य	0.10
14	08-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	4202-04-800-0101-विरासत संरक्षण प्रक्षेत्र में होने वाला व्यय (वित्त आयोग)	30.00
15	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-190-0101-बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के रिर्सोस गैप	360.00
16		2810-60-6000-0101-गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत हेतु सहायता अनुदान	20.00
17		4801-05-800-0102-बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के संवारण एवं वितरण परियोजना (बाह्य संपोषित परियोजना)	100.00
18		6801-00-800-0104-बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण	5.00
19	11-पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-03-277-0001-छात्रवृत्तियाँ/वृत्तियां	0.25
20	12-वित्त विभाग	4058-00-103-0101-मशीनरी और उपस्कर सरकारी प्रेस गुलजार बाग के आधुनिकीकरण की योजना	1.50
21	13-ब्याज संदाय	2049-01-115-0001-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगी	3.00
22	16-पंचायती राज विभाग	2515-00-101-0110-पंचायती राज व्यवस्था और मानव विकास	10.47
23		2515-00-196-0002-ग्रामीण भवनों हेतु जिला परिषदों को अनुदान	1.00
24		2515-00-800-0112-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदो हेतु व्यय	6.96
25		2515-00-800-0115-पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास (बाह्य सम्पोषित परियोजना)	10.47
26		4515-00-101-0104-पंचायत सरकार भवन-वित्त आयोग की अनुशंसा	177.00

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
27	17-वाणिज्य कर विभाग	2040-00-001-0105-मिशन मोड प्रोजेक्ट	8.84
28		4047-00-051-0101-भवन निर्माण	4.08
29	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-01-105-0104-प्रदूषण नियंत्रण पार्षद	3.00
30		2406-02-110-0120-आश्रणियों का विकास	0.15
31		2406-02-110-0603-अन्य उद्यान-संजय गॉधी जैविक उद्यान (शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	0.50
32		2406-02-110-0605-आश्रणियों का विकास (शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	0.50
33		2406-02-110-0615-बाल्मिकी नगर ब्याघ्र योजना इको डेबलेपमेन्ट (शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	0.25
34		2406-02-110-0619-अविकसित भूमि का विकास	0.10
35		2406-02-110-0620-आश्रणियों का विकास	0.15
36		2406-02-110-0109-संजय गॉधी जैविक उद्यान (50:50) केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित योजना	0.30
37		2406-02-111-0601-अन्य पार्क	0.30
38	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-05-105-0015-शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति	0.10
39		4210-01-051-0103-जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय एवं आवसीय भवनों का निर्माण	0.90
40		4210-01-051-0104-शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण	1.07
41		4210-80-800-0102-रेफरल अस्पताल के अधूरे भवनों का निर्माण	1.50
42		4210-80-800-0104-स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भू-अर्जन	1.40
43	21-गृह विभाग	2202-02-109-0605-आई. टी .सी. परियोजना	10.00
44		2202-02-109-0105- आई. टी .सी. परियोजना	3.34
45		2205-00-105-0011-राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता एवं राज्य सरकार की संयुक्त निधि से अनुदान	0.40
46	23-उद्योग विभाग	2851-00-103-0112-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	1.05
47		2852-80-102-0147-बिहार के औद्योगिक विकास अभियान के अंतर्गत पूँजी निवेश हेतु समूहों का निर्धारण/सृजन का आयोजन	0.25
48		2852-80-800-0101-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों का आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव	115.00
49		2852-80-800-0102-विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन योजना	0.25
50		6885-01-190-0101-औद्योगिक विकास योजना के लिए विहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को ऋण	11.06
51		6885-01-800-0101-अन्य ऋण	0.60
52	25-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2852-07-202-0104-ई-कय योजना	5.00
53		2852-07-202-0106-ज्ञान सिटी योजना	5.00
54		2852-07-202-0111-ई. शासन परियोजना-वित्त आयोग की अनुशंसा पर	7.00
55		4859-02-800-0102-सूचना प्रौद्योगिकी भवन	5.00
56	27-विधि विभाग	2014-00-106-0002-वित्त आयोग की अनुशंसा पर ए.डी.आर. केन्द्र	8.15

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
57	30-अल्प संख्यक कल्याण विभाग	2250-00-003-0101-अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण	1.00
58	35-योजना एवं विकास विभाग	3454-02-204-0120-भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना	0.10
59	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2215-01-198-0001-ग्रामीण पंचायतों को चापाकलों की मरम्मती हेतु सहायक अनुदान	7.20
60		4215-01-102-0112-केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का राज्यांश भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रैन वाटर हारभेस्टिंग	0.50
61	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-0003-संतप्त परिवारों के अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.20
62		2245-01-104-0001-चारे की पूर्ति	1.50
63		2245-01-105-0001-पशुओं के लिए दवा	0.75
64		2245-01-282-0001-दवाओं की आपूर्ति	0.75
65		2245-01-800-0003-अन्य कार्य (कृषि विभाग हेतु कृषि इनपुट अनुदान)	25.00
66		2245-02-104-0001-चारे की पूर्ति	2.07
67		2245-02-108-0001-सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन	0.10
68		2245-02-109-0004-संचार उपकरणों का क्रय	0.20
69		2245-02-119-0001-हस्तशिल्प बुनकरों को पारम्परिक करघा उपकरणों की मरम्मति/पुर्नस्थापन हेतु सहायता	0.15
70		2245-02-119-0002-सूत एवं सामग्रियों के क्रय हेतु सहायता	0.15
71		2245-02-119-0003- हस्तकरघा बुनकरों को सहायता अनुदान	0.13
72		2245-02-122-0001-क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मति	5.00
73		2245-02-196-0001-जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	0.10
74		2245-02-197-0001-प्रखण्ड पंचायतों/मध्य स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	0.20
75		2245-02-800-0008-क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली हेतु	2.00
76	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-103-0002-सीमा स्तम्भों का प्रबंधन	0.15
77	42-ग्रामीण विकास विभाग	2515-00-003-0101-बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	1.00
78	44-अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-277-0101-शिक्षा	3.30
79		4225-01-277-0601-अनुसूचित जाति के छात्रों एवं छात्राओं के छात्रावास भवन का निर्माण	6.60
80	49-जल संसाधन विभाग	4700-02-800-0102-गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)	0.10

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
81	49-जल संसाधन विभाग	4700-02-800-0404-गंडक परियोजना अंतर्गत नेपाल हितकारी योजना	125.00
82		4701-80-005-0101-सर्वेक्षण और रखाव (स्थापना)	0.50
83		4711-01-800-0610-गंगा नदी से कटाव निरोधक योजना	375.00
84		4711-01-800-0114-वित्त आयोग के अधीन बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	40.00
85	50-लघु जल संसाधन विभाग	4702-00-102-0606-भारत निर्माण योजना	25.00
86		4702-00-102-0103-नई/अधुरी उ द्भव सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	5.00
87		4702-00-102-0106-भारत निर्माण योजना	15.00
88	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-001-0103-निदेशन एवं प्रशासन	0.55
89		2235-02-102-0105-सूचना पद्धति प्रबंधन के अंतर्गत समेकित बाल विकास योजना	6.00
90		2235-02-102-0107-दुलार रणनीति योजना	14.45
91		2235-02-106-0105-मंद बुद्धि के बच्चों के अनुदान के लिए विद्यालय की स्थापना	3.00
92		2236-02-101-0802-कुपोषित गर्भवती/शिशुवती महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए खाद्यानों के वितरण की विशेष योजना	15.18
93		4235-02-102-0103-वाह्य संपोषित योजना–समेकित बाल विकास योजना	142.89
		कुल	**1817.18**

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोजन लेखा, बिहार सरकार)

परिशिष्ट 2.9

वास्तविक बचत (₹ 50 लाख या अधिक) का आधिक्य में अभ्यर्पण

(संदर्भः कंडिका 2.3.8, पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/पुनर्विनियोजन का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/ पुनर्विनियोजन	बचत	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य में अभ्यर्पित राशि
	राजस्व–दत्तमत				
1	11-पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	121.37	8.97	12.78	3.81
2	17-वाणिज्य कर विभाग	86.60	30.14	35.63	5.49
3	23-उद्योग विभाग	448.94	157.90	158.98	1.08
4	33-सामान्य प्रशासन विभाग	329.85	65.54	87.65	22.11
5	46-पर्यटन विभाग	8.10	0.35	1.38	1.03
	कुल	**994.86**	**262.90**	**296.42**	**33.52**
	पूँजीगत–दत्तमत				
1	10-उर्जा विभाग	1964.10	73.86	291.80	217.94
2	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	895.81	268.62	272.49	3.87
3	41-पथ निर्माण विभाग	4209.01	133.31	151.43	18.12
	कुल	**7068.92**	**475.79**	**715.72**	**239.93**
	महायोग	**8063.78**	**738.69**	**1012.14**	**273.45**

(स्रोतः राज्य के विनियोजन लेखा, 2010–11)

परिशिष्ट 2.10

प्रत्येक मामले में (₹ एक करोड़ और उससे अधिक एवं प्रावधान का 10 प्रतिशत) अभ्यर्पित बचत के राशि की विवरणी

(संदर्भः कंडिका 2.3.9, पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष रहा	प्रतिशतता
1	03-भवन निर्माण विभाग	111.80	54.26	57.54	51.47
2	04-मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	29.05	22.48	6.57	22.62
3	08-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	48.16	30.00	18.16	37.71
4	12-वित्त विभाग	1230.08	20.53	1209.55	98.33
5	13-ब्याज संदाय	194.48	27.89	166.59	85.66
6	14-ऋण की वापसी अदायगी	87.93	35.90	52.03	59.17
7	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	65.48	9.37	56.11	85.69
8	20-स्वास्थ्य विभाग	501.56	226.39	275.17	54.86
9	21-मानव संसाधन विकास विभाग	1251.35	846.60	404.75	32.35
10	24-सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	6.38	1.94	4.44	69.59
11	26-श्रम संसाधन विभाग	54.59	34.26	20.33	37.24
12	30-अल्प संख्यक कल्याण विभाग	185.77	164.60	21.17	11.40
13	37-ग्रामीण कार्य विभाग	179.51	134.49	45.02	25.08
14	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	23.62	7.94	15.68	66.38
15	39-आपदा प्रबंधन विभाग	1356.99	372.13	984.86	72.58
16	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	163.93	121.98	41.95	25.59
17	41-पथ निर्माण विभाग	331.61	296.17	35.44	10.69
18	43-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	44.94	22.41	22.53	50.13
19	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	56.43	47.40	9.03	16.00
20	45-गन्ना उद्योग विभाग	70.55	41.82	28.73	40.72
21	47-परिवहन विभाग	11.15	9.81	1.34	12.02
22	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	1538.90	792.00	746.90	48.53
	कुल	**7544.26**	**3320.37**	**4223.89**	

30 एवं 31 मार्च 2011 को ₹10 करोड़ से अधिक निधियों का अभ्यर्पण के मामलें

(संदर्भः कंडिका 2.3.9, पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	01	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	22.04	43.22
2	02	2403-पशुपालन	20.48	85.33
3	09	2425-सहकारिता	15.29	45.71
4	10	2801-ऊर्जा	43.25	49.88
5		4801- ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	267.24	25.70
6		6801- ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कर्ज	19.10	32.32
7	13	2049-ब्याज अदायगियाँ	22.02	16.49
8	14	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	34.43	20.26
9	16	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	329.79	47.19
10	17	2040-बिक्री व्यापार आदि पर कर	18.37	88.02
11	20	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	69.17	9.45
12		4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	10.16	29.22
13	21	2202-सामान्य शिक्षा	727.85	12.06
14	22	2055-पुलिस	111.95	6.55
15		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	85.67	34.64
16		4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	112.33	48.01
17	30	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	154.91	60.79
18	35	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	66.97	64.43
19	36	4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	238.38	33
20	37	3054-सड़क तथा सेतु	73.18	20.91
21		4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	26.40	8.22
22	39	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	276.89	34.95
23	40	2029-भू–राजस्व	75.26	20.49
24	41	3054-सड़क तथा सेतु	28.43	16.12
25		5054-सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय	42.26	12.93
26	44	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	20.86	28.42
27	45	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	37.46	49.19
28	49	2700-वृहद् सिंचाई	34.81	12.95
29		4700-वृहद् सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	75.35	30.60
30		4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	36.68	70.23
31		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	108.80	26.81
32	50	2702-लघु सिंचाई	83.35	13.69
33		4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	172.96	75.66
34	51	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	128.94	11
35		2236-पोषण	421.31	42.48
		कुल	**4012.34**	

परिशिष्ट 2.12

वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम तिमाही एवं माह मार्च 2011 में सघन व्यय

(संदर्भः कंडिका 2.3.10, पृष्ठ 41)

(₹करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	वर्ष 2010-11 के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2011 में कुल व्यय	कुल व्यय का प्रतिशतता
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशतता		
1	2205	19.32	13.22	68.43	9.99	51.70
2	2217	505.16	327.52	64.84	257.89	***51.05***
3	2402	13.84	10.15	73.35	7.55	54.56
4	2404	47.39	40.37	85.18	27.77	58.60
5	2405	31.84	25.29	79.41	22.63	71.05
6	2435	34.19	31.51	92.16	30.56	89.40
7	2505	269.05	186.64	69.37	167.30	62.18
8	2851	56.52	42.19	74.65	38.05	67.31
9	2852	288.99	185.73	64.27	170.55	59.02
10	3054	632.44	413.57	65.39	320.82	50.73
11	3454	144.34	130.90	90.69	87.64	60.72
12	3604	3.25	3.25	***100***	3.25	***100***
13	4055	197.32	169.73	86.02	139.86	70.88
14	4059	118.99	92.42	77.68	79.18	66.54
15	4070	51.72	47.92	92.66	27.41	52.99
16	4210	181.14	180.67	99.74	160.47	88.59
17	4250	14.31	14.31	100	13.75	96.05
18	4406	0.16	0.16	100	0.16	100
19	4425	16.83	16.33	97.03	16.33	97.03
20	4859	9.00	9.00	***100***	9.00	***100***
21	4885	9.56	9.56	***100***	9.56	***100***
22	5053	0.83	0.83	***100***	0.83	***100***
23	6701	0.17	0.17	***100***	0.17	***100***
24	6801	878.49	549.87	62.59	519.87	59.18
25	6851	0.15	0.15	***100***	0.15	***100***
26	6860	38.69	38.69	***100***	37.39	96.63
कुल		**3563.69**	**2540.15**		**2158.13**	

वर्ष 2010–11 के दौरान (प्रत्येक मामले में) ₹ 10 करोड़ से ज्यादा की असमाशोधित राशि की विवरणी

(संदर्भः कंडिका 2.4, पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	असमाशोधित राशि
1	2011-संसद/राज्य/संघ शासित प्रदेश विधानमंडल	37.49
2	2014-न्याय प्रशासन	297.03
3	2015-निर्वाचन	175.20
4	2029-भू–राजस्व	308.38
5	2030-पंजीकरण एवं मुद्रांक	28.30
6	2039-राज्य उत्पाद	28.47
7	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	15.69
8	2041-वाहन पर कर	16.04
9	2048-ऋण घटाने या उसका परिहार के लिए विनियोजन	160.00
10	2049-ब्याज भुगतान	***4319.03***
11	2051-लोक सेवा आयोग	14.66
12	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ	67.00
13	2053-जिला प्रशासन	270.34
14	2054-कोषागार एवं लेखा प्रशासन	44.64
15	2055-पुलिस	***2160.63***
16	2059-लोक निर्माण कार्य	222.68
17	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	146.89
18	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	***6143.86***
19	2202-सामान्य शिक्षा	***6960.94***
20	2203-तकनीकि शिक्षा	38.79
21	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	25.51
22	2205-कला एवं संस्कृति	18.28
23	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	1242.33
24	2211-परिवार कल्याण	240.35
25	2215-जलापूर्ति एवं सफाई	403.16
26	2216-आवास	550.73
27	2217-शहरी विकास	505.16
28	2220-सूचना तथा प्रचार	34.46
29	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	523.19
30	2230-श्रम एवं रोज़गार	64.04
31	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1011.48
32	2236-पोषाहार	532.46
33	2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	529.30
34	2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ	167.65
35	2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	24.03
36	2401-फसल कृषि-कर्म	1318.10
37	2403-पशुपालन	159.97
38	2404-गव्य विकास	41.43
39	2405-मतस्य पालन	14.46
40	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	104.37
41	2408-खाद्य, भंडारण तथा भंडारागार	10.17
42	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	158.23
43	2425-सहकारिता	39.75
44	2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	32.34
45	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	160.22
46	2505-ग्राम नियोजन	205.60
47	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1510.70

परिशिष्ट 2.13

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	असमाशोधित राशि
48	2700-वृहत सिंचाई	171.08
49	2701-मध्यम सिंचाई	58.44
50	2702-लघु सिंचाई	540.49
51	2705-कमांड क्षेत्र विकास	80.26
52	2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	125.17
53	2801-उर्जा	1170.00
54	2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	21.30
55	2852-उद्योग	265.05
56	3054-सड़क तथा सेतु	616.56
57	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	32.45
58	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	142.16
59	3456-सिविल पूर्ति	136.44
60	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	23.26
61	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	197.32
62	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	118.99
63	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	31.91
64	4202-शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	130.09
65	4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	164.98
66	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	626.77
67	4225-अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	28.79
68	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	85.79
69	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	14.31
70	4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	16.83
71	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	1113.80
72	4700-वृहत सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	519.20
73	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	39.12
74	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	57.35
75	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	702.20
76	4801-उर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1007.23
77	5054-सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	***4058.24***
78	5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	12.51
79	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	26.55
80	5465-सामान्य वित्तिय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	26.19
	कुल	**43444.37**

नित्य प्रयोजन के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी की विस्तृत विवरणी

(संदर्भः कंडिका 2.5, पृष्ठ 41)

(₹करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विभाग/मुख्य शीर्ष का नाम	प्रयोजन	राशि
1	2011	राज्य विधान मंडल	विधान परिषद सचिवालय का वेतन	0.26
2	2012	राज्यपाल	मोटर वाहन का क्रय	0.06
3	2014	न्यायिक प्रशासन	नई मोटर वाहन का क्रय (चार बार)	1.27
4		न्यायिक प्रशासन	चिकित्सा व्यय	0.25
5		न्यायिक प्रशासन	परिवार न्यायालय के वेतन एवं अन्य व्यय	3.75
6		न्यायिक प्रशासन	सिविल एवं सत्र न्यायालय के लिए वेतन (दो बार)	40.45
7	2015	निर्वाचन	लोक सभा चुनाव के लिए यात्रा व्यय	0.69
8	2052	सामान्य सेवाएं–सचिवालय	जे.पी. सेनानी सम्मान योजना	0.95
9		सामान्य सेवाएं–सचिवालय	मोटर कार का क्रय (चार बार)	0.42
10		सामान्य सेवाएं–सचिवालय	मुख्यमंत्री की बैठक पर व्यय	0.20
11		सामान्य सेवाएं–सचिवालय	लैपटॉप का क्रय	0.12
12		सामान्य सेवाएं–सचिवालय	भाड़ा पर लिए गए वाहन पर व्यय	0.11
13		सामान्य सेवाएं–सचिवालय	वेतन एवं भत्ते	1.20
14	2053	जिला प्रशासन	मोटर कार के लिए व्यय	0.24
15	2054	बेषागार एवं लेखा प्रशासन	भविष्य निधि लेखा के संधारण पर व्यय	0.35
16	2055	पुलिस	सिपाही की भर्ती (दो बार)	12.09
17		पुलिस	बिहार पुलिस अकादमी के लिए व्यय	1.00
18		पुलिस	स्पेशल टास्क फोर्स पर व्यय	0.15
19		पुलिस	यातायात का नियंत्रण एवं रख–रखाव	0.44
20		पुलिस	वेतन एवं भत्ते	16.00
21		पुलिस	बिहार पुलिस भवन का मरम्मत एवं रख–रखाव	17.20
22	2056	कारागार	जिला कारागार पर व्यय	5.19
23		कारागार	वेतन की अदायगी	0.20
24	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	नगरिक सुरक्षा संवर्धन पर व्यय	0.23
25		अन्य प्रशासनिक सेवाएं	मोटर वाहन का क्रय (दो बार)	0.08
26		अन्य प्रशासनिक सेवाएं	नागरिक सुरक्षा	0.10
27		अन्य प्रशासनिक सेवाएं	वेतन एवं भत्ते	0.35
28		अन्य प्रशासनिक सेवाएं	अन्वेषण ब्यूरो पर व्यय	0.56
29		अन्य प्रशासनिक सेवाएं	विहार भवन का स्थापना	0.46
30	2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	सेवानिवृत्त न्यायधीशों एवं उनके परिवार पर चिकित्सा व्यय	0.50
31	2202	सामान्य शिक्षा	छात्रवृत्ति (दो बार)	11.90
32	2205	कला एवं संस्कृति	श्री कृष्ण सेवा सदन, मुंगेर के लिए व्यय	0.39
33		कला एवं संस्कृति	कला और संस्कृति का संवर्धन	1.50
34	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	वेतन एवं अन्य भत्ते (दो बार)	0.99
35	2230	श्रम एवं रोजगार	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों के लिए	0.22
36		श्रम एवं रोजगार	बीड़ी श्रमिकों का गृह निर्माण	2.24
37	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	मानवाधिकार आयोग के लिए व्यय	0.70
38		सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	परिवार एवं बाल कल्याण पर व्यय	1.06
39		सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	विकलांगों के लिए रियायती यात्रा योजना	0.35
40		सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	लड़कियों के लिए सुरक्षा योजना	39.00
41	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	धार्मिक संस्थाओं को अनुदान	1.00
42		अन्य सामाजिक सेवाएं	छात्रों को पारितोषिक	8.00

परिशिष्ट 2.14

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विभाग/मुख्य शीर्ष का नाम	प्रयोजन	राशि
43	2251	सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं	मोटर वाहन के लिए (दो बार)	0.33
44	2401	कृषि विभाग	किसानों को सहायता	61.80
45		कृषि विभाग	कृषि कार्य हेतु क्रय (दो बार)	320.75
46	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	वनों का सुरक्षा एवं संवर्धन	2.91
47		वानिकी तथा वन्य प्राणी	वेतन एवं अन्य व्यय	0.63
48	2700	वृहत् सिंचाई	मोटर वाहन के लिए	0.11
49	2801	उर्जा	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के उर्जा पर व्यय	90.00
50	2852	उद्योगों	वाणिज्यिक विशेष सेवा का भुगतान	0.35
51		उद्योगों	मोटर वाहन के लिए	0.06
52	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	जनगणना कार्य	1.00
53	3456	नगर आपूर्ति	उपभोक्ता सहायता के लिए	0.28
54	4215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	ग्रामीण स्वच्छता पर व्यय	30.00
55	6860	उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	चीनी मिल को उधार	0.48
कुल				**680.92**

परिशिष्ट 2.15

अनुदान संख्या–49 के अंतर्गत बजट प्रावधान, बचतों की विस्तृत विवरणी

(संदर्भः कंडिका 2.6.1, पृष्ठ 42)

(₹ करोड़ में)

बजट प्रावधान	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (भारित)	पूँजीगत (दत्तमत)	पूँजीगत (भारित)	कुल
मूल प्रावधान	725.60	0.00	2,279.76	0.00	3,005.36
अनुपूरक प्रावधान	251.91	0.00	752.95	0.00	1,004.86
कुल	**977.51**	**0.00**	**3,032.71**	**0.00**	**4,010.22**
व्यय	746.75	0.00	1309.81	0.00	2056.56
बचत	230.76	0.00	1722.90	0.00	1953.66
बचत आश्वर्पण	211.49	0.00	1600.91	0.00	1812.40

परिशिष्ट 2.16

वैसे योजनाओं की विवरणी जहाँ व्यय नगण्य था

(संदर्भः कंडिका 2.6.1, पृष्ठ 42)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/योजनाएं	बजट प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	पुनरीक्षित प्रावधान	व्यय	बचत
योजनाएं							
1	4700-वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 02-गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं 800-अन्य व्यय 0404-नेपाल हितकारी योजना	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00
2	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80-सामान्य 005-सर्वेक्षण एवं अन्वेषण 0101-स्थापना	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
3	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 800-अन्य व्यय 0114-वित्त आयोग के अधीन बाढ़ नियंत्रण	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
4	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 800-अन्य व्यय 0610-गंगा नदी से कटाव निरोधक योजना	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
5	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 800-अन्य व्यय 0611-जल निस्सारण परियोजनाएं	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
कुल		**541.50**	**0.00**	**541.50**	**1.00**	**0.00**	**541.50**

वर्ष 2010–11 के लिए विवरणी में दिखाये गए उप–शीर्षों में कुल प्रावधान से आधिक्य व्यय

(संदर्भः कंडिका 2.6.1, पृष्ठ 42)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष/विस्तृत शीर्ष/योजनावार	कुल	पुनर्विनियोजन बचत (-) आधिक्य (+)	अंतिम अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)
1	2700-वृहद सिंचाई, 02-गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 0001-स्थापना	99.53	(-)11.95	87.58	87.66	0.08
2	2701-मध्यम सिंचाई, 03-वाणिज्यिक मध्यम सिंचाई (सोन बेसिन), 101-मरम्मत एवं रख-रखाव, 0002-अन्य रख-रखाव व्यय	19.65	(-)1.29	18.36	33.82	15.46
3	2701-मध्यम सिंचाई, 04-वाणिज्यिक मध्यम सिंचाई, 101-मरम्मत एवं रख-रखाव, 0002-अन्य रख-रखाव व्यय	8.85	(+)0.31	9.16	9.17	0.01
4	2701-मध्यम सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 0001-मुख्यालय सचिवालय स्थापना (अभियंता प्रमुख)	12.25	(-)5.39	6.86	8.34	1.48
5	2701-मध्यम सिंचाई, 80-सामान्य, 190-लोक उपकर्मों एवं अन्य उपकर्मों को सहायता, 0001-भूमि एवं जल प्रबंधन संस्थान को सहायता अनुदान	4.50	0.00	4.50	4.53	0.03
6	4700-वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 0101-राष्ट्रीय सम विकास योजना	200.00	(-)62.29	137.71	141.73	4.02
7	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 04-मध्यम सिंचाई, 800-अन्य व्यय, 0103- किउल बधुआ चंदन बेसिन पर सिंचाई परियोजना (कार्य)	25.60	(-)18.59	7.01	7.02	0.01
कुल		**370.38**	**(-)99.20**	**271.18**	**292.27**	**21.09**

परिशिष्ट 2.18

अंतिम तिमाही/मार्च माह में विभिन्न योजनाओं में सघन व्यय (अनुदान संख्या 49) की विवरणी

(संदर्भः कंडिका 2.6.1, पृष्ठ 42)

(₹ करोड़ में)

कम सं0	लेखे के मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2011 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय का प्रतिशतता
1	2701-मध्यम सिंचाई (राजस्व)	85.88	52.10	60.67	40.99	47.73
2	4700-वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	564.73	327.39	57.97	213.01	37.72
3	4701-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	42.00	19.96	47.52	13.07	31.11
4	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	702.90	399.91	56.89	263.50	37.49
5	6701-मध्यम सिंचाई के लिए ऋण	0.17	0.17	100.00	0.17	100.00
कुल		**1395.68**	**799.53**	**57.28**	**530.74**	**38.02**

स्वायत निकायों का निष्पादन

(संदर्भः कंडिका 3.3, पृष्ठ 47)

क्रम सं.	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक के लेखे प्रस्तुत किए गए	अवधि जब तक के पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी किए गए	लेखे प्राप्त करने की तिथि	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने की तिथि	विधायिका में पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी गई	लेखे जमा करने में विलंब	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2002-03	2007-08	1989-90 से 1998-99	2007-08 तक लेखे प्राप्त	30 मई 08	सूचित नहीं किए गए	-	सुपुर्दगी अभी लंबित है
				1999-2000 से 2001-2002		28 अप्रैल 09			
				2002-03		14 मई 10			
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2003-04	2006-07	1994-95 से 1998-99	2006-07 तक लेखे प्राप्त	31 दिसम्बर 08	सूचित नहीं किए गए	-	सुपुर्दगी अभी लंबित है
				1999-2000 से 2002-03		20 नवम्बर 09			
				2003-04		13 मई 10			
3	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना	स्थाई	2010-11	2009-10	02 जून 11	06 दिसम्बर 10	सूचित नहीं किए गए	-	-
4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर	2010-11	2009-10	2006-07	13 अक्टूबर 10	14 अक्टूबर10	सरकार द्वारा सूचित पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 1971-72 से 1994-95, 1998-99 से 2001 और 2003-04 से 2006-07 तक की अवधि के लिए सरकार को पहले ही भेजा जा चुका है जो विधायिका में रखे जाने की सूचना प्रतीक्षित है ।	3 माह 13 दिन	-
				2007-08		11 अप्रैल 11			
				2008-09		23 मई 11			

परिशिष्ट 3.2

गबन, दुर्विनियोजन, हानि एवं चोरी के मामलों का समयवार विवरणी

(संदर्भः कंडिका 3.4, पृष्ठ 47)

क्रम सं.	विभाग/कार्यालय/निधि का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	मामलों की कुल संख्या
1	पथ निर्माण	6	01	07
2	जल संसाधन	11		11
3	भवन निर्माण	01		01
4	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	02		02
5	ग्रामीण विकास	635	81	716
6	श्रम संसाधन	03		03
7	उद्योग	02		02
8	समाज कल्याण	117		117
9	गृह	24		24
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	33		33
11	भू-अर्जन	11		11
12	सामान्य प्रशासन	15		15
13	विधान सभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य निधि	01		01
14	सहकारिता	01		01
15	निर्वाचन	04		04
16	व्यवहार न्यायालय	01		01
17	पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन	12		12
18	मानव संसाधन विकास	32		32
19	नगर विकास एवं आवास	25	04	29
20	पर्यावरण एवं वन	02		02
21	जिला उप-निबंधक	01		01
22	ग्रामीण कार्य	08		08
23	लघु जल संसाधन	01		01
	कुल	**948**	**86**	**1034**

परिशिष्ट 3.3

गबन, दुर्विनियोजन, हानि एवं चोरी के मामलों के संदर्भ में श्रेणीवार विवरणी

(संदर्भः कंडिका 3.4, पृष्ठ 47)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग/कार्यालय/निधि का नाम	गबन, दुर्विनियोजन, हानि तथा चोरी	
		संख्या	राशि
1	पथ निर्माण	07	2.59
2	जल संसाधन	11	13.19
3	भवन निर्माण	01	0.33
4	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	02	2.46
5	ग्रामीण विकास	716	328.36
6	श्रम संसाधन	03	0.62
7	उद्योग	02	5.67
8	समाज कल्याण	117	12.66
9	गृह	24	1.52
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	33	5.26
11	भू-अर्जन	11	3.80
12	सामान्य प्रशासन	15	6.73
13	विधान सभा सदस्य/विधान	01	0.02
14	सहकारिता	01	2.66
15	निर्वाचन	04	1.43
16	व्यवहार न्यायालय	01	0.29
17	पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन	12	5.18
18	मानव संसाधन विकास	32	11.66
19	नगर विकास एवं आवास	29	3.33
20	पर्यावरण एवं वन	02	0.39
21	जिला उप-निबंधक	01	0.26
22	ग्रामीण कार्य	08	0.74
23	लघु जल संसाधन	01	नगण्य
	कुल	**1034**	**409.15**

परिशिष्ट 3.4

लघु शीर्ष 800 'अन्य व्यय' का परिचालन (50 प्रतिशत एवं ज्यादा)

(संदर्भः कंडिका 3.5, पृष्ठ 48)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष कोड	नामावली	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत कुल व्यय का प्रतिशतता
1	2041	वाहन कर	12.00	16.92	70.92
2	2217	शहरी विकास	353.35	505.16	69.95
3	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	184.19	184.33	99.92
4	2501#	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	172.47	172.92	99.74
5	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	891.97	1548.10	57.62
6	3452	पर्यटन	3.07	6.04	50.83
7	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	38.80	51.75	74.98
8	4235 #	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	89.31	88.46	100.96
9	4700	वृहत सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	467.96	564.73	82.86
10	4701	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	37.33	42.00	88.88
11	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1007.23	1007.23	100
12	4859	दूरसंचार एवं इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	9.00	9.00	100
13	5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	26.55	26.55	100
		कुल	**3293.23**	**4223.19**	

औसत प्रतिशतता **77.98**

(#) इनमें कमशः ₹ **0.45** एवं ₹ **0.85** करोड़ की वापसी लेखा शामिल है (जिसमें निधि शीर्ष का स्थानांतरण भी शामिल है) फलतः इसकी प्रतिशतता 100 से अधिक है ।

परिशिष्ट 3.5

लघु शीर्ष 800 'अन्य प्राप्तियाँ' का परिचालन (50 प्रतिशत एवं ज्यादा)

(संदर्भः कंडिका 3.5, पृष्ठ 48)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष कोड	नामावली	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	लघुशीर्ष 800 के अंतर्गत कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता
1	0029	भू-राजस्व	70.63	139.02	50.81
2	0059	लोक निर्माण	6.72	6.73	99.85
3	0075	विविध सामान्य सेवायें	0.21	0.34	61.76
4	0211	परिवार कल्याण	0.03	0.04	75.00
5	0216	आवास	2.84	4.74	59.92
6	0217	शहरी विकास	0.03	0.03	100
7	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2.32	2.38	97.48
8	0250	अन्य सामाजिक सेवायें	5.13	5.27	97.34
9	0404	गव्य विकास	0.05	0.05	100
10	0425	सहकारिता	0.07	1.30	53.85
11	0506	भूमि सुधार	0.08	0.09	88.89
12	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	20.94	21.93	95.49
13	0852	उद्योग	88.36	88.36	100
14	1054	सड़क एवं सेतु	35.96	39.60	90.81
15	1055	सड़क परिवहन	0.19	0.23	82.61
16	1456	सिविल आपूर्ति	0.05	0.05	100
		कुल	**233.61**	**310.16**	

औसत प्रतिशत **75.36**